लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१

आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४

उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४

विधेयक—पुरस्थापित २८३४

(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३८

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२

खण्ड १ से ३ . . २८४२

पारित करने का प्रस्ताव २८४२

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८

औषधि (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१

पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५० से १६५६ और १६५८ से २०३६ ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य ज़िलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १६६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३६–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–६०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२६१–६२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य . . . ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र ३५२१,३५२२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३५२१–२२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भूकम्प ३५२२–२३

विधेयक—पुरस्थापित ३५२३–२४

१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० . ३५२३–२४

२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . . ३५२४

औषधि (संशोधन) विधेयक . . . ३५२४–३०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५२४,३५२५–२९

खण्ड २ से ११ तथा १ . . . ३५२९–३०

पारित करने का प्रस्ताव . ३५३०

सभा का कार्य . . . ३५२४

सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक ३५३०–३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३०–३१

खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ . ३५३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३१

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . . ३५३२–५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३२–४९

खण्ड २ से १० तथा १ . . . . . ३५४९–५२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५५२–५३

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक ३५५३–५६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५५३–५६

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३५५७–६३

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां,, . . ३५६३

दैनिक संक्षेपिका ३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९–३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४–६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७–७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७–३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१–२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६–३८९३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि .	३८९३
स्थगन प्रस्ताव	३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . .	३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन	३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	३८९५
सभा का कार्य . .	३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
याचिका समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
कार्यवाही-सारांश . .	३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३८९९
याचिका समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी .	३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . .	३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . .	३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची	३९०१
६. लखनऊ की छत्तर मंजिल में दरारें .	३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि	३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६

खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६—४७

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६

२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६

४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . . . . ३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०
११ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फोर्डसन ट्रैक्टरों का निर्माण

+

†*१००९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्डसन ट्रैक्टर बनाने के लिए भारत में एक परियोजना स्थापित करने के बारे में कनाडा की फोर्ड मोटर कम्पनी के साथ बात चीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत किस प्रक्रम पर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : जो योजना विचाराधीन है उसका, खासकर उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, क्या ब्यौरा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निश्चय ही यह प्रश्न तो फोर्डसन्स के बारे में है लेकिन जैसा कि सभा को मालूम है, १८ हार्सपावर से ५० हार्स पावर तक की विभिन्न श्रेणियों के लिए मंजूर की गयी चार परियोजनाएं पहले ही से हैं । कुल क्षमता २५,००० ट्रैक्टर की होगी जो वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी योजना की कुल क्षमता होगी ।

†**श्री जीनचन्द्रन्** : किस ढंग के ट्रैक्टर बनाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1091(Ai) LSD—1.

†**श्री मनुभाई शाह :** एक है जर्मन ईशर, दूसरा है डेविडब्राउन, तीसरा है फर्ग्यूसन्स, चौथा जेटर नाम का चेकोस्लोवाक ट्रैक्टर है जिस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री जीनचन्द्रन् :** क्या सरकार को मालूम है कि ट्रैक्टरों के फुटकर कलपुर्जों का मूल्य ट्रक के फुटकर कल पुर्जों की कीमत की तुलना में बहुत ऊंचा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह एक दूसरा सवाल है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे अपना प्रश्न दोहरायेंगे ?

†**श्री जीनचन्द्रन् :** ट्रैक्टर के फुटकर पुर्जों के दाम ट्रक के फुटकर पुर्जों के दाम के बनिस्बत बहुत ऊंचे हैं । क्या सरकार उनके दाम घटायेगी जिससे किसानों को फायदा पहुंचे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मुख्य प्रश्न फोर्डसन ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में है । फिर, भारत के सभी ट्रैक्टरों को शामिल करने के लिये उसके विस्तार के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु माननीय सदस्य ट्रक और ट्रैक्टर के फुटकर कल पुर्जों के मूल्यों की तुलना करना चाहते हैं । दोनों में कोई तुलना नहीं है । प्रत्येक का साजसामान बिलकुल भिन्न प्रकार के यूनिट का है । इसलिए दो असमान वस्तुओं में कोई तुलना संभव नहीं होगी ।

†**श्री जीनचन्द्रन् :** आप की जानकारी के लिए मैं आप को बता दूं कि फर्ग्यूसन एक्सल का दाम करीब ५५० रुपये है जब कि मर्सेडेज बेन्स एक्सल का दाम करीब ३५० रुपये है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में होगी या गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ये सारी कम्पनियां गैर-सरकारी क्षेत्र की हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** चूंकि ट्रैक्टरों की मांग बराबर बढ़ती ही जायगी, मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में कोई फैक्टरी क्यों नहीं स्थापित की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अभी अभी हमारे सामने तीसरी योजना की रूपरेखा का प्रारूप आया है जिस में हम जितनी मदें भी शामिल कर सकते थे, हम ने शामिल की हैं । वे सभी उन बड़ी परियोजनाओं की तुलना में जिन की हम सरकारी क्षेत्र में कल्पना कर सकते हैं, थोड़ी संख्या में आवश्यक विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं । अभी सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर तैयार करने की कोई योजना हमारे सामने नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत की नोटिस में यह बात आई है कि बहुत से लोग जो ट्रैक्टरों का बिजिनेस करते हैं, आम देहातियों से काफी रुपया एडवान्स के तौर पर ले लेते हैं और तीन तीन और चार चार सालों तक ट्रैक्टर नहीं देते हैं । अगर ऐसा है तो इस तरह के लोगों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : पिछले हफ्ते यह सवाल हाउस के सामने आया था तो मैंने सारी बातें बताई थीं । जब इस का उत्पादन शुरू हो जायेगा तो उस के डिस्ट्रिब्यूशन अर्थात् वितरण का सारा इन्तजाम किया जायेगा ।

†**श्री नरसिंहन् :** इस प्रयोजन के लिये कितने मूल्य के पुर्जों का आयात करना पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह ट्रैक्टर न तो तैयार किया जाता है या न ही आगे तैयार किये जाने का विचार है। जब मैं ने "नहीं, श्रीमान्" कहा, तभी यह बात खतम हो जानी चाहिये थी किन्तु यदि माननीय सदस्य निर्माण की सामान्य नीति जानना चाहते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि इस ढंग की प्रायः सभी परियोजनाओं में पहले वर्ष में देश में ५० प्रतिशत निर्माण होगा और वह न्यूनतम है और तीन वर्षों में वह ८० से ६० प्रतिशत तक हो जायगा।

भूटान को सहायता

+

*†१०१०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आचार :
श्री दलजीत सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूटान सरकार को अभी तक कोई धन राशि दी गयी है और यदि हां तो कितनी;

(ख) क्या भूटान सरकार ने शिल्पिक (टेक्निकल) सहायता भी मांगी है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता मांगी है; और

(घ) भारत सरकार ने वह सहायता कितनी दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) भूटान को अब तक २३.५ लाख रुपया दिया जा चुका है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). इंजीनियर्स, ओवरसियर्स, सर्वेयर्स, अकाउन्टेन्ट्स आदि जैसे शिल्पिक कर्मचारियों के रूप में तथा सड़क बनाने के सामान के रूप में सहायता मांगी गयी थी और वह दी गयी।

†श्री दी० चं० शर्मा : जो शिल्पिक कर्मचारी वहां भेजे गये हैं क्या उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता दिया गया है क्योंकि उनमें से अधिकांश के परिवार यहीं हैं ? यदि हां, तो इन शिल्पिक कर्मचारियों को कितना अतिरिक्त भाग दिया गया है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

†श्री दी० चं० शर्मा : कितने ओवरसियर और इंजीनियर वहां भेजे गये थे और भूटान सरकार ने जितनी संख्या में मांगे थे उतनी ही संख्या में भेजे गये थे या उसके कुछ हिस्से में भेजे गये ?

†श्री जो० ना० हजारिका : भेजे गये कर्मचारियों की ठीक ठीक संख्या बताने के लिए मुझे सूचना चाहिये। किन्तु टेक्नीकल बोर्ड में परिवहन मंत्रालय तथा निर्माण, आवास और

†मूल अंग्रेजी में

संभरण मंत्रालय के भी प्रतिनिधि हैं और टेक्नीकल बोर्ड की जो भी आवश्यकता होती है, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा उसे पूरा किया जाता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच कोई परामर्श हुआ था और यदि हां, तो उनका क्या लक्ष्य था और उस लक्ष्य का कितना हिस्सा हमारी सरकार प्राप्त कर चुकी है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : जो भूटानी शिष्टमंडल यहां आया था उसमें और भारत सरकार के बीच कई चर्चाएं हुईं । उसके अनुसार मोटी योजनाएं और अनुमान तैयार किये गये हैं । दो बोर्ड स्थापित किये गये हैं । एक तो टेक्नीकल बोर्ड है और दूसरा, निर्माण सलाहकार बोर्ड है । पहला बोर्ड योजनाएं, अनुमान आदि तैयार करता है और दूसरा उन्हें कार्यान्वित करता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इन बोर्डों के पास कोई धनराशि है जिससे वहां की सड़क परियोजनाएं देखने के लिए जाने वाले आदमियों का खर्च उठाया जा सके ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : किस बात का खर्च ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जो आदमी वहां जायेंगे उनका खर्च ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या टेक्नीकल समन्वय समिति और निर्माण मंत्रणा समिति के पास कोई निधियां रखी गयी हैं जिससे सड़क परियोजना कार्यक्रम को देखने जाने वाले व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए प्रमुख इंजीनियरिंग पदाधिकारियों द्वारा किया गया खर्च उठाया जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं वहां जाने वाले लोगों के इस प्रकार मनोरंजन की बात नहीं समझता । सबसे पहले तो यदि कोई वहां जाता है तो स्वाभाविक ही उसे भूटान सरकार की इजाजत लेनी चाहिये । ये सड़कें भूटान में बनायी जा रही हैं । भूटान जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए सामान्यतया यही प्रथा है । मैं समझता हूं कि यदि कोई वहां जाता है तो वहां पर उसके सामान्य खर्च की व्यवस्था की जायगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्यक्ष रूप से जो वह जानना चाहते थे वह यही है । कुछ संसद-सदस्य वहां गये थे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : बात यह नहीं बल्कि यह है कि भूटान के महाराज और भूटान के कुछ लोग वह सड़क परियोजना बड़े चाव से देखना चाहते हैं । इसलिए जब वे उस जगह जाते हैं तो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है । इसीलिए मैंने वह प्रश्न पूछा कि क्या वहां किसी निधि की व्यवस्था की गयी है क्योंकि इंजीनियरिंग को ही सारा खर्च उठाना पड़ता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि वे वहां जाते हैं तो उनके यथोचित स्वागत के लिए निश्चय ही व्यवस्था की जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरसिंहन्** : जिस धनराशि का उल्लेख किया गया है वह सहायता, दान या ऋण में से किस रूप में है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : वह अनुदान है ।

†**श्री आचार** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सहायता विकास कार्यों के लिए है या चीनी सीमावर्त्ती सड़कों के विकास के संबंध में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह धनराशि आंशिक रूप में अनुदान और आंशिक रूप में ऋण है । यह ऋण बाद में जारी रहेगा या नहीं यह विचार का विषय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री आचार के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ वर्ष पहले, मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम है, लेकिन निश्चय ही यह सीमावर्ती संकट आने से पहले सड़क कार्यक्रमों पर विचार किया गया था । और फैसला किया गया था । जो भी हो, लेकिन उस समय भी जब कि मैं भूटान गया था, अर्थात दो या तीन साल पहले, हमने इन मामलों पर चर्चा की थी और उनके प्रस्ताव बहुत पहले आ चुके थे । ये वास्तव में भूटान के कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए और भारत से वहां तक पहुंचाने के लिए हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि भूटान की सरकार जो सड़कें बना रही है, उनकी कुल लम्बाई कितनी है, और कितने वर्षों में यह प्रोग्राम पूरा होने की आशा की जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं । १००, ७२, ७०, ३०, ३०, २०, १७, माननीय सदस्य जोड़ लें ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि कितना खर्च हमारा देश उठायेगा और अगर भूटान कुछ खर्च उठायेगा तो कितना ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अंतिम रूप से कुछ कहना कठिन है । भूटान सारे खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा उठाता है । हमने विकास प्रयोजनों के लिए थोड़ा अनुदान और थोड़ा ऋण दिया है । कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऋण देते हैं जो बाद में चलकर अनुदानों में या उसके कुछ हिस्से में बदल दिये जाते है । हमारे द्वारा, हमारे इंजीनियरों द्वारा किया गया खर्च अभी भारत उठा रहा है ?

†**श्री बसुमतारी** : इस तथ्य को देखते हुए कि आसाम में डारंगा में एक व्यापार केन्द्र है और प्रतिवर्ष भूटानी लोग व्यापार के लिए आसाम में कामरूप जिले में आते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि डारंगा से भूटान तक सड़क बनाने की कोई योजना है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : डारंगा से ताजीगंज तक सड़क बनाने का एक प्रस्ताव पहले से ही है ।

†**श्री बसुमतारी** : कितने मील की दूरी है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : ठीक ठीक दूरी हम नहीं बता सकते क्योंकि उसका सर्वेक्षण करना होगा और रेखांकन करना होगा। जब तक वह नहीं हो जाता तब तक हम ठीक ठीक दूरी नहीं बता सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-कानूनी वायदा बाजार

+

†*१०११. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरे में सटोरियों द्वारा दाल के गैर-कानूनी वायदे बाजार के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) न्यायालय में दोष सिद्ध करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य की कमी है ।

(ग) यह मामला समाप्त कर देने का निश्चय किया गया है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इस संबंध म कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उन पर क्यों अभियोग नहीं चलाया जा सका ?

†**श्री कानूनगो** : गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की ठीक ठीक संख्या मुझे मालूम नहीं है । दो तलाशियां हुई थीं । कारण यह है कि जांच के बाद पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं था । जिन कुछ आदमियों ने पुलिस के सामने गवाह के तौर पर ब्यान दिये उन्होंने अदालत में ब्यान देने से इन्कार कर दिया । इसलिए हम इस विशेष प्रयोजन के लिए कि वायदा बाजारों के संबंध में पकड़े गये कागजात वर्तमान विधि के अधीन बिना सिद्ध किये ही न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकें, संसद में एक विधेयक पेश करने जा रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इसी तरह की शिकायतें कानपुर के कुछ व्यापारियों ने तिलहन के बारे में की थी । मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य निर्धारित करने के विषय में वायदा बाजार आयोग का कोई नियंत्रण है और झगड़े के मामले में क्या उसे न्याय निर्णयन करना पड़ता है ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य ने तिलहन के बारे में प्रश्न पूछा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का विवेचन कर रहा हूं कि यदि मान लिया जाय कि कुछ गड़बड़ी है तो क्या मूल्य निर्धारित करने में आयुक्त की कोई शक्ति है ?

†**श्री कानूनगो** : वायदा बाजार में किस सीमा तक सौदे किये जा सकते हैं यह वायदा बाजार आयुक्त निश्चित करता है । यदि निर्देशक वैसा नहीं करते तो वह सीमाएं लागू कर सकता है । दूसरे शब्दों में, केवल वायदा बाजारों में किसी हद तक ही मूल्यों का नियंत्रण करने की शक्ति उसे प्राप्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रोटोटाइप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था

†*१०१२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोटोटाइप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था और फलों को डिब्बों में बन्द करने का कारखाना स्थापित करने के लिये ५० लाख रुपये का साज सामान यूगोस्लाव सरकार से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है; और

(ग) इन संयंत्रों को कहां स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यूगोस्लाव सरकार के सहकार्य से उत्पादन तथा प्रशिक्षण के दो केन्द्र,एक चमड़ा उद्योग के लिये और दूसरा, फलों को डिब्बों में बन्द करने के लिये, स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के ब्यौरे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं। इसलिये अभी इस स्थिति में यह नहीं बताया जा सकता कि क्या ५० लाख रुपये की मशीनें यूगोस्लाविया से आयेंगी या वे केन्द्र कहां स्थापित किये जायेंगे ।

श्री अ० मु० तारिक : स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि इस फ्रूट कनिंग प्लाण्ट को कहां तामीर किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के पेशेनजर कोई ऐसी स्कीम है जिसके तहत इसको रियासत जम्मू काश्मीर में लगाया जाए, क्योंकि रियासत जम्मू काश्मीर में फलों का बहुत बड़ा जखीरा है ।

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने बयान में कहा है अभी तो यह भी तय नहीं हुआ है कि यूगोस्लाव सरकार हमको ५० लाख रुपये दो इंस्टिट्यूट्स के लिये देगी। उनसे खतो किताबत चल रही है। जब वह रुपया आ जाएगा तब यह सवाल उठेगा कि उनको कहां लगाया जाए, और मैं मेम्बर साहब को पूरा भरोसा दे सकता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर स्टेट का ध्यान भी रखा जाएगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मन्त्री ने बताया कि उन्होंने स्थान के बारे में कोई निश्चय नहीं किया है। इस प्रशिक्षण केन्द्र के लिये स्थान चुनने में क्या उन स्थानों के बारे में भी विचार किया जायगा जहां चमड़ा साफ करने की तथा अन्य सुविधायें पहले से ही मौजूद हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमेशा ही ऐसा होता है। खास कर जहां कहीं आर्थिक संभावनायें सर्वोत्कृष्ट होती हैं और अन्य सामाजिक आर्थिक तत्व होते हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है।

सोवियत अकादमी प्रकाशन

\+

†*१०१३. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत अकादमी की "रिफार्मेशन, रिविजनिजम एण्ड प्राब्लम आफ कन्टेम्पोरेरी कैपिटलिज़म" नामक पुस्तक को देखा है जिसमें भारत के प्रधान मन्त्री की घरेलू नीति

†मूल अंग्रेजी में

पर आक्रमण किया गया है और यह दिखलाया गया है कि भारत राजकीय पूंजीवाद का निर्माण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) सरकार ने यह पुस्तक देखी है। इसमें भारत के प्रधान मन्त्री की घरेलू नीति पर कोई आक्रमण नहीं है। अन्य बातों के साथ साथ इस पुस्तक के एक लेख में श्री जे० पी० चन्द्र द्वारा लिखित "इण्डियाज़ सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी" नामक पुस्तक के कुछ उद्धरणों का खण्डन किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह वाक्य अर्थात् भारत राजकीय पूंजीवाद स्थापित कर रहा है, इस पुस्तक में है या नहीं ?

†**श्री सादत अली खां** : वही हमने अभी बताया है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह आंशिक रूप से ठीक है।

नैतिक पुनरुत्थान संगठन[1]

+

†*१०१५. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैतिक पुनरुत्थान संगठन (मोरल रिआर्मामेंट आर्गेनाइजेशन) भारत में अपना काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के काम काज के सम्बन्ध में कितने विदेशी १९६० में अब तक भारत आये; और

(ग) ऐसे कितने विदेशी अभी भी भारत में हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). नैतिक पुनरुत्थान संगठन के ७३ सदस्यों को भारत आने के लिये वीसा दिये जाने की अनुमति इस वर्ष फरवरी में दी गयी थी। यह दल विश्व यात्रा कर रहा था।

(ग) यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है किन्तु उन्हें दिये गये वीसा भारत में केवल तीन महीने तक के निवास के लिये थे।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार को मालूम है कि केरल राज्य के एक सरकारी पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बड़ा शिष्टमण्डल अभी यूरोप में नैतिक पुनरुत्थान संगठन के सम्मेलन में भाग ले रहा है और क्या केरल सरकार ने एक राज्य कर्मचारी को उस सम्मेलन में भाग लेने के लिये अनुमति देने से पहले केन्द्रीय सरकार से पूछा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Moral Rearmament Organisation.

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह बात इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होती है ? यह तो विदेशियों को वीसा दिये जाने के सम्बन्ध में है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह भाग (क) के सम्बन्ध में है कि क्या नैतिक पुनरुत्थान संगठन भारत में काम कर रहा है । उसकी कार्यवाहियों के लिये लोगों को भेजा जा रहा है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये वे लोग हैं जो विदेश जाने के लिये भारत से रवाना हो चुके हैं ।

†**श्री तंगामणि**: क्या सरकार को मालूम है कि कोबे में नैतिक पुनरुत्थान सम्बन्धी विश्व सभा (वर्ल्ड असेम्बली) में भाग लेने के बाद भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के श्री एस० एम० नारायणन् द्वारा इस आशय का एक वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था कि नेहरूवाद, भारतीयवाद और खासकर सहअस्तित्व के सिद्धान्त के विरोध में वहां स्कूल चलाये जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : किसी खास नाम या पत्र के बारे में मुझे याद नहीं है लेकिन हमारा ध्यान ऐसे वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को मालूम है कि नैतिक पुनरुत्थान संगठन द्वारा जारी किये गये घोषणा पत्र का इस देश में व्यापक प्रचार किया गया था और उसमें अन्य बातों के साथ साथ वह बातें भी हैं जो मैं पहले कह चुका हूं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने वह घोषणा पत्र नहीं पढ़ा है और मैं नहीं जानता कि उसका कितना व्यापक प्रचार किया गया है लेकिन मोटे तौर पर हम नैतिक पुनरुत्थान संगठन का रुख जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वह हमारी नीति के अनुरूप नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि ७३ लोगों को इस देश में आने के लिये वीसा दिये गये थे । क्या मैं जान सकता हूं कि नैतिक पुनरुत्थान संगठन के इन ७३ सदस्यों का त्रिवेन्द्रम के राज भवन में स्वागत किया गया था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जब ये लोग त्रिवेन्द्रम में थे, वे राज्यपाल से मिलना चाहते थे और राज्यपाल ने उनसे मुलाकात की और मैं समझती हूं कि उन्हें चाय भी पिलायी गयी । कुछ स्थानीय लोगों को भी वहां निमन्त्रित किया गया था ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या भारतीय भी इस संगठन के तत्वावधान में विदेश जाते हैं और यदि हां, तो उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं समझती कि कोई विदेशी मुद्रा दी जाती है किन्तु भारतीय अवश्य ही इस विश्व सभा में जाते हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार ने किन्हीं सरकारी पदाधिकारियों को इस वर्ष कांक्स में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिये पारपत्र जारी किये थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे उसके लिये सूचना चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सामान्यतया हमसे ऐसी कोई मांगें नहीं की जातीं । यदि पहले ऐसी कोई घटना हुई हो तो मैं नहीं जानता । कोई व्यक्ति किसी कारण से बाहर जाता है और अपनी विदेश यात्रा का, हो सकता है उस सम्मेलन में भाग लेने के लिये, फायदा उठाता है किन्तु हमारी ओर से पारपत्र या विदेशी मुद्रा दिये जाने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन् नायर** : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस नैतिक पुनरुत्थान संगठन के कुछ राजनैतिक कार्यक्रम हैं और इसके अधीन कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं । क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि जो लोग त्रिवेन्द्रम आये हुए थे और वहां काफी समय तक रहे, उनका मंत्रियों से, सरकारी पदाधिकारियों से सभी प्रकार का सम्पर्क हुआ और वे जेलों में तथा अन्य जगहों पर भी गये ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे संगठन को जो खुली तौर से राजनैतिक क्षेत्र में काम करता है, कार्यवाहियों को पसन्द करती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हम नैतिक पुनरुत्थान संगठन के कार्यवाहियों या राजनैतिक विचारों का अनुमोदन नहीं करते ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रधान मन्त्री ने बताया कि उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें कि नैतिक पुनरुत्थान संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत से जाने वाले किसी व्यक्ति को पारपत्र दिया गया है । क्या मैं बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री रामनाथ त्रिपाठी और उनकी पत्नी तथा राज्य सभा के सदस्य श्री गोपीनाथ सिंह नैतिक पुनरुत्थान संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिये गये थे ? क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें सम्मेलन में भाग लेने के लिये अथवा किसी अन्य कारण से पारपत्र दिये गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि हम नैतिक पुनरुत्थान संगठन में भाग लेने के लिये किसी को पारपत्र जारी नहीं करते । किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये विदेशों में जाने के लिये पारपत्र दिया जाता है । यदि वह उस से फायदा उठाता है तो वह दूसरी बात है । फिर, मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष कोई कर्मचारी नहीं है । मुझ से कर्मचारियों के बारे में प्रश्न पूछा गया था ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को मालूम है कि नैतिक पुनरुत्थान संगठन ने हमारे देश के अनेक नागरिकों के लिये आधी दुनिया देखना संभव बना दिया है और बाकी आधी दुनिया देखना शांति सम्मेलन ने संभव बना दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, सभी माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं, जानकारी मांग नहीं रहे हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या "न्यू स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक ब्रिटिश संसद् सदस्य के हाल के लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिस में नैतिक पुनरुत्थान संगठन के संस्थापक की इस कारण कटु आलोचना की गई है कि वह यह खास तौर पर दावा करते हैं कि वह आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उपाधि से सम्बद्ध हैं, और जिसमें उपरोक्त संसद् सदस्य ने संगठन के संस्थापक के पास उपलब्ध धनराशि और उस के राजनैतिक दर्शन के बारे में शंका व्यक्त की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : प्रधान मंत्री ने बताया कि किसी अन्य कारणों से पारपत्र मांगे जाते हैं और बाद में नैतिक पुनरुत्थान संगठन में भाग लेने के लिये अवसर से लाभ उठाया जाता है । क्या सरकार को मालूम है कि केरल सरकार के राज्य परिवहन निरीक्षक ने खास तौर से नैतिक पुनरुत्थान संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिये पारपत्र मांगा था और क्या उसे पारपत्र दिया गया है और किस ने उसका खर्च उठाया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता, मैं बिना पूछताछ के उत्तर नहीं दे सकूंगा किन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि किसी सरकारी नीधि से खर्च नहीं दिया गया है । हो सकता है कि कभी कभी नैतिक पुनरुत्थान संगठन ने निधियां दी हों ।

†श्री ब्रजराज सिंह : वह हमेशा ही देता है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : और शांति परिषद् भी ।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं सहमत हूं ।

†श्री तंगामणि : क्या मैं जान सकता हूं कि विमोचन समर समिति के नेताओं जैसे मन्नथ पद्मनाभन् और वर्तमान गृह-कार्य मंत्री ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और इस शिष्टमंडल के यहां वापस लौटने के बाद यह कहा गया था कि ईश्वर ने ही केरल को साम्यवाद से बचाया था ।

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । प्रत्येक माननीय सदस्य जो कुछ भी कहता है वह सब केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : जहां तक मुझे मालूम है, नैतिक पुनरुत्थान संगठन और सोवियत रूस की शांति परिषद् अपने अपने ढंग से अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार उन के काम को मान्यता देगी ।

दार्जिलिंग में तिब्बती शरणार्थी

+

†*१०१६. { श्री प्र० के० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी तिब्बती शरणार्थी जो हाल ही में तिब्बत से आये हैं, यह चाहते हैं कि उन्हें दार्जिलिंग में बसाया जाय ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन शरणार्थियों के बारे में उचित छानबीन की जाती है ; और

(घ) जो तिब्बती गोरखपुर आये हैं, क्या उन्होंने दार्जिलिंग में बसने की अपनी इच्छा प्रकट की है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका): (क) और (ख). जी नहीं । सभी शरणार्थी दार्जिलिंग में नहीं बसना चाहते लेकिन उन में से अधिकतर चाहते हैं क्योंकि दार्जिलिंग जिले में पहले ही से काफी तिब्बती लोग बसे हुए हैं और फिर दार्जिलिंग का जलवायु उन के लिये अधिक उपयुक्त होगा ।

(ग) जो भी शरणार्थी भारत में आते हैं उन की यथोचित रीति से छानबीन की जाती है ।

(घ) जो शरणार्थी गोरखपुर आये हैं वे भी उपरोक्त कारणों से दार्जिलिंग में बसना अधिक पसन्द करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व की दृष्टि से क्या सरकार नीलगिरि की पहाड़ियों में इन तिब्बती शरणार्थियों को बसाने का विचार कर रही है, जहां जलवायु समानतः अच्छा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नीलगिरि पहाड़ियों संबंधी कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है, परन्तु वास्तव में, माननीय सदस्य ने जिस कारण का उल्लेख किया है, उस से नहीं, अपितु उपयुक्त खेती योग्य भूमि पाने के लिये हम उन को और दक्षिण में बसाने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं ।

नागा विद्रोही

†*१०१७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गीबू पर्वत श्रेणी में कुछ नागा गांवों के निवासियों ने नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र प्रशासन से यह प्रार्थना की है कि उन्हें नागा लूटमार से बचाया जाय ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की लगभग संख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें पर्याप्त संरक्षण देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) ३३ ।

(ग) गांवों ने स्वेच्छापूर्वक, हमारे रक्षा दल से सहायता प्राप्त करने तथा विद्रोहियों को सहायता न देने के लिये छः स्थानों पर एकत्रित रहने का फैसला कर लिया है ।

एकत्रित गांवों की देखभाल एक मंडल अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिस के पांच क्षेत्र सुपरिंटेंडेंट सहायक होंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उन गांवों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये गांव अपनी रक्षा के लिये इकट्ठे हो गये हैं और उन की देख भाल की जा रही है । हम ने ५३००० रुपये के व्यय के काम हाथ में लिये हैं । वर्तमान स्कूल आदि पहले की तरह चलते रहेंगे ।

†**श्री अज राज सिंह** : क्या ये वही गांव हैं, जहां पांच दिन पहले राजभक्त नागाओं की रक्षा के लिये भेजी गई सेना को विद्रोही नागाओं ने घेर लिया था जिस के परिणामस्वरूप, शस्त्रास्त्र तथा अन्य सामग्री गिराने के लिये एक विमान भेजना पड़ा था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये नये गांव हैं ।

श्री प्र० के० देव : शिलांग से पी० टी० आई० का समाचार है "विद्रोही नागाओं ने यहां प्राप्त एक समाचार के अनुसार तीन या चार दिन पहले कोहीमा जिले में आसाम राइफल्स के एक दस्ते पर आक्रमण किया । इस समाचार की कोई तात्कालिक शासकीय पुष्टि नहीं है ।" क्या कोई शासकीय पुष्टीकरण हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न कल के लिये था, परन्तु वह अब उठा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : क्या इस से हम समझें कि उन के साथ सरकार द्वारा हाल में किये गये समझौते के बावजूद ये विद्रोही गतिविधियां हो रही हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: समझौता विद्रोहियों के साथ नहीं हुआ, बल्कि नागा राष्ट्रीय समारोह के साथ हुआ था, जो एक भिन्न संस्था है और जो विद्रोहियों के विरुद्ध है। यह सच है कि कुछ और क्षेत्रों में समय समय पर विद्रोहियों की गतिविधियां चलती रहती हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या हमें विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ने में गांव वालों से या सम्बद्ध गांवों से कोई सहायता प्राप्त हो रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां, दो प्रकार से। एक गांवों के गार्डों से जिन्होंने निस्सन्देह बड़ा अच्छा काम किया है, और दूसरे गांव वालों से, जब विद्रोहियों ने उन के काम में हस्तक्षप किया, तो उन्हों ने हमेशा जोरदार प्रतिक्रिया की है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि आसाम राइफल्स के सदस्यों को जो वहां नागा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये हिदायतें दी गई हैं कि जब तक उन पर गोली न चलाई जाय, वे गोली न चलायें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे सैनिकों और आसाम राइफल्स को इन पिछले वर्षों से हमारी ये हिदायतें रही हैं कि वे नागाओं से वैसा बर्ताव न करें, जैसा वे साधारणतया शत्रुओं से करते हैं, क्योंकि वे हमारे देशवासी हैं बल्कि उन्हें जीतने की कोशिश करें, परन्तु यदि उपद्रव हो तो गोली चला दें, यह स्वविवेक उन को दिया गया है, परन्तु उन्हें साधारण तया इस से बचने को कहा गया है। परन्तु जब कभी आक्रमण होता है, तो निश्चय ही गोली चलानी पड़ती है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि नागा कनवैंशन वाले जो लोग हैं, जो कि हमारे साथ हैं उन की तादाद क्या है ? नागा कनवैंशन के खिलाफ जो लोग हैं जोकि हमारे खिलाफ बगावत किये हुए हैं, उन को दबाने में नागा कनवैंशन वाले किस हद तक हमारी मदद करते हैं ताकि होस्टाइल्ज का जोर जुल्म न हो ?

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न तो अभी पूछा गया है और इसका अभी जवाब दिया गया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस के बारे में मैंने अभी अर्ज किया है। जो मदद है वह बहुत तरह से होती है। एक तो यही मदद है कि उन की मदद वे न करें। उन की मदद से मतलब है पैसा न दें, खाने पीने वगैरह का सामान न दें। इन्हीं चीजों से तो वे रह सकते हैं। और एक बड़ी बात तो यह है कि दूसरे जो हैं, उन्होंने हमें मदद दी है। विल्लेज गार्ड कहिये, चौकीदार कहिये उन्होंने हमें कई तरह से मदद दी है और और तरह से भी मौके मौके पर उन का मुकाबला किया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि नागा समारोह के साथ हाल में हुए समझौते के पश्चात् विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, और क्या समारोह ने भी ऐसी आशंका प्रकट की थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : साधारणतया, पिछले कुछ महीनों में विद्रोहियों की गतिविधियां बड़े क्षेत्र से समाप्त कर दी गई हैं, और वे बर्मा की सीमा की ओर अधिक चले गये हैं। हाल ही में उस सीमा ही के पास बड़े पैमाने पर विद्रोही गतिविधियां हुई हैं, जिस के बारे में एक या दो दिनों में सभा में वक्तव्य दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी : जब से नागा लैंड की स्थापना का एलान हुआ है, उसके बाद से जो होस्टाइल नागा हैं, उनके जजबात को मालूम करने के लिए हकूमत की तरफ से क्या कोई कोशिश की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो नागा कनवैंशन के लोग हैं, उनकी कोशिश तो यही रहती है कि वे उनकी तरफ आ जायें और बहुत सारे लोग मेरे खयाल में उनकी तरफ पहले थे और अब और भी आ गये हैं । लेकिन जो एक गुट्टी है, होस्टाल्ज की कहिये या कुछ और, हजार डेढ हजार आदमियों की, मैं नहीं कह सकता कि उन में से कितनों पर असर हुआ है । लेकिन जाहिर है कि अकसर उन पर असर कुछ नहीं हुआ है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच है जसा कि समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है कि नागा विद्रोहियों ने बातचीत के लिये और अपने हथियार डालने के लिये प्रयत्नों के हेतु नागा समा ोह के प्रतिनिधियों से कहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसने कहा है ? क्या समारोह के लोगों ने ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विद्रोही नागाओं ने अपनी गतिविधियां बन्द करने की दृष्टि से कुछ बातचीत करने के लिये समारोह के लोगों से कहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस का विपरीत अर्थ समझा था । माननीय सदस्य पूछते हैं कि क्या क्या विद्रोही नागाओं ने समारोह के लोगों से अपने हथियार डालने के लिये प्रार्थना की है हथियार कौन डालेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन्होंने हथियार डालने की पेशकश की है और क्या उन्हें उन्मुक्ति या रक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे हाल की ऐसी किसी प्रार्थना का पता नहीं । उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता है, ऐसा करने से उन्हें कोई ोक नहीं सकता ।

श्री अमजद अली : श्री स० मो० बनर्जी का सवाल यह था कि जो होस्टाइल नागाज हैं, उनके जजबात को मालूम करने के लिए हकूमत की तरफ से क्या कोई कोशिश की गई है ? इसका जवाब नहीं दिया गया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में यह नहीं आता है । तीन किस्म के लोग हैं, एक होस्टाइल लोग हैं, एक गिरोह है, जो कुछ कहिये, हजार का है या दो हजार का है । दूसरे वे हैं जो उनके मुखालिफ हैं । वे भी जो कुछ हों, हजारों में हैं । तीसरे वे हैं जो मामूली लोग हैं, बड़ी भारी तादाद में हैं, जो अपना घरबार देखा चाहते हैं, खेती किया चाहते हैं । असल में जिन पर कोशिश की जाती है असर डालने की वे मामूली लोग हैं सब में ज्यादा, और उनको समझाने की कोशिश की जाती है और देखा जाता है कि वे इस बात को समझें । होस्टाइल्ज पर भी कोशिश की जाती है लेकिन उन से तो कोई मुकाबला नहीं है, उनके साथ तो खाली बन्दूक से मुकाबला होता है या फिर वे अपने आप को सरेंडर करके आयें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेटेन्ट और डिजाइन कानून

+

†*१०१८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पेटन्ट और डिजाइन कानून में संशोधन करने तथा उसे समेकित करने का प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार किया जा चुका है; और

(ख) उस कानून में संशोधन करने से निर्माताओं और सरकार को किस प्रकार का लाभ होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). न्यायाधीश श्री राजगोपाल अय्यंगार की सिफारिशें, इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले विभिन्न निकायों और लोगों से प्राप्त टिप्पणियों के साथ साथ विचाराधीन हैं । पेटेंट विधि के प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य, भारत में औद्योगिक उन्नति के लिये नवीन आविष्कारों और अनुसंधानों के विकास तथा प्रयोग को प्रोत्साहन देने का है । सब पहलुओं पर पूर्णतया विचार करने के उपरांत सरकार शीघ्रातिशीघ्र एक संशोधन विधेयक सभा के समक्ष लाने की आशा करती है । औद्योगिक डिजाइन विधि के संशोधन का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सिफारिशों के बारे में किन संस्थाओं से मत मांगे गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा पटल पर मुख्य प्रतिवेदन रख चुका हूं, जिस में प्रत्येक पहलू पर व्यापक रूप से विचार किया गया है । माननीय सदस्य पुस्तकालय से उसे ले सकते है । यदि उन्हें किसी विशिष्ट पहलू में दिलचस्पी है तो मैं तत्सम्बन्धी सूचना दे सकता हूं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : किन संस्थाओं से मत मांगे गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : साधारणतया जनता से, और विशेषकर उन से जिन्हें ट्रेड मार्कों और पेटेंटों में दिलचस्पी है तथा औद्योगिक संस्थाओं और अनुसंधान संगठनों से मत मांगे गये थे ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : पिछले दिसम्बर में माननीय मंत्री ने कहा था कि संशोधक विधेयक इस वर्ष के प्रारम्भ में इस सभा में लाया जायेगा । इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने ऐसा आश्वासन कभी नहीं दिया कि यह इस वर्ष के प्रारम्भ में सभा में लाया जायेगा । मैं ने वास्तव में कहा था कि ज्यों ही विभिन्न निकायों से परामर्श पूरा हो जायेगा, यह किया जायेगा । वास्तव में, यह बड़ा व्यापक विधान है जिसका सैकड़ों उद्योगों और अनुसंधान कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा । इसलिये हम सभा में विधेयक लाने से पहले सब पहलुओं का विस्तृत रूप से परीक्षण करना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मकानों की मालकियत की अधिकतम सीमा

†*१०२०. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के बड़े शहरों में मकानों की मालकियत की अधिकतम सीमा रखने के लिए कोई विधान प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या सरकार को पता है कि किसी राज्य ने ऐसा कदम उठाया है और यदि हां, तो किस राज्य ने ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** १९५८ में पंजाब सरकार के सामने एक प्रस्ताव था ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या सरकार यह सोचती है कि इस प्रकार की विधि ग्रामीणों और नागरिकों की आय के बीच का अन्तर हटाने में सहायक होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में मतभेद की गुंजाइश है ।

†**श्री अजराज सिंह :** क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिन गांवों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है वे इस की ज़ोरदार प्रतिक्रिया कर रहे है और यह मांग कर रहे हैं कि मकानों की मालकियत की अधिकतम सीमा नगरीय क्षेत्रों में भी लगाई जानी चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इस उद्देश्य के लिये विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : कुछ दिन पहले ए० आई० सी० सी० ने ऐसा परामर्श दिया था—हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी दिया हो—कि गांव में भी जमीन पर सीलिंग हो और शहरों में भी मकानों के ऊपर सीलिंग हो । मैं जानना चाहता हूं कि ए० आई० सी० सी० के इस निर्देश को किस हद तक हमारी केन्द्रीय सरकार ने माना है ?

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : जवाब नहीं देते ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं जवाब दे दूं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी जवाब देते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं महज इतना अर्ज करूंगा कि इस किस्म की सीलिंग मकानों पर लगाने में कठिनाइयां हैं, लेकिन मेरी राय है कि कोशिश करनी चाहिये कि ऐसे बड़े मकान बनने रोके जायें । इस पर कानूनी तौर से रोक लगाना तो कठिन हो जाता है, लेकिन रोकने की कोशिश होनी चाहिये ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या सरकार ने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है या इनकार कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : हम ठीक से नहीं कह सकते कि इस बारे में पंजाब सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा था । हमारी सूचना यह है कि बाद में स्वयं पंजाब सरकार ने उसे वापिस ले लिया था ।

नागा पहाड़ियों में विदेशी धर्म प्रचारक

+
†*१०२२. { श्री आसर :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा पहाड़ियों में काम करने वाले विदेशी धर्म प्रचारकों के विरुद्ध शिकायतें आयी हैं कि वे विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं;

(ख) क्या ट्रम्बले द्वारा लिखित "रेज आई सी इंडिया" नामक पुस्तक जिसमें भारत के विरुद्ध प्रचार किया गया है, नागा छात्रों में बांटी गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) हाल के वर्षों में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिलीं। बहुत वर्ष पूर्व ऐसी शिकायतें मिली थीं। इस समय नागा पहाड़ियों में केवल एक विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक है । उन का कार्य केवल धार्मिक है और अभी तक हमें उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली ।

(ख) हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या सरकार का ध्यान उस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि एक नागा विद्रोही स्त्री बेच पारपत्र के बिना कोचीन की पत्तन से धर्मप्रचारकों की सहायता से निकल गई है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उसे भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी । कोई भी उसके पीछे नहीं था।

†श्री आसर : क्या इस क्षेत्र में हिन्दू धर्म प्रचारकों को इजाजत है ? यदि नहीं, तो उन पर क्या पाबंदियां हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : साधारणतया, किसी भी धर्म प्रचारक को इजाजत नहीं, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या और कोई हो । व्यक्ति के नाते वे सहायता कार्यों और अन्य कामों के लिये जा सकते हैं । परन्तु हमेशा यह डर रहता है कि धर्म प्रचारकों के अधिक उत्साह के कारण उन का इन वर्तमान परिस्थितियों में वहां के स्थानीय लोगों से झगड़ा न हो जाए, क्योंकि हम वहां असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं ।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय ईसाई धर्म प्रचारक उस क्षेत्र में अभी भी सक्रिय हैं ? यदि हां तो अन्य धर्म प्रचारकों को क्यों वहां जाने दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : बाहर वाला कोई वहां नहीं जाता । वे धर्म प्रचारक नहीं हैं । माननीय सदस्य स्थानीय नागा पादरियों का उल्लेख कर रहे हैं जो अपने गिरजाघरों में काम करते हैं । बाहर का कोई व्यक्ति वहां नहीं जाता ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि नागा प्रदेश की ४ लाख की जनसंख्या में से १ लाख के लगभग नागा ईसाई बनाये जा चुके हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे नम्बर तो नहीं याद है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो । यह आज तो नहीं बने हैं, एक जमाने से बने हैं ।

श्री अमजद अली : चूंकि यह मिशनरीज वहां पहले से बसे हुए हैं, हुकूमत की तरफ से क्या कारंवाई की जा रही है कि वे लोग हमारे सयासी मामलात में दखल न दें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कौन से मिशनरीज के बारे में आप पूछ रहे हैं ?

श्री अमजद अली : पैस्टर्स वगैरह जो हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : वे वहीं के रहने वाले हैं, और उन में अक्सर लोग हमारा साथ दे रहे हैं, अक्सर लोग हम से लड़ाई लड़ रहे हैं । वे वहीं के लोग हैं कुछ लड़ रहे हैं और कुछ नहीं लड़ रहे हैं ।

आकाशवाणी के समाचार बुलटिन

†*१०२३. श्री मोहम्मद इलियास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ११ जुलाई, १९६० से १६ जुलाई, १९६० के बीच सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं जिनमें आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारों को गलत बताया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने कलकत्ते के कुछ दैनिक समाचार पत्रों में आकाशवाणी द्वारा गलत समाचार प्रसारित किये जाने के बारे में शिकियतें देखी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) कलकत्ता स्टेशन में प्राप्त शिकायतें मुख्यतया हड़ताल संबंधी स्थिति के बारे में दो बंगाली समाचार बुलेटिनों की अशुद्धियों के बारे में थीं । शिकायतें टेलीफून पर आई थीं और उनका कोई अभिलेख नहीं रखा गया है ।

(ख) तथा (ग). उपरोक्त समाचार बुलेटिनों के बारे में कलकत्ता के कुछ समाचारपत्रों में आलोचना देखी गई थीं, जो गाड़ियों के चलने के बारे में था । आकाशवाणी का अपना कोई समाचार संगठन नहीं है और यह सामान्यतया अभिकरण संदेशों और शासकीय स्रोतों पर निर्भर करता है । कलकत्ता में एक संवाददाता है जो बीमार होने के कारण छुट्टी पर था । इस के इलावा, समाचार बुलेटिन द्वारा दी गई गलत बात का कारण यह था कि शासकीय समाचार बुलेटिन, जिन के बारे में शिकायतें की गई थीं, बंगाली में दिल्ली से तैयार किये तथा प्रसारित किये गये अखिल भारतीय समाचार बुलेटिन थे और उनका उद्देश्य अखिल भारतीय स्थितिका संक्षेप देना था । संभवतः गलत-फहमी को दूर करने के लिये, यह कदम उठाये गये थे कि दिल्ली से प्रसारित समूची भारतीय भाषाओं के समाचार बुलेटिनों में यह स्पष्ट किया गया कि वे दिल्ली से अखिल भारतीय सूचनाओं का संक्षेप

---

†मूल अंग्रेजी में

देने वाले अखिल भारतीय समाचार बुलेटिन थे। प्रादेशिक समाचार इकाइयों को ये हिदायतें दी गई थीं कि यहां तक संभव हो, समाचार प्रकाशित करने के पूर्व उन का सत्यापन करवा लिया जाए।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : कल ही प्रधान मंत्री ने प्रेस की आलोचना की है कि वह गलत खबरें फैलाता है या समाचार बढ़ा चढ़ा कर देता है। आकाशावणी ने, जो सरकार का एक विभाग है, क्यों ये कही सुनी बात फैलाईं जिन से कलकत्ता और दूसरे स्थानों पर हजारों यात्रियों को भारी कष्ट सहन करना पड़ा? आकाशावणी के द्वारा ऐसी खबरें न प्रसारित की जाएं इसके लिये सरकार क्या कार्रवाई करेगी? साथ ही सरकार को इस समाचार को तैयार करने वाले अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये।

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य सामान्य वक्तव्य दे रहे हैं। जैसा कि मैं ने कहा, दिल्ली से जारी दो बंगाली समाचार बुलेटिनों के बारे में शिकायतें आई थीं। और हड़ताल से अगले दिन कलकत्ता ने भी उन्हें प्रसारित किया। यह गाड़ियों के चलने के बारे में था। मैंने बताया कि गाड़ियों के चलने के बारे में सामान्य संक्षेपिका अखिल भारतीय आधार पर थी और केवल कलकत्ता केन्द्र के लिये नहीं थी। दुर्भाग्य से, अगले बुलेटिन में इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी। परन्तु हमने यह व्याख्या की कि यह अखिल भारतीय समाचार की संक्षेपिका थी और केवल कलकत्ता केन्द्र के लिये नहीं थी।

†**मोहम्मद इलियास** : सही सूचना एकत्रित करने के लिये सरकार के पास क्या साधन थे? क्या उसके पास रिपोर्टर हैं या वे सरकार के सूचना विभाग पर ही पूर्णतः निर्भर रहते हैं?

†**डा० केसकर** : साधारणतया हमें अभिकरण संदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ स्थानों पर हमारे स्थानीय संवाददाता हैं जो समाचार एकत्र करने वाले नहीं है परन्तु वे रिपोर्ट आदि तैयार करते हैं। दुर्भाग्य से कलकत्ता का संवाददाता अस्वस्थता के कारण एक सप्ताह पूर्व छुट्टी पर चला गया था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या जांच करने पर शिकायतें ठीक निकलीं या नहीं?

†**डा० केसकर** : मैं कह चुका हूं कि उस रिपोर्ट विशेष के बारे में भी, जो समाचार दिया गया था, वह इन अर्थों में सही था कि समाचार रात्रि को प्राप्त हुआ था, कि गाड़ियों के चलने के बारे में साधारण स्थिति थी। प्रातः तक जब समाचार सुनाया गाया, उस विशेष स्थान पर गाड़ियों का चलना बन्द हो गया था। केवल गलती इतनी थी कि उनके पास कोई संवाददाता नहीं था जो उस समय जाकर इस बात का पता करता कि क्या उस समय तक गाडियों का चलना बन्द हो गया था। परन्तु बाद में गलती को ठीक करने का प्रयास किया गया।

†**श्री प्रभात कार** : आकाशवाणी से प्रसारित अखिल भारतीय समाचार के अतिरिक्त, कलकत्ता आकाशवाणी का कलकत्ता केन्द्र स्थानीय समाचार भी देता है। ऐसा कैसे हुआ कि कलकत्ता के स्थानीय केन्द्र ने भी वही समाचार दिया जो अखिल भारतीय बुलेटिन में दिया गया था?

†**डा० केसकर** : मेरे पास स्थानीय समाचार बुलेटिन संबंधी कोई शिकायत नहीं आई।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि आकाशवाणी केवल वही समाचार प्रसारित करता है जो इसे पी०टी०आई० और मंत्रिमंडल के सचिव श्री विष्णु सहाय द्वारा दिये जाते हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

जो उस का प्रभारी था ? यदि नहीं, तो आकाशवाणी के पास और क्या आधार था और इस ने पी० टी० आई० या श्री विष्णु सहाय से प्राप्त समाचारों की जांच कैसे की ?

†**डा० केसकर :** जैसा कि मैं ने कहा, आकाशवाणी के पास अभिकरण तथा शासकीय स्रोत हैं। हड़ताल के बीच, यदि इसने अन्य साधन भी ढूंढे होते, तो वे उपलब्ध न होते, क्योंकि ११ तारीख की रात्रि से, बहुत से दूर स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते थे, चाहे हम इच्छा भी करते ।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों से सही सूचना क्यों नहीं ली गई ?

†**डा० केसकर :** ये सब संबद्ध विभागों से एकत्रित की जाती हैं, चाहे वह डाक तार हो या रेलवे या कोई और। केवल सही सूचना प्राप्त करने के उपरांत ही यह प्रसारित की जाती है।

†**श्री काशी नाथ पांडे :** क्या देश के किसी और भाग से शिकायत आई थी कि आकाशवाणी के समाचार गलत थे या यह बात केवल कलकत्ता में ही हुई ?

†**डा० केसकर :** मुझे कलकत्ता के अतिरिक्त कहीं से कोई शिकातय नहीं मिली, और यह भी इन्हीं बुलेटिनों के बारे में ।

सेठ अचल सिंह: क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इनकरेक्ट न्यूज निकली थी उसको बाद में ठीक करा दिया गया ?

डा० केसकर : ठीक ही नहीं किया बल्कि हमने जनता के प्रति अफसोस जाहिर किया कि उनको तकलीफ़ हुई, और कहा कि इसके बाद हम इस तरह की न्यूज़ पहले जांच पड़ताल किए बिना अपने बुलेटिन में नहीं निकालेंगे ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** अभी हाल तक, हमारा बड़ा योग्य समाचार संपादक था, जिसने बम्बई के एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र के लिये नौकरी छोड़ दी । यदि केवल कुछ अधिक वेतन का प्रश्न था, तो हमने इतने योग्य संपादक को क्यों गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करने की अनुमति दी ?

†**डा० केसकर :** यह इस से उत्पन्न नहीं होता । चूंकि उसे अन्यथा अधिक वेतन मिला, इसलिये उसने नौकरी छोड़ दी । मैं उसे कैसे रोक सकता था।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त और किसी राज्य से आकाशवाणी के समाचारों के बारे में कोई शिकायत नहीं आई ?

†**डा० केसकर :** और किसी राज्य से शिकायत नहीं आई ।

शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में रोजगार के अवसर

*१०२४. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के आरम्भ में शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में जिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के विकास के बारे में योजना आयोग ने कोई सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ;

---

†तूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त रिपोर्ट में कोई सुझाव दिये हैं ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, १९५९ में जांच की गई थी ।

(ख) से (घ). जांच समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की वह राज्य सरकारों को भेज दी गई कि वे भी इस किस्म की जांच करायें और समिति के सुझावों को जिला और स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लायें ताकि रोजगार बढ़ाने संबंधी योजनाओं को तैयार करने में उन्हें आसानी हो ।

श्री सरजू पाण्डेय : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि सन् १९५९ में स्टडी टीम ने इसकी जांच की थी ।मैं जानना चाहता हूं कि उस टीम ने रोजगार बढ़ाने के लिये क्या सुझाव दिये थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : लम्बे सुझाव हैं । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं सदन की मेज पर उनके सुझाव रख दूंगा ।

श्री सरजू पाण्डेय : अगर सुझाव बहुत लम्बे न हों तो मंत्री जी उनको मुख्य रूप से बतला दें ।

श्री ल० ना० मिश्र : उनके मुख्य सुझाव हैं कि जिले के अन्दर जो विकास कार्य हो रहे हैं वे इस तरह से किये जायें जिसमें कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जा सके, जिलों का सालाना कार्यक्रम बनाना चाहिये जिसमें रोजगार की बात भी रहे, उन्होंने जिला स्तर पर एक समिति बनाने की राय भी दी है, और कहा है कि खेती के काम में भी रोजगार दिया जा सकता है । परन्तु उनका सबसे मुख्य सुझाव यह है कि देहातों में स्थानीय साधनों के जरिये रोजगार दिलाया जा सकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकला है ? क्या यह पता चला है कि बेकारी बढ़ी है और यदि हां, तो किस मात्रा में ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता करना था कि विभिन्न जिलों में विकास योजनायें कैसे कार्यान्वित की जा रही हैं और क्या अधिक लोगों को रोजगार देने की गुंजाइश है और तब इसके संचालन में परिवर्तन किये जायें ?

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में केवल शाहजहांपुर में किया गया या किसी और स्थान पर भी किया गया था ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह केवल शाहजहांपुर जिले में ही किया गया, पर राय यह है कि हर सूबे में एक एक विकास खंड लिये जायं और उनकी जांच हो ।

श्री पहाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सारे हिन्दुस्तान में सर्वे हो जाएगा तो क्या उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इसको भी रखूंगा और भी आगे जो रिपोर्टें आयेंगी उनको भी सदन के सामने रखूंगा ।

†**श्री का० ना० पाण्डे** : शाहजहांपुर जिला को चुनने की क्या कसौटी थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उत्तर प्रदेश के विकास आयुक्त ने सुझाव दिया कि शाहजहांपुर की आर्थिक अवस्था पश्चिमी जिलों जैसी अच्छी और पूर्वी जिलों जैसी बुरी नहीं है, इसलिये इसे चुना गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सही है कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह जो समिति बने उसको जिलाधीश बनायें और उसको चलाने की जिम्मेदारी भी उसी पर हो। क्या सरकार यह सोचती है कि जो काम जिलाधीश की अध्यक्षता में चलेगा जिले में उसमें जनता का पूरा सहयोग नहीं मिल सकेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह बात असत्य है। अभी भी जो काम हो रहा है वह जिलाधीश की अध्यक्षता में हो रहा है और अच्छे ढंग से काम हो रहा है।

चाय की नीलामी और बुकिंग

+

†*१०२५. { **श्री विश्वनाथ राय** :
श्री क० उ० परमार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी फर्मों ने कलकत्ते में निर्यात के लिये चाय की नीलामी और बुकिंग पर एकाधिकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एकाधिकार के कारण सस्ती दरों पर भारतीय चाय के निर्यात में जिनसे दूसरे देशों में उसकी मांग बढ़ सकती है, कठिनाई उत्पन्न होती है ; और

(ग) चाय के निर्यात के लिये नीलामी और बुकिंग की व्यवस्था के विस्तार के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). कलकत्ता में विदेशी दलाली फर्मों का चाय की नीलामी का पूर्णतः एकाधिकार नहीं है। उत्तर पूर्वी भारतीय चाय फसल कलकत्ता में मुख्यतया सात दलाली फर्मों के हाथों में जाती है, जिनमें तीन बिल्कुल भारतीय हैं और चार पर गैर भारतीयों का अधिकार है। तथापि अधिकतर बिक्री गैर-भारतीय दलाली फर्मों द्वारा की जाती है।

सरकार को ऐसी कोई शिकायत या आरोप प्राप्त नहीं हुआ कि कृत्रिम ढंग से मूल्य बढ़ाये जाते हैं। नीलाम की जाने वाली चाय की मात्रा, क्रेताओं, विक्रेताओं और दलालों के संयुक्त परामर्श से तय की जाती है, जो कलकत्ता चाय व्यापारी संथा के सदस्य हैं। नीलामी में चाय का मूल्य खुली बोली द्वारा तय होता है।

(ग) १९५४ में सरकार द्वारा नियुक्त चाय नीलामी समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् सरकार ने कलकत्ता नीलामी को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। उत्तर पूर्वी भारतीय फसल से लन्दन नीलामी के लिये चाय के सीधे निर्यात पर प्रतिवर्ष के लिये एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्ष विदेशी फर्मों के द्वारा कितनी कीमत की चाय का निर्यात किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : हमारे पास निर्यात सम्बन्धी आंकड़े तो हैं, परन्तु हमारे पास विशिष्ट फर्मों के द्वारा किये गये निर्यात सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या कोई भारतीय फर्में चाय की नीलामी और निर्यात का कार्य प्रारम्भ करने के लिये तैयार हैं ?

†**श्री कानूनगो** : कई भारतीय फर्में यह काम कर रही हैं।

†**श्री विश्वनाथ राय** : भारतीय फर्मों तथा विदेशी फर्मों द्वारा किये जाने वाले कार्य में कितना अनुपात है ?

†**श्री कानूनगो** : लगभग दो तिहाई भाग कलकत्ता में नीलाम किया जाता है और एक तिहाई भाग का निर्यात किया जाता है। इन दोनों कार्यों में भारतीय समुचित हिस्सा लेते हैं।

†**श्री नारायण स्वामी** : क्या केवल विदेशी टैस्टर ही नियुक्त हैं; और यदि हां, तो भारतीय टैस्टरों को भी नियुक्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : इस समय बहुत से भारतीय भी कार्य कर रहे हैं।

मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड

†*१०२६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार अभी कितना और किस प्रकार नियन्त्रण रखती है ;

(ख) इस फर्म की कितनी प्रतिशत हिस्सा पूंजी सरकार के पास है; और

(ग) क्या इस फर्म के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]**

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से ज्ञात होता है कि केवल (क) भाग का ही उत्तर दिया गया है। (ख) और (ग) भागों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने यथासम्भव व्यापक विवरण देने का यत्न किया है। जहां तक सरकारी अंशों का सम्बन्ध है, इसमें सरकार के कोई भी सीधे अंश नहीं हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में हम मौन हैं। यदि जीवन बीमा निगम को सरकारी निगम माना जाये तो उस स्थिति में सरकार के १५–२० प्रतिशत अंश हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : (ग) भाग में यह पूछा गया था कि क्या इस फर्म के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह पहले ही सरकार के नियन्त्रण में है और यह अधिनियम के अधीन कई वर्षों तक सरकार के नियन्त्रण में रहेगा, इसलिये इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जहां तक इस नियन्त्रण का सम्बन्ध है, यह तो केवल गत इतिहास और वित्तीय प्रबन्ध के कारण ही है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह फैक्टरी अत्यन्त

---

†मूल अंग्रेजी में

महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन सभी इंजन डिब्बे संभरित करती है, तो क्या इसका राष्ट्रीयकरण कर देना देश के हित में नहीं है ?

†श्री मनुभाई शाह : कई वर्षों तक उस फर्म पर हमारा यह अधिकार रहेगा और उसके दौरान सरकार इस बात पर विचार कर लेगी । परन्तु फिलहाल यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री प्रभात कार : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस फार्म के अंश श्री शान्ति प्रसाद जैन द्वारा बाजार से खरीदे जा रहे हैं और वह अधिक से अधिक अंश खरीदता जा रहा है, ताकि इसकी नियन्त्रण अपने हाथ में ले ले । सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक अंशों की बिक्री का सम्बन्ध है, अधिनियमके अधीन हम उस फर्म के प्रबन्ध पर नियन्त्रण रख सकते हैं । जहां तक हस्तान्तरण का सम्बन्ध है, यह तो किसी भी साधारण वस्तु के समान है जिसे कोई व्यक्ति भी खरीद सकता है । माननीय सदस्य ने एक विशेष नाम का उल्लेख किया है । इस प्रकार के नामों की पड़ताल करना अधिक कठिन कार्य है ।

†श्री बासप्पा : क्या सरकार के प्रबन्ध के कारण इस फर्म के मामलों में पर्याप्त सुधार हो गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उत्पादन बढ गया है । अन्य दिशाओं में भी सुधार हो गया है ।

†श्री कमलनयन बजाज : बाजार में यह अफवाह फैल रही है कि श्री मूंदड़ा ने फिर से धन इकट्ठा कर लिया है और वह कई फर्मों का व्यापार चलाने का यत्न कर रहे हैं । क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त है ?

†श्री मनुभाई शाह : सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं । किन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस फर्म पर नियन्त्रण रखेंगे और इसका अच्छी प्रकार से प्रबन्ध चलायेंगे ।

†श्री रामनारायण चेट्टियार : क्या श्री वी० पी० सिंह राय ही इस कम्पनी के चेयरमैन रहेंगे?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, वे अतिरिक्त उसके प्राधिकृत चेयरमैन हैं ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी: क्या यह सच नहीं है कि कुछ एक प्रतिष्ठित पत्रकारों ने भी यह लिखा है कि श्री मूंदड़ा ने लगभग ४ करोड़ रुपयों से पुन: मार्केट में प्रवेश किया है । यदि हां, तो इस बात की क्या गारण्टी है कि वह इस कम्पनी के सभी अंश नहीं खरीद लेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : अफवाहें तो सदा उड़ती ही रहती हैं । परन्तु इस अफवाह के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस समय सरकार के पास जितने अंश हैं वह सरकार के पास ही रहेंगे ? परन्तु जहां तक शेष अंशों को खरीदने का प्रश्न है, उस बारे में हम आगामी कुछ वर्षों में विचार कर लेंगे ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं पुन: इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि श्री मूंदड़ा के सम्बन्ध में बातें बड़े जोर से चल रही हैं, और 'कैपिटल' नामक पत्रिका में भी इस बात का स्पष्ट-तया उल्लेख है । परन्तु सरकार इस की ओर कोई ध्यान नहीं देती । सरकार सभी बातों की जांच क्यों नहीं करती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें इन सभी बातों का ज्ञान है, परन्तु जहां तक जेसप कम्पनी का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि उस फर्म का प्रबन्ध तथा नियंत्रण सरकार के हाथ में है और यह पांच वर्षों तक रहेगा। और वह अवधि पांच वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान में सरकार सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर लेगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इस फर्म के बोर्ड के पांच डायरेक्टरों में से चार वे व्यक्ति हैं जोकि श्री मून्दड़ा के अपने डायरेक्टर थे।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं। पहली बात तो यह है कि बोर्ड के नौ सदस्य हैं। उन में से चार व्यक्ति जिन की ओर संकेत किया गया है वह ब्रिटिश विशेषज्ञ हैं जिनका इस फर्म से कई वर्षों से सम्बन्ध है। वास्तव में ये वे व्यक्ति हैं जिन्हों ने उस समय इस कम्पनी की त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जब श्री मूंदड़ा इस से सम्बद्ध थे। अतः इन व्यक्तियों का इस फर्म में होने से किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नई दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी

†***१०१४. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस जगह पर "भारत, १९५८" प्रदर्शनी हुई थी वहां एक स्थायी प्रदर्शनी कायम करने के प्रस्ताव के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : प्रस्थापित स्थायी प्रदर्शनी के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों से बातचीत अभी तक पूरी नहीं हुई। १९६१ में भारतीय औद्योगिक प्रदर्शिनी के सम्बन्ध में की जा रही तैयारी के कारण उक्त योजना का कार्य कुछ ढीला पढ़ गया है।

राजस्थान में कपड़े की मिलें

***१०१९. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं और उन के बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि जो मिलें चल रही हैं उन की भी आन्तरिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन के भवन टूटे-फूटे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) चार। उन के बन्द होने का कारण यह है कि उन की मशीनें और संयंत्र घिस गये हैं तथा पुराने ढंग के हैं और उन्हें चलाने से लाभ नहीं होता।

(ख) जी नहीं। चलने वाली केवल दो तीन मिलें ही ऐसी हैं जिन की मशीनें और इमारतें पुरानी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

†*१०२१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और ब्रिटेन के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच इस प्रकार की संधि के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी हां । भारत और ब्रिटेन के बीच कोई प्रत्यर्पण सन्धि नहीं है ।

(ख) भारत और ब्रिटेन के बीच इस प्रकार की कोई भी सन्धि करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है । सरकार शीघ्र ही संसद् में एक प्रत्यर्पण सन्धि विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है जिस के अधीन ब्रिटेन तथा अन्य देशों से प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रबन्ध किये जा सकेंगे ।

खेतीहर मजदूरों की मजूरी

†*१०२७. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों को निर्वाह मजूरी प्राप्त करने के हेतु, जैसाकि भारत के संविधान के अनुच्छेद ४३ में उल्लिखित निदेशक तत्व में बताया गया है, कोई विधान प्रस्तुत करने अथवा आर्थिक संगठन स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) अभी तक ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

†**श्रम उपमंत्री(श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). निर्वाह मजूरी की उपलब्धि एक शाश्वत प्रक्रिया है, जिस का प्रथम कदम यह है कि उन्हें न्यूनतम मजूरी अवश्य मिल सके । न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन (सिवाय जम्मू और काश्मीर के जहां पर यह नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है) शेष सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में पूर्णत: अथवा अंशत: कृषि न्यूनतम मजूरी लागू कर दी है ।

राज्यों को वित्तीय सहायता

†*१०२८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना तथा विकास व्यय के लिये राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप पर पुन: विचार किया है ;

(ख) क्या उड़ीसा तथा अन्य राज्य सरकारों ने इस बात का विरोध किया है कि जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, अनुदान देने का वर्तमान सूत्र कितना अनुपयुक्त और हानिकारक है : और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). योजना आयोग की प्रार्थना के अनुसरण में उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों से पंचवर्षीय योजनाओं में किये जाने वाले खर्चों

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की प्रक्रिया तथा रूप के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं और वे इस समय विचाराधीन हैं ।

मकान बनाने के लिये ऋण सम्बन्धी नियम

†*१०२९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मकान बनाने की विभिन्न योजनाओं के अधीन सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को मकान बनाने के लिये दिये जाने वाले ऋणों को विनियमित करने वाले नियमों को सरल बनाने का है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृहनिर्माण ऋण और राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना तथा गन्दी बस्तियों को साफ़ करने की योजना के अधीन पात्र व्यक्तियों को ऋण तथा राजकीय सहायता देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। मंत्रालय के अन्य नियमों के अधीन पात्र व्यक्तियों को बांटने के लिये राज्य सरकारों को ऋण दे दिये जाते हैं। इन ऋणों की केन्द्र को अदायगी के लिये राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। इसलिये इन योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत नियम बताना उन्हीं का काम है। राज्य सरकारें ही इस प्रकार के नियमों में संशोधन करने की योजनाओं पर विचार करती हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ-कार्यालयों से सम्बद्ध औषधालय

†*१०३०. **श्री नेकराम नेगी :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालयों के साथ क्षेत्रीय आधार पर औषधालय सम्बद्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न औषधालयों के कौन-कौन से क्षेत्र (जोन) हैं और प्रत्येक औषधालय में जनवरी, १९६० से जुलाई, १९६० के बीच कितने रोगियों ने लाभ उठाया ;

(ग) क्या यह सच है कि पूसा इंस्टिट्यूट पूछताछ कार्यालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता के लिये देवनगर औषधालय में आना पड़ता है ;

(घ) यदि हां, तो दोनों कार्यालयों के बीच कितनी दूरी है ;

(ङ) क्या सरकार विभिन्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालयों से सम्बन्द्ध क्षेत्रीय औषधालय बन्द कर देने और कर्मचारियों को सब से नजदीक के अंशदायी स्वास्थ्य योजना औषधालय के साथ सम्बद्ध करने पर विचार कर रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औषधालय क्षेत्रीय आधार पर स्थापित नहीं किये गये हैं वे प्रशासनिक सुविधा तथा मजदूरों की आवश्यकताओं के अनुसार दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में स्थापित किये

†मूल अंग्रेज़ी में

गये हैं ; सभा पटल एक विवरण रखा जाता है जिस में उक्त औषधालयों के सम्बन्ध में ब्यौरा निहित है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) जी हां । देवनगर औषधालय ही पूसा इन्स्टीट्यूट के सब से निकट है, परन्तु कर्मचारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी भी औषधालय से औषधि ले सकते हैं ।

(घ) दोनों दफ्तरों के बीच में लगभग तीन मील की दूरी है ।

(ङ) और (च). द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली के औद्योगिक कर्मचारियों को भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा देने के सामान्य प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग को बन्द करना

†*१०३१. **श्री दशरथ देव :**
श्री हाल्दर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग के बन्द किये जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि पुनर्वास विभाग बन्द करने से पहले कितना काम बचा हुआ है जिसे पूरा करना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में शेष पुनर्वास कार्य का अंदाज लगाने के लिए एक आयोग स्थापित करने का है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

उर्वरक निगमों का विलय

†*१०३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और सिन्दरी फर्टिलाइजर्स को मिला देने और उन्हें अपने हाथ में ले लेने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हिन्दुस्तान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड और सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स को मिला देने का निर्णय किया गया । अब ये दोनों एक ही निगम के रूप में काम करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह कार्य इस उद्देश्य से किया गया है कि सभी सरकारी उर्वरक फैक्टरियों को एक ही प्रबन्ध के अधीन लाया जा सके ताकि उन पर अच्छा नियंत्रण रखा जा सके और उन्हें लाभप्रद ढंग से चलाया जा सके।

श्रीलंका में भारतीय

†*१०३३. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सुब्बैया अम्बलम् :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में नई प्रधान मंत्री द्वारा प्रशासन का भार संभाले जाने के बाद वहां रहने वाले भारतीयों के नागरिकता अधिकारों के बारे में कोई नयी बातचीत शुरू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस तरह की बातचीत शुरू की गयी है; और

(ग) क्या यह सच है कि श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि नागरिकता अधिकार देने के मामले में भारतीय उद्भव के नागरिकों के साथ नरमी से बर्ताव किया जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जब से लंका में नई प्रधान मंत्री ने कार्य-भार सम्भाला है तब से कोई नयी बातचीत प्रारम्भ नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस प्रकार की घोषणा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली।

सरकारी कर्मचारियों से मकान किराया

†*१०३४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूरे महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिला देने के कारण, उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें क्वार्टर दिया गया है और जो माहवार १५१–५०० रु० के बीच वेतन लेते हैं, अधिक मकान किराया देना पड़ेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जी हां। परन्तु १५० रु० तथा उस से अधिक का मासिक वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को आवण्टित सरकारी स्थानों के लिए किराया वसूली का आधार वही है अर्थात् वह एफ० आर० ४५ए के अधीन स्टैंडर्ड किराया अथवा अपने वेतन का १० प्रतिशत भाग दोनों में से जो भी कम राशि है, वह अदा करते रहेंगे। परन्तु शर्त यह है कि किराया काटने के बाद पुनरीक्षित स्केल में किसी भी व्यक्ति की शुद्ध आय १३७ रु० ८२ न० पै० प्रति मास से कम न होगी।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

†*१०३५. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से कितने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश में अभी तक बसाया गया है और कौन-कौन जगहों पर;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन शरणार्थियों को क्या-क्या सुविधाएं दी गयी हैं और कौन-कौन सी सुविधाएं देने को वचन दिया गया है;

(ग) क्या इन शरणार्थियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री का कोई पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त पत्र में क्या-क्या लिखा है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) लगभग ६ लाख विस्थापित व्यक्ति । स्थानवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) यह निर्माण तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं : ऋण, कृषि भूमि का आवण्टन आदि । कोई मकान तो नहीं बनाये गये । परन्तु फिर भी उन के पुनर्वास के लिए सभी सम्भव सुविधाएं दी गईं ।

(ग) और (घ). जब तक उस पत्र के सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं दी जाती तब तक इन प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर देना असम्भव है । गत १२ वर्षों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार में अनेकों पत्रों का आदान प्रदान होता रहा है ।

जीप मामला

†*१०३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सूपकार :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या प्रधान मंत्री लोक-सभा में दिये गये २१ अप्रैल, १९६० के अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीप मामले में न्यायालय से बाहर किये गये समझौते को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस फैसले की शर्तें निम्नलिखित हैं :

(१) प्रतिवादी ने उक्त दो ठेकों के अधीन भारत सरकार के विरुद्ध अपने सभी दावे छोड़ दिये हैं ।

(२) भारत सरकार ने इस मामले में प्रतिवादी के विरुद्ध अपने सभी दावों को वापिस ले लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेन्ट का कारखाना—द्वार मूल्य

†*१०३७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तंगामणि :
श्री आसर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट का कारखाना—द्वार मूल्य[1] बढ़ाने का प्रस्ताव किस दिशा में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : प्रशुल्क आयोग शीघ्र ही सीमेन्ट उद्योग के सम्बन्ध में और १ जुलाई, १९६१ से सीमेन्ट उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्यों के प्रश्न पर विचार प्रारम्भ कर देगा। आयोग सभी परिस्थितियों और परिवर्तनों को ध्यान में रख कर ही सिफारिशें देगा।

छपाई का और लिखने का कागज

†*१०३८. **श्री नेकराम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कच्चे मैंगनीज और कच्चे लोहे के निर्यात के बदले में छपाई का और लिखने का कागज देने के बारे में जापानी प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) दो सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि उस में कच्चे लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था जिस का इस समय निर्यात करने के लिए फालतू माल नहीं है। मैंगनीज अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ सुझाव अभी तक विचाराधीन हैं।

औषधियों का निर्यात

†*१०३९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ब्रिटिश फार्मोकोपिया के अनुसार बनायी गयी औषधियों का निर्यात करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में बाजार ढूंढने का कोई प्रयास किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ex-factory Price.

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विदेशों में बाजार ढूंढने के लिये यत्न किये जा रहे हैं । भावी परिणाम के सम्बन्ध में अभी से कुछ बताना कठिन है ।

तापसह ईंटें

†*१०४०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० चं० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैमिकली बांडेड बेसिक रिफ्रेक्टरीज[1] (तापसह ईंटों) का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कहां स्थापित की जायेगी; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां । दो सुझावों को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया ।

(ग) एक फैक्टरी मद्रास राज्य में सैलम में स्थापित की जायेगी और दूसरी उड़ीसा राज्य के सम्बलपुर जिले के बेलपहाड़ नामक स्थान पर स्थापित की जायेगी ।

(घ) एक परियोजना पर ७०–८० लाख रुपयों का खर्चा आयेगा और दूसरी पर ३५० लाख रुपयों का ।

सोडियम सल्फेट

†*१०४१. **श्री आप्पर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने अप्रैल-मई, १९५९ में सोडियम सल्फेट एनहाइड्रसड[2] से भरा एक पूरा जहाज चीन से मंगाया था ;

(ख) आयात किया गया सोडियम सल्फेट कुल कितने टन था ; और

(ग) वह उपभोक्ताओं को किस दर पर बेचा गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) चीन से ८००० टन का सामान अप्रैल-मई १९५९ में नहीं अपितु जुलाई और सितम्बर १९५९ में भेजा गया था । ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chemically bonded basic re-fractories.

[2]Sodium Sulphate Anhydrous.

(ख) राज्य व्यापार निगम में १९५९ में चीन और युगोसलाविया से लगभग ११००० मीट्रिक टन सोडियम सल्फेट का आयात किया था ।

(ग) २६५ रुपये प्रति मीट्रिक टन एक्स-ग्रेटी (दत्त-शुल्क विक्रय कर अतिरिक्त) ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†*१०४२. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल से देश में निर्यात स्थिति पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) किस श्रेणी की वस्तुओं का निर्यात घट गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). निर्यात व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले विभागों के कार्य में कुछ भी अन्तर नहीं आया । सम्भव है कि गाड़ियों के आने जाने में विलम्ब होने के कारण अस्थायी रूप से कुछ बाधा पड़ी परन्तु उसकी वास्तविक स्थिति तो जुलाई मास के विदेशी व्यापार सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही ज्ञात हो सकेगी ।

मोटर गाड़ियों के पुर्जे

†*१०४३. श्री अ० मु० तारिक: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी या गैर-सरकारी वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के चालकों से देश में फुटकर पुर्जों की कमी और उनकी ऊंची कीमतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ट्रक या बस चालकों की सहकारी संस्थाओं को वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस देने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) ट्रक या बस चालकों को सहकारी संस्थाओं को वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस देने के सुझाव पर विचार किया गया था किन्तु इस सुझाव को व्यवहार्य नहीं समझा गया ।

अंश पूंजी

†*१०४४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी कम्पनियों की अंश पूंजी में राज्य सरकारों द्वारा अंश-दान के मामले में अपना रुख बदल दिया है ; और

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में किसी राज्य सरकार ने उक्त अंश दान किया है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले दो वर्षों में गैर सरकारी औद्योगिक सार्यों को अंश पूंजी में भाग लेने के सम्बन्ध में चार राज्य सरकारों के सुझावों को योजना आयोग द्वारा मन्जूरी दे दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में जमीन का दिया जाना

†*१०४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री परूलेकर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में अनियमित ढंग से जमीन दिये जाने की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट की जांच इस बीच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). सरकार ने रिपोर्ट पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पंजाब में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत जांच करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं आया है। परन्तु जांच द्वारा प्रकाश में लाये गये कुछ मामलों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है और उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

फिल्म निर्माण ब्यूरो

†*१०४६. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म निर्माण ब्यूरो स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: विभिन्न कारणों से फिल्म निर्माण ब्यूरो स्थापित करने की योजना को जारी रखने का कोई विचार नहीं है। योजना बन जाने के उपरान्त फिल्म उद्योग से विचार विमर्श किया गया और विभिन्न कानूनी प्रश्न सामने आये जिन पर विचार करना आवश्यक है। स्थिति अभी स्पष्ट नहीं इसलिये मामले को अभी छोड़ दिया गया।

हाई बोर्ड

†*१०४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी देश में हाई बोर्ड की कुल कितनी आवश्यकता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सारी मात्रा देश में तैयार की जाती है या बाहर से मंगायी जाती है ; और

(ग) देशी साधनों से देश की आवश्यकता पूरी करने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १६,००० टन ।

(ख) सम्पूर्ण मात्रा देश में तैयार नहीं की जाती और चालू अनुज्ञप्ति अवधि (अप्रैल–सितम्बर, १९६०) में हाई बोर्ड के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(ग) सरकार ने इसके निर्माण के लिये ६ योजनाओं की मन्जूरी दे दी है । जिनकी कुल क्षमता ४०,७५० टन होगी इनमें से दो में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

गोआ यात्रा पर रोक

†*१०४८. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). सामान्यतयः गोआ निवासी तथा भारतीय को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, निर्बाध रूप में आने जाने की अनुमति है :–

(१) उनके पास वैध पहचान पत्र होने चाहिये ; और

(२) सामान सम्बन्धी नियमों का पालन होना चाहिये । पुर्तगाली प्राधिकारी गोआ में प्रवेश करने को इच्छुक रखने वाले गोआ निवासियों से वीसा की मांग नहीं करते, परन्तु गोआ जाने वाले भारतीयों को वीसा प्राप्त करना पड़ता है जो कि नई दिल्ली स्थित ब्राज़ील के राजदूतावास से प्राप्त करना होता है ।

बिहार में तैयार की गई खादी

†१९५०. **श्री पांगरकर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में (माह-वार) बिहार राज्य में कितनी खादी तैयार की गयी ; और

(ख) १९६०–६१ में खादी-उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९५९–६० में बिहार राज्य में खादी उत्पादन का महावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ख) २,७९,३१,००० रुपये की खादी ।

महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग

†१९५१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य में १९६०–६१ में हथ करघा उद्योग को सहायता देने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अमरीकी मध्यवस्थ-निर्णय असोसियेशन[1]

†१९५२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी मध्यस्थ निर्णय असोसियेशन को विधि से माननीय निर्णायकों के संरक्षण के लिये, जिससे भारतीयों को उस असोसियेशन के एकतरफा फैसले को बाध्य हो कर स्वीकार करना पड़ता है जो भारतीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार छीन लेता है, कोई सक्रिय कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ और अमरीकी मध्य थ-निर्णय असोसियेशन ने भारत-अमरीकी व्यापार करने वाली फर्मों से अपने ठेकों में निम्नलिखित मध्यस्थ-निर्णय खंड शामिल करने की सिफारिश करना मंजूर कर लिया है :—

"इस ठेके से उत्पन्न होने वाले अथवा इसके फलस्वरूप किसी विवाद या दावे का निबटारा मध्यस्थ-निर्णय द्वारा किया जायगा। यदि मध्यस्थ-निर्णय भारत में किया जाने वाला हो तो वह विवाद भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के मध्यस्थ-निर्णय न्यायाधिकरण को सौंपा जायगा और उस न्यायाधिकरण के नियमों के अनुसार उसका संचालन किया जायगा। यदि मध्यस्थ-निर्णय अमेरिका में किया जाने वाला हो तो उसका संचालन अमरीकी मध्यस्थ निर्णय असोसियेशन के नियमों के अनुसार किया जायगा।"

उन्होंने आगे यह भी मान लिया है कि यदि दोनों पक्ष मध्यस्थ निर्णय का स्थान नहीं बताते या मध्यस्थ-निर्णय की मांग करने के बाद ३० दिन के अन्दर उस बारे में सहमत नहीं हो पाते तो तीन सदस्यों की एक संयुक्त मध्यस्थ निर्णय समिति मध्यस्थ निर्णय का स्थान निश्चित करेगी। इस समिति में एक सदस्य संघ की मध्यस्थ-निर्णय उपसमिति द्वारा नियुक्त किया जायगा, दूसरा सदस्य अमरीकी मध्यस्थ निर्णय असोसियेशन द्वारा नियुक्त किया जायेगा और तीसरा सदस्य जो दोनों पक्षों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का होगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अन्य दो सदस्यों द्वारा चुना जायेगा। इसके अलावा, मध्यस्थ निर्णय की मांग करने वाला पक्ष संघ के मध्यस्थ निर्णय न्यायाधिकरण को अथवा अमरीकी मध्यस्थ-निर्णय संघ को, जैसा कि उसके भारत के या अमरीका के निकासी होने पर आवश्यक हो, सूचना देगा।

उत्तर प्रदेश में नैनीतमल में विस्थापित व्यक्ति

†१९५३. **श्री ई० मधुसूदन राव:** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल जिले में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से इस बीच प्राप्त कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] American Arbitration Association.

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण नीचे दिया जाता है :—

तराई बस्ती क्षेत्र में पहले बसाये गये ६६८ परिवारों के अतिरिक्त, १००३ परिवारों को पुनर्वास के लिये जिला नैनीताल में भेजा गया है [इन में वे (१) ६७ परिवार जो पुरानी योजना में रिक्त स्थानों पर चले गये और (२) ६०६ परिवार जो नयी योजनाओं के अधीन गये हैं और जिन्हें पुनर्वास लाभ दिये गये हैं जैसा कि आगे के पैरा में बताया गया है, शामिल हैं] ।

पक्के रिहायशी क्वार्टर ८५१ परिवारों को पहले ही दिये जा चुके हैं । शेष ५५ परिवारों के लिए क्वार्टर बन रहे हैं और वे सम्भवतः जुलाई, १६६० के अन्त तक तैयार हो जायेंगे । इस बीच जब तक कि पक्के क्वार्टर उन्हें नहीं दिये जाते तब तक उपयोग के लिए अस्थायी झोंपड़ियां तैयार करने के लिए उन्हें लकड़ी और फूस इकट्ठी करने की सुविधाएं दी गयी हैं ।

७६८ परिवारों को ५ एकड़ प्रति परिवार की दर से, उचित रूप से खेती लायक बनायी हुई और जोती हुई जमीन दी गयी है । इन परिवारों को प्रारम्भिक बोआई, बैल और खेती के औजारों की खरीद के लिए हर परिवार ५०० रुपये का कर्ज भी दिया गया है । शेष १३८ परिवारों के लिए जमीन को कृषि योग्य और उसे ट्रैक्टर चलाने योग्य बनाने का काम चल रहा है और १३८ परिवारों में से ४२ को जमीन देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि वे खरीफ की बोआई शुरू कर सकें ।

सभी परिवारों को वित्तीय सहायता के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था भी की गयी है :—

(क) ७,०३,००० रुपये की अनुमानित लागत से १६ ½ मील लम्बी पक्की लड़कें बनाना ।

(ख) ३८,५०० रुपये की अनुमानित लागत से बस्ती वालों के लिए पीने के पानी के लिए ११ कुएं बनाना । इन में से ५ कुएं बन कर तैयार हो गये हैं ।

(ग) १,२२,१७८ रुपये की अनुमानित लागत से १४ मील तक मेंढ़ तैयार करना ।

(घ) ४२,००० रुपये की अनुमानित लागत से अध्यापकों के लिए क्वार्टरों के साथ साथ ५ प्राथमिक पाठशालाओं की इमारतें बनाना । इन में से ३ प्राथमिक पाठशालायें अस्थायी मकानों में चल रही हैं ।

(ङ) १,२०,००० रुपये की अनुमानित लागत से कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के साथ साथ एक जूनियर हाई स्कूल बनाना ।

(च) ७०,००० रुपये की अनुमानित लागत से कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के साथ साथ एक औषधालय की इमारत बनाना । औषधालय चालू हो गया है ।

(छ) १०,००० रुपये की अनुमानित लागत से एक पंचायतघर बनाना ।

(ज) ४,४१,००० रुपये की अनुमानित लागत से ५ नलकूप बनाना और उसके लिए ट्रांसमिशन लाइनें डालना ।

(झ) १,२०० रुपये की अनुमानित लागत से बस्तियों में लैम्पपोस्ट बनाना ।

(ञ) १०,००० रुपये की अनुमानित लागत से बीज गोदाम बनाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शक्ति फार्म पर एक डाकखाना भी चल रहा है और शक्ति तथा रतन फार्मों के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर एक साप्ताहिक बाजार लगाया गया है जिससे बस्ती के लोग पुनर्वास के स्थान पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त कर सकें।

विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में सरकार द्वारा बनायी गयी सम्पत्ति का विनियमन

†१९५४. **श्री क० ब० मेनन** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री** विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में सरकार द्वारा बनायी गयी सम्पत्ति के विनियमन के बारे में ३१ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार से इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गयी है और वह कब तक सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : जानकारी २० अगस्त, १९६० को सभा पटल पर रखी गयी थी।

उड़ीसा में आकाशवाणी के संवाददाता

†*१९५५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण स्थानीय समाचार पर्याप्त मात्रा में शामिल करने के लिए उड़ीसा में स्थानीय संवाददाता नियुक्त करने का आकाशवाणी का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कितनी जगहों पर ऐसे स्थानीय संवाददाता नियुक्त किये जा रहे हैं;

(ग) ये नियुक्तियां करने में इतनी देर क्यों हुई है; और

(घ) वे कब नियुक्त किये जायेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (घ). प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में समाचार देने के लिए प्रत्येक राज्य में जिसमें उड़ीसा भी है, कुछ मुफस्सिल केन्द्रों में आकाशवाणी के आंशिक समय के स्थानीय संवाददाता नियुक्त करने की योजना अभी हाल में निश्चित की गयी है। ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है और इस दिशा में यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि कितनी जगहों पर ऐसे संवाददाता नियुक्त किये जायेंगे या वे कब नियुक्त किये जायेंगे।

बिजली के बल्ब

†१९५६. **श्री नेक राम नेगी** :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **निर्यात आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिजली के बल्ब (लिखने के सामान की तरह) इकट्ठे नहीं खरीदती वरण वे स्थानीय तौर पर ही खरीदे जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी हाल के वर्षों में फ्यूज्ड बल्बों की संख्या बढती जा रही है; और

(ग) क्या चोरी रोकने के लिए बल्बों के धातु वाले हिस्से पर तीर का निशान खुदवा कर इकट्ठे बल्ब खरीदने के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). बिजली के बल्ब केवल किराया-माफ और कुछ अन्य श्रेणियों के मकानों में, सरकारी होस्टलों में, अपने कार्यालयों और बरामदों में और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की इमारतों के शौचालयों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लगवाता है। कार्यालयों के कमरों में, जो विभाग वहां काम करते हैं वे स्वतः बल्ब देते हैं। अन्य सभी सरकारी निवास स्थानों में, वहां रहने वाले लोग अपने निजी खर्च से बल्ब देते हैं। दिल्ली तथा अन्यत्र बड़ी बड़ी मांगें पूरी करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकों से, जो संभरण तथा निबटान महानिदेशक द्वारा स्वीकृत सप्लायरों के साथ किये जाते हैं, इकट्ठे बल्ब खरीदता है। चोरी रोकने के लिये बल्बों पर "सी० पी० डब्ल्यू० डी०" अक्षर लिख दिये जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में छोटी मांगें पूरी करने के लिये, थोड़ी सीमा में, जब कभी आवश्यक होता है, स्थानीय खरीद की जाती है। हाल के वर्षों में फ्यूज्ड बल्बों की संख्या में कोई बढ़ती के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

पंजाब के लिये खर्च

†**१९५८. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में पंजाब पर होने वाला खर्च निश्चित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम खर्च की जायेगी और विभिन्न मदों के लिये कितनी कितनी रकम नियत की गयी है ?

†**योजना उप-मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

विकास का शीर्ष	(नियत की गयी रकम)
१. कृषि और मिलते जुलते मद	४९२.२९
२. सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	२३१.४३
३. सिंचाई और विद्युत्	१५७५.०२
४. उद्योग	१४०.९२
५. परिवहन	२०७.१०
६. शिक्षा	४०४.१५
७. स्वास्थ्य	२३५.३३
८. आवास	७२.१६
९. पिछड़े वर्गों का कल्याण	४४.२४
१०. समाज कल्याण	११.१७
११. श्रमिक और श्रम कल्याण	२८.७५
१२. विविध	१९८.४८
कुल	३६४१.०४

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग

†१९५९. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५७ से मार्च, १९६० तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग की उन्नति के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गयी; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अन्य संगठनों के लिये निधियां नियत करने में क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं जिससे वे चमड़ा उद्योग में आ सकें ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). चमड़ा उद्योग की उन्नति के लिये निधि की व्यवस्था का उद्देश्य अधिकतर अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारना है ।

२. अप्रैल, १९५६ से मार्च १९६० तक की अवधि में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश में चमड़ा ग्रामोद्योग की उन्नति के लिये १८·९९ लाख रुपये की रकम बांटी है । इस अवधि में ३६ फ्लेइंग सेण्टर, ५० विलेज माडेल टैनरी और ८ मार्केटिंग डिपो नियत किये गये थे ।

३. छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं के लिये ५·०७ लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी थी ।

(क) देवबन्द में अग्रिम परियोजना क्षेत्र में पश्चिमी ढंग के चमड़े के जूते तैयार करने के लिये प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापना;

(ख) देवबन्द में अग्रिम परियोजना क्षेत्र में चमड़ा प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना ;

(ग) चमड़ा तथा चमड़ा कमाने के उद्योग के २० केन्द्रों का विकास; और

(घ) मेरठ में नांन-करेक्शनल इंस्टिट्यूशन्स से रिहा की गयी औरतों के लिये आफ्टर-केयर-होम से संलग्न फैन्सी लेदर वर्क यूनिट की स्थापना ।

४. गृह-कार्य मंत्रालय ने पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रम में पशु शव उद्योग के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ व्यवस्था की है जिसमें से १९५९–६० में उत्तर प्रदेश सरकार को १८,००० रुपया दिया गया था और १९६०–६१ के लिये ६०,००० रुपये की व्यवस्था मंजूर की जा चुकी है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

१९६०. **श्री सरजू पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से अब तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना को दिल्ली के कितने श्रमिकों पर लागू किया गया है;

(ख) दिल्ली के कितने श्रमिकों या कारखानों पर उपरोक्त योजना लागू नहीं की गयी है;

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने चिकित्सालय इस समय काम कर रहे हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन चिकित्सालयों में से किसी में भी एम्बुलेंस कार नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस योजना के अन्तर्गत दवाई लेने वाले श्रमिकों ने सरकार से शिकायत की है कि उन्हें अच्छी दवाइयां नहीं दी जातीं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार तथा योजना उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क)	१९५२ से १९५६-५७ . .	४०,०००
	१९५७-५८. . . .	४४,०००
	१९५८-५९. . . .	४८,५००
	इस वक्त	५६,०००

(ख) ४७ कारखानों की इस योजना से छूट दी गई है।

(ग) १८ (१२ पूरे समय के और ६ अंशकालीन)।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी हां।

(छ) त्रुटियां दूर कर दी गई हैं।

स्कूटरों का निर्माण

†१९६१. **श्री न० म० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्कूटर बनाने के बारे में सरकार के पास कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) काम कब शुरू होगा और प्रति स्कूटर लगभग क्या लागत आयेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). स्कूटर पहले से ही भारत में तैयार किये जा रहे हैं। मेसर्स आटोमाबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई लम्बरेटा स्कूटर बना रहा है और मेसर्स बजाज आटो प्राइवेट लिमिटेड ने अभी हाल ही में वेस्पा स्कूटर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। उनकी संस्थापित क्षमता क्रमशः प्रतिवर्ष १२,००० और ६,००० स्कूटर है जिनमें मोपेड्स और थ्री व्हीलर्स शामिल हैं। उनके स्वीकृत कार्यक्रमों के अनुसार, पहली फर्म १९६१ के मध्य तक ८७ प्रतिशत कल पुर्जे देश में तैयार करेगी और दूसरी फर्म ४ साल में ७५ प्रतिशत कल पुर्जे तैयार कर लेगी।

दोनों प्रकार के स्कूटरों के चालू कारखाना-द्वार और सूची मूल्य इस प्रकार है :—

स्कूटर का नाम	कारखाना-द्वार मूल्य	सूची मूल्य	
	रुपये	रुपये	
लम्बरेटा . .	१५८०	१८००	
वेस्पा . .	१८७९	२०७९	(सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने पर)

इन पर उत्पादन शुल्क भी लगेगा।

अभी हाल में, मेसर्स एनफील्ड इंडिया लिमिटेड, मद्रास को भी सालाना ६००० "रायल एनफील्ड" स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है। वह सम्भवतः जुलाई, १९६१ तक उत्पादन आरम्भ कर देगा और ३ साल में ८३ प्रतिशत कुल पुर्जे देश में तैयार करने लगेगा। अभी यह नहीं मालूम है कि ये स्कूटर कितने दाम पर मिलेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूटर और छोटे स्कूटर तैयार करने की और कई योजनाएं भी प्राप्त हुई हैं और शीघ्र ही उन पर विचार किया जायगा ।

नमक का उत्पादन, उपभोग और आयात

†१९६२. **श्री परूलकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्यों में नमक की वार्षिक खपत लगभग कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में सालाना कितना नमक तैयार किया जाता है;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य में सालाना कितना नमक बाहर से मंगाया जाता है;

(घ) इन राज्यों में किन किन केन्द्रों से नमक का आयात किया जाता है; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक केन्द्र से इन राज्यों में सालाना कितना नमक मंगाया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग) . आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण (संख्या १) में दी हुई है ।

(घ) **पश्चिमी बंगाल :** थाना डिवीजन (बम्बई), ध्रंगधारा और पश्चिम तट समुद्री नमक स्रोत ।

बिहार : थाना डिवीजन ध्रंगधारा और पश्चिम तट पर समुद्री नमक स्रोत, खारागोड़ा, सांभर, डिडवाना, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास राज्य और कलकत्ता ।

असम : थाना डिवीजन पश्चिम तट नमक स्रोत, सांभर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास राज्य और कलकत्ता ।

उड़ीसा : थाना डिवीजन, ध्रंगधारा, पश्चिम तट पर समुद्री नमक स्रोत (सौराष्ट्र और कच्छ), आन्ध्र प्रदेश, मद्रास राज्य और कलकत्ता ।

(ङ) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण (संख्या २) में दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]**

नमक का निर्यात

†१९६३. **श्री परूलकर :** क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ, सौराष्ट्र और मद्रास के बन्दरगाहों से १९५८–५९ और १९५९–६० में जापानी फर्मों को कितना बगैर-पिसा नमक बेचा गया और उसका औसत मूल्य (जहाज भाड़ा सहित) कितना था ;

(ख) इन बन्दरगाहों से राज्य व्यापार निगम के जरिये जापानी फर्मों को कितना बगैर-पिसा नमक बेचा गया और उसका औसत मूल्य (जहाज भाड़ा सहित) कितना था; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने कितना कमीशन लिया और वह कौन भुगतान करेगा :

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क)

	मात्रा (टनों में)	जहाज भाड़ा सहित औसत मूल्य (प्रति टन)
१९५८–५९ . . .	३,३४,८८१	१४ रुपये
१९५९–६० . . .	३,६२,९३१	१३ रुपये (निजी व्यापार द्वारा किये गये ठेकों के लिये)
		राज्य व्यापार निगम ठेकों के लिये २० शिलिंग ।

मद्रास बन्दरगाह से जापान को कोई निर्यात नहीं किया जाता ।

(ख) जहाज भाड़ा सहित दिये गये शुद्ध २,२४० पौंड के प्रति टन के लिये २० शिलिंग के हिसाब से जनवरी-मार्च, १९६० में ७५,२९३ टन । यह मूल्य इस हिसाब से घट बढ़ सकता है :—

(१) गीले आधार पर ९५ प्रतिशत या ९४ प्रतिशत से कम सोडियम क्लोराइड से अधिक दर के अनुसार या प्रत्येक एक प्रतिशत के लिये १ शिलिंग ।

(२) गीले आधार पर ९६ प्रतिशत या ९१ प्रतिशत से कम सोडियम क्लोराइड से अधिक, दर के अनुसार या प्रत्येक १ प्रतिशत के लिये २ शिलिंग ।

(ग) जहाज पर लादे गये माल के जहाज भाड़ा सहित मूल्य पर आधा प्रतिशत भारतीय जहाज वाले कमीशन देंगे ।

नमक बनाना

†१९९४. श्री पल्लकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के समद्रतट पर नमक तैयार करना १८३६ में बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा के समुद्र तट पर ९५ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड से युक्त नमक तैयार करने का प्रयत्न किया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु मालूम होता है कि पहले डाइवरपूल नमक के आयात के कारण उस प्रदेश में नमक उद्योग को नुकसान हुआ ।

(ग) उड़ीसा में नमक गैर-सरकारी क्षेत्र में तैयार किया जाता है । नमक विभाग ने निःशुल्क टेक्नीकल परामर्श, नमक तैयार करने के वैज्ञानिक ढंगों के प्रदर्शन के लिये सुमड़ी में नमूना नमक फार्म और नमक के नमूनों आदि के परीक्षण के लिये हम्मा में एक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला की स्थापना, आदि के रूप में सभी आवश्यक सुविधायें नमक तैयार करने वालों को दी हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिसा और बगैर-पिसा नमक का मल्य

†१९६५. **श्री परूलकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ और सौराष्ट्र के बन्दरगाहों पर पिसे और बगैर-पिसे नमक का, जो रेल से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्यों को भेजा जाता है, प्रति टन औसत मूल्य क्या है ?

(ख) इन केन्द्रों से इन में से प्रत्येक राज्य को भेजे गये नमक का प्रति टन औसत रेल भाड़ा और स्टीमर भाड़ा कितना है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक राज्य में किस औसत मूल्य पर पिसा और बगैर-पिसा नमक बेचा जाता है ?

†**उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह) :** (क) पिसा नमक—३५·३६ रुपये प्रति टन ।

बगैर-पिसा नमक—३३·४६ रुपये प्रति टन ।

(ख) रेल भाड़ा (प्रति टन)

	छोटी लाइन से बड़ी लाइन तक वाहनांतरण सहित रुपये	वाहनांतरण के बगैर रुपये
बिहार . .	५२·२७	५१·९९
पश्चिम बंगाल	५९·८९ से ६१·२५	६०·९८
असम . .	६०·४३	६९·६९
उड़ीसा . . .	६१·५२	..

कच्छ और सौराष्ट्र से समुद्र द्वारा माल केवल कलकत्ते भेजा जाता है । भाड़े की दर ३५·५० रुपये प्रति टन है ।

(ग) प्रतिमन औसत मूल्य

	पिसा रुपये	बगैर-पिसा रुपये
बिहार	४·०६	३·९४
असम	६·३७	६·१९
उड़ीसा	३·८७	३·७५
पश्चिम बंगाल	३·७५	३·६२

उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना

१९६६. **श्री ह० प्र० सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिये किस जिले में उर्वरक का कारखाना स्थापित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा इस के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

दिल्ली में पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति

†१९६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के रोजगार दफ्तरों में अब तक कितने (कुशल, अर्धकुशल और अकुशल) लोग पंजीबद्ध हैं ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** :

श्रेणी	३० जून, १९६०* को चालू रजिस्टर में अभ्यर्थियों की संख्या
(१)	(२)
१. शिल्पकार और निर्माण प्रक्रिया कर्मकर (कुशल और अर्ध कुशल)	४४४९
२. अकुशल मजदूर . . .	१५१४९
३. अन्य .	३४७५०
जोड़ .	५४३४८

*सूचना तीन महीने के आधार पर एकत्रित की गई है ।

"चिड़िया घर की सैर"[1] और "विनम्रता"[2] नामक फिल्में

†१९६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** १४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'चिड़िया घर की सैर' (ए डे ऐट ज़ू) और 'विनम्रता' (कर्टसी) फिल्मों के काम में और क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: 'कर्टसी' फिल्म तैयार हो चुकी है और ६ मई, १९६० को "से इट विद ए स्माइल" (मुस्कराहट के साथ कहो) नाम से दिखाई गई है । प्रवर्तक मंत्रालय अर्थात् शिक्षा मंत्रालय द्वारा बताये गये सुझावों को शामिल कर के 'ए डे एट ज़ू' की शोधित पाण्डुलिपि तैयार की गई है । शूटिंग शीघ्र ही आरम्भ होगी ।

भारत-तिब्बती व्यापार

†१९६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में कलिम्पोंग–गंगटोक–नथूला दर्रा–यातुंग कारवां मार्ग पर भारत-तिब्बत व्यापार की क्या स्थिति है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पिछले तीन महीनों में कलिम्पोंग–गंगटोक–नथूला दर्रा–यातुंग कारवां मार्ग से होने वाले आयात और निर्यात के आंकड़ों में बड़ी कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] A day at Zoo

[2] Courtesy

पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई

†१९७०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) अभी तक कितनी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं और किन स्थानों पर उन्हें कार्यान्वित किया जाना था ; और

(ग) प्रत्येक कार्यान्वित योजना पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) २८ लाख रुपये, जिस में ७ लाख रुपये राज्य का बराबर का अर्थ-सहायता का भाग शामिल है ।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित जानकारी संग्लन विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]**

सायकल के टायरों और ट्यूबों का निर्माण

†१९७१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायरों और ट्यूबों के निर्माण के लिये अब तक कितनी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) छः

(ख) व्यय की सही सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि कि हम गैर सरकार क्षेत्रीय की अगणित इकाइयों में लगाये हुए धन के बारे में न तो सांख्यिकी रखते हैं और न मंगवाते हैं ।

टायर और ट्यूब का उत्पादन

†१९७२. **श्री नरदेव स्नातक :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्यूब और टायर के उत्पादन में हमारा देश कब तक स्वावलम्बी हो जायेगा ;

(ख) ट्यूब और टायर बनाने वाली फैक्टरियां कहां-कहां स्थित हैं और वे कब स्थापित की गई थीं ;

(ग) इन फैक्टरियों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है, उन्होंने गत वर्ष कितना और कितने मूल्य का उत्पादन किया ;

(घ) क्या इन फैक्टरियों की स्थापना के लिये अन्य देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तीन या चार तरह के बड़े। बसों और ट्रकों के टायरों को छोड़कर ट्यूब और टायरों के उत्पादन में हमारा देश स्वावलम्बी है। बड़े आकार के टायरों की कमी केवल अस्थायी और सीमान्त किस्म की है। आशा है कि अतिरिक्त क्षमता के जो लाइसेंस दिये गये हैं उनसे उत्पादन में वृद्धि हो जाने से यह कमी शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

(ख) मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब

कारखाने का नाम	स्थापित किए जाने की तारीख	स्थान
(१) मे० डनलप रबर कम्पनी .	१९३६	साहगंज (प० बंगाल)
(२) मे० डनलप रबर कम्पनी .	१९५९	अम्बाटूर (मद्रास)
(३) मे० फायरस्टोन टायर्स एण्ड रबर कं० .	१९३९	बम्बई

साइकिलों के टायर और ट्यूब

(१) मे० डनलप रबर कम्पनी . .	१९३६	साहगंज
(२) मे० डनलप रबर कम्पनी . .	१९५९	अम्बाटूर
(३) मे० नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स	१९५२	कलकत्ता
(४) मे० आर० बी० एस० मिल्स, हावड़ा .	१९५१ से पहले	लिलुआ, हावड़ा
(५) मे० इंडिया रबर गुड्ज़ मैन्युफैक्चरिंग कं०	१९५१ से पहले	कलकत्ता
(६) मे० प्रीमियर रबर एण्ड केबिल इंडस्ट्रीज़	१९५९	बम्बई
(७) मे० ट्रावनकोर रबर वर्क्स . .	१९५१ से पहले	त्रिवेन्द्रम, केरल
(८) मे० रूबी रबर वर्क्स . .	१९५८	छंगनाचेरी, केरल।
(९) ये० एसोशियेटिड रबर एण्ड प्लास्टिक	१९५८	कलकत्ता

(ग) इन कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार हैं:—

मोटर गाड़ियों के टायर .	१४५८ लाख
मोटर गाड़ियों के ट्यूब . .	१५११ लाख
साइकिलों के टायर . . .	१५११० लाख
साइकिलों के ट्यूब . .	१३८४० लाख

१९५९ में उत्पादन

मोटर गाड़ियों के टायर .	११,३८,६९१
मोटर गाड़ियों के ट्यूब .	११,२५,६८०
साइकिलों के टायर .	९५,११,४४४
साइकिलों के ट्यूब .	९५,५०,२७४

कुछ साधारण आकार के टायरों और ट्यूबों के भाव नीचे दिये गये हैं :—

किस्म	आकार	कितना चलेगा	सूची में दिया मूल्य
			रुपये
बड़े टायर . .	७.५०–२०	१०	३४६.५०
	७.५०–२०	१२	३९८.५०
	८.२५–२०	१०	३८४.२५
	८.२५–२०	१२	४४१.५०
	९.००–२०	१०	४४१.५०
	९.००–२०	१२	५०७.७५
बड़े ट्यूब	७.५०–२०		३१.७५
	८.२५–२०		४४.२५
	९.००–२०		४४.२५
मोटर कारों के टायर	५.००/५.२५–१६	६	९२.५०
	५.७५/६.००–१६	६	११८.७५
	५.५०/५.९०–१५	६	९८.००
मोटर गाड़ियों के ट्यूब	५.००/५.२५–१६		१२.५०
	५.७५/६.००–१६		१३.५०
	५.५०/५.९०–१५		१३.५०
साइकिलों के टायर	२८ × १¹/₂		४.७३
साइकिलों के ट्यूब . .	———	—	२.२६

६ जुलाई, १९६० से उपर्युक्त भाव ३ प्रतिशत बढ़ा दिये गये हैं। यह वृद्धि प्रतिरक्षा सेवाओं अथवा मूलभूत सामान के लिये दिये गये माल पर लागू नहीं होती है।

(घ) और (ङ) देश में मोटरों और साइकिलों के टायर और ट्यूब बनाने वाली जो विभिन्न कम्पनियां हैं उनमें से मे० डनलप रबर कम्पनी (इंडिया) और मे० फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया तथा मे० सीट टायर्स आफ इंडिया की स्थापना विदेशी वित्तीय सहायता से की गई है। प्रत्येक कम्पनी में कितनी विदेशी पूंजी लगी है उसकी ठीक ठीक राशि तुरन्त उपलब्ध नहीं हो सकती।

उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग

†१९७३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ मार्च १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये दो प्रशिक्षण एवं निर्माण केन्द्रों ने अब तक कार्य आरंभ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि जिन इमारतों में ये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे वे चालू वित्तीय वर्ष में बनाई जायेंगी। इमारत का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् केन्द्रों में कार्य आरंभ किया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†१९७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री २५ फरवरी, १९६० के अतरांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त एक सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) प्रतिवेदन का परीक्षण कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जा रहा है।

धार्मिक संस्थाओं के लिये खेती की भूमि

†१९७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में उन शेष सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं को, जिन्होंने अभी कार्य आरम्भ नहीं किया है, निष्कांत कृषि भूमि आवंटित करने के प्रश्न पर अभी तक विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). अभी परीक्षण पूरा नहीं हुआ। तथापि व्यक्तिगत मामलों में कार्रवाई की जा रही है, जिन के बारे में जांच पूरी हो चुकी है।

कमीशन द्वारा गवाहों के बयान लिये जाना

१९७६. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों के साथ भारत ने कमीशन द्वारा गवाहों के ब्यान लेने की व्यवस्था कर रखी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अपराधिक मामलों[1] में, विदेशों में रहने वाले साक्षियों का कमीशन द्वारा साक्ष्य लेने के लिये भारत सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ५०४(३) के अन्तर्गत ब्रिटेन, मलाया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, बर्मा, कनाडा, पाकिस्तान और लंका के साथ करार किया हुआ है ।

दीवानी मामलों में, विदेश में रहने वाले साक्षियों का साक्ष्य, "लैटर आफ़ रिक्वैस्ट' के द्वारा प्राप्त किया जाता है । "लैटर आफ़ रिक्वेस्ट' की प्रक्रिया साधारणतया सब देशों में विद्यमान होती है और इस के लिये कोई विशिष्ट पारस्परिक व्यवस्था की जरूरत नहीं होती । तथापि, पाकिस्तान के मामले में, 'लैटर आफ़ रिक्वेस्ट' की सामान्य सुविधा के अतिरिक्त भारत सरकार ने, १४ सितंबर, १९६१ तक दूसरे देशों को भेजे गये अपने राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा उस देश के न्यायालयों में विलंलित दीवानी के मामलों में साक्षी के रूप में एक देश के राष्ट्रजनों के परीक्षण के लिये पारस्पारिक व्यवस्था कर रखी है ।

दिल्ली रेस कोर्स क्लब की जमीन

†१९७७. **श्रीराम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण**, मंत्री १७ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेस कोर्स क्लब की भूमि को किसी दूसरे सार्वजनिक काम में लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (च) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज की फैक्टरी

†१९७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री आसर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज की फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : योजना अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही है तथा उस का परीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Criminal cases.

दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के लिये इमारतें

१९७९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली में दो और इमारतें बना रही है जिन में दफ्तरों के लिए ३ लाख वर्ग फुट स्थान होगा; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सम्भवतः कितना व्यय होगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) हां । उद्योग भवन और कृषि भवन के सामने दो इमारतें बन रही हैं । ये अब पूरी होने वाली हैं और इन में कार्यालयों के लिए लगभग ३,२०,००० वर्ग फुट स्थान प्राप्त हो सकेगा ।

(ख) लगभग १,४५,२१,४२५ रुपये । (इसमें विभागीय व्यय सम्मिलित नहीं है) ।

नई दिल्ली में हटमेंटों का गिराया जाना

१९८०. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली में कुछ ऐसे हटमेंट किराने का विचार कर रही है, जिन में सरकारी दफ्तर हैं और जिनकी आयु खत्म हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन हटमेंट के स्थान पर नये भवन बनाये जायेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). हां । यह प्रस्ताव है कि ज्यों ज्यों पर्याप्त वैकल्पिक स्थान प्राप्त होता जाय, त्यों त्यों उन हटमेंटों को, जिनकी आयु खत्म हो चुकी है, एक प्रावस्था भाजित (फेज्ड) कार्यक्रम के अनुसार गिरा दिया जाये ।

जहां स्थान को नगर आयोजन की आवश्यकताओं के कारण खाली रखना पड़ सकता है, उन मामलों के अतिरिक्त इन सब हटमेंटों के स्थान पर नई इमारतें बनेंगी ।

शिमला में विस्थापित व्यक्तियों को दुकानों का दिया जाना

१९८१. **श्री पद्मदेव:** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में जो मकान और दुकानें पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए उन्हें किराये पर दी गई थीं अब उन्होंने पगड़ी लेकर अन्य लोगों को दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) कोई भी ऐसा मामला सरकार के सामने नहीं आया है । यदि किसी विशेष मामले के बारे में सरकार को सूचना दी जाये तो उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में मजदूरों का कल्याण

†१९८२. **श्री पद्म देव :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के वनों में वृक्ष काटने और उसे नदियों में बहाने का काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिये कोई योजना बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या स्वरूप है; और

(ग) यदि कोई योजना तैयार नहीं की गई तो उसका क्या कारण है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन मजदूरों के लिये एक कल्याण योजना तैयार करने के लिये त्रिपक्षीय प्रविधिक समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है ।

साइकिल के टायरों का निर्माण

†१९८३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल के टायरों के बारे में स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में, किसी फैक्टरी को लाइसेंस दिया जा रहा है; और

(ख) कितनी फैक्टरियों को और वे कहां कहां पर हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभई शाह) : (क) और (ख). भविष्य की आवश्यकताओं और निर्यात के लिये क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, इस समय उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जा रहे हैं, यदि योजना दूसरे पहलुओं से ठोस होती है । अभी हाल में चार लाइसेंस दिये गये हैं, एक बम्बई में, दो मद्रास में और एक उत्तर प्रदेश में । पश्चिम बंगाल को एक लाइल्सेंस दिया जा रहा है । दिल्ली से एक तथा पश्चिम बंगाल से एक प्रार्थनाएं विचाराधीन हैं ।

गोआ में अणु राकेट अड्डा

†१९८४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली सरकार ने गोआ में एक अणु राकेट अड्डा बनाने के लिये अमरिका सरकार स प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) भारत सरकार को कोई सूचना नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, परन्तु स्पष्टतः सरकार गोआ में ऐसे किसी अड्डे के स्थापित किये जाने का जोरदार विरोध करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली से चलने वाले खेती के औजारों[1] का निर्माण

†१९८५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली से चलने वाले खेती के औजारों (टिलर्स) के निर्माण के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या फैक्टरी विदेशी सहयोग के साथ स्थापित की जायगी; और

(ग) संयंत्र की क्षमता तथा लागत क्या होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) से (ग). निम्न दो फर्मों को बिजली के 'टिलर' बनाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम १९५१ के अधीन लाइसेंस दिये गये हैं :—

क्रमांक फर्म का नाम	लाइसेंस देने की तिथि	फैक्टरी का स्थान	वार्षिक लाइसेंस क्षमता	संयंत्र तथा उपकरण की लागत
१. मैसर्स ईस्ट एशियाटिक कंपनी (इण्डिया) प्राइवेट लि०, बम्बई	१६-६-६०	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	२४०००	२५ लाख रुपये
२. मैसर्स टेस्टील्ज लि० बम्बई	४-७-६०	अहमदाबाद जिला गुजरात	१२०० आरम्भ में ६,००० (अन्त में)	एक वर्तमान फैक्टरी में एक नई वस्तु के रूप में इसका निर्माण किया जायेगा । अतिरिक्त अपेक्षित मशीनरी की लागत मालूम नहीं है ।

मैसर्स ईस्ट एशियाटिक कम्पनी की योजना में कोई विदेशी सहयोग नहीं है, परन्तु टेस्टील्ज एक जापानी फर्म के सहयोग से बिजली के टिलर बनाने का विचार रखता है ।

अफ्रीकी देशों को चाय का निर्यात

†१९८६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में अफ्रीकी देशों को कितनी चाय का निर्यात किया गया; और

(ख) १९५८–५९ की तुलना में यह कैसा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). ५२,१४०,७२४ पौण्ड भारतीय चाय १९५९–६० में अफ्रीकी देशों को भेजी गई थी और १९५८–५९ में ३६,५९९,८६१ पौण्ड ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Power Tillers

शुद्ध माप यंत्रों के लिये निर्माण लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†*१९८७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० र० अदमुगम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शुद्ध माप यंत्रों के निर्माण में भारत शिल्पिकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक केन्द्र की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र के कब स्थापित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) फ्रांसीसी अधिकारियों से प्रस्तावित केन्द्र के बारे में अधिक विस्तृत बातचीत करने के लिये भारत में दूसरा फ्रांसीसी शिष्टमण्डल भेजने की प्रार्थना की गई है ।

(ख) यह बातचीत के परिणाम पर निर्भर होगा ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरणों में जल-विद्युत् परियोजनायें

१९८८. श्री दी० चं० शर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में जलविद्युत् परियोजनाओं के परीक्षण में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री श्री (जवाहरलाल नेहरू)** : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने नेफा में बामडी ला, तेजू, आलोंग और पासीघाट के समीप चार जल विद्युत परियोजनाओं का प्रावेक्षण सर्वेक्षण किया था । बामडी ला, आलोंग और पासीघाट की योजनायें अच्छी पाई गईं और तेजू योजना की अधिक जांच करने की आवश्यकता अनुभव हुई । परियोजनाओं की अधिक विस्तृत जांच करने के लिये एक असिसटेंट इंजीनियर के अधीन एक जांच सबडिवीजन बनाने का फैसला किया गया है । जून १९६१ तक इन के पूर्ण होने की आशा की जाती है ।

खुदाई का सामान[1]

†**१९८९. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में खुदाई का सामान बाहर से मंगवाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९५८, १९५९ और १९६० (जनवरी-मई) में लग भग ६.४७ करोड़ रुपये की लागत का खुदाई का सामान और पुर्जे विदेश से मंगवाये गये ।

ब्रिटेन को निर्यात

†**१९९०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन को भारतीय माल का निर्यात बढ़ाने के लिये हाल में क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Drilling Equipment.

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) विवरण संलग्न है ।

विवरण

१. (१) ब्रिटेन ने में १५ जनवरी १९६० से पटसन नियंत्रक द्वारा मंगवाये गये पटसन माल पर "मार्क अप" ३० प्रतिशत से घटा कर २० प्रतिशत कर दिया । "मार्क अप" में अधिक कमी करने के प्रश्न पर ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है ।

(२) ब्रिटेन में चाय वर्धन कार्य के लिये एक अनुभव अधिकारी तैनात करने का फैसला किया गया है ।

(३) स्वतंत्र अभिकरणों ने (क) चाय, और (ख) रेशमी तथा सूती शालों (स्कार्फों) का बाजार सर्वेक्षण किया है ?

(४) सीमित स्तर पर ब्रिटेन में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया गया था ।

(५) निम्न संगठनों की ओर से व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजे गये थे :

(१) भारतीय पटसन मिल्स संघा ;

(२) खेल का सामान निर्यात वर्धन परिषद्;

(३) नारियल जटा बोर्ड ।

(६) ब्रिटेन के समाचारपत्रों में काजू और काली मिर्च जैसी वस्तुओं के प्रेस प्रचार की व्यवस्था की गई थी ।

२. लागत कम करने और गुण-प्रकार बढ़ाने के उद्देश्य के लिये किये गये उपायों के द्वारा विदेशी बाजारों में भारतीय माल की प्रतियोगितात्मक स्थिति को सामान्यतया बढ़ाने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों के अतिरिक्त उपरोक्त कदम उठाये गये हैं ।

दिल्ली में औद्योगिक मकान

†*१९९१. **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने औद्योगिक मकान बनाये गये हैं जिन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) इन मकानों में से रहने के कितने मकान १९५९-६० में बने हैं ; और

(ग) इन मकानों का कितना किराया निर्धारित किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) से (ग). एक विवरण साथ लगा है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**

उमेरकोट में भोजन का विषाक्त हो जाना

†१९९२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक चार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य के उमेरकोट क्षेत्र में भोजन के विषाक्त हो जाने से छः व्यक्तियों का एक विस्थापित परिवार मर गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भोजन के विषाक्त होने के क्या कारण थे ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). वहां बसने वाले ८ व्यक्तियों के एक परिवार की मां ने किसी वन पौधों के पत्ते इकट्ठे किये और उन्हें मध्यान्ह भोजन के लिये तैयार किया । परिवार के ४ व्यक्तियों ने वह भोजन खाया और ४ व्यक्तियों ने इस के कड़वे स्वाद के कारण नहीं खाया । दो या तीन घंटों के पश्चात्, जिन्होंने वह चीज खाई थी, उन के आमाशय में दर्द की शिकायत हुई और वे बीमार हो गये । तो भी उन्होंने अगले दिन तक डाक्टर को इस की सूचना नहीं दी । फिर भी डाक्टर को यह नहीं बताया गया कि उन व्यक्तियों ने क्या खाया था । सर्वोत्तम डाक्टरी चिकित्सा के बावजूद, चारों व्यक्ति एक दूसरे के बाद थोड़े थोड़े समय में मर गये ।

पंजाब और पश्चिम पाकिस्तान की विभाजन समिति

†१९९३. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और पश्चिम पाकिस्तान की सरकारों की विभाजन समिति का कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, अभी कितना कार्य करना शेष है और उसे शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) केवल दस बातें ऐसी हैं जो नीचे दी गई हैं, जिन के बारे में विभाजन समिति को आगे विचार करना है :

१. लाहौर के संग्रहालय की प्रदर्शन वस्तुओं का विभाजन ।

२. पंजाब (प०) और पंजाब (भा०) सरकारों के बीच राशियों का समायोजन । पंजाब (भा०) के गर-मुस्लिम उत्पादन शुल्क अनुज्ञप्ति प्राप्त लोगों की दो महीनों की पेशगी रकम, २५,१३,१३९ रुपये का लौटाया जाना ।

३. विभागीय पुस्तकालयों का विभाजन ।

४. संयुक्त पंजाब में प्राप्तिकर्ता प्रशासनों और परिषणियों की ओर से रखी गई राशियों का निपटारा ।

५. १५-८-४७ से ३१-१२-४७ के बीच ऊहाल नदी से पश्चिम पाकिस्तान को बिजली देने के लिये पंजाब (भा०) के बिल में सम्मिलित विभिन्न मदों सम्बन्धी विवाद का निपटारा ।

६. १५-८-४७ से ३१-१२-४७ के बीच पंजाब (भा०) की ऊहल नदी योजना से बिजली दिये जाने के बारे में पश्चिम पाकिस्तान का बिल । इस सांझे काम पर व्यय किये गये पुंजकृत व्यय में पंजाब (भा०) का अंश ।

७. लार्ड लारेंस स्मारक निधि के विभाजन के बारे में कार्यान्विति समिति के फैसले की पुष्टि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

८. पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर को दी गई वस्तुओं और की गई सेवाओं सम्बन्धी दावे ।

९. ऐचिसन कालेज लाहौर की आस्तियों का विभाजन ।

१०. पश्चिम पाकिसतान में गैर मुस्लमानों द्वारा छोड़े गये अनाज, चीनी, नमक रोक आदि के स्टाक की लागत का भुगतान--दावों का अनुमान लगाने के लिये संयुक्त समिति की स्थापना ।

पंजाब सरकार शीघ्रातिशीघ्र समिति की अगली बैठक आयोजित करने के लिये पश्चिम पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना करने का इरादा रखती है ।

सरकारी उपक्रमों में पद

†११९४. { श्री पुन्नूस :
श्री दिनेश सिंह :
श्री रामजी वर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में पदों के लिये प्रविधिक व्यक्तियों की तालिका बनाने के प्रस्ताव का विज्ञापन दिया है ;

(ख) क्या अनुभवी इंजीनियरों और शिल्पिकों से प्रार्थनापत्र मंगवाने की अधिसूचना में सरकारी कर्मचारियों को अर्जी न देने से रोका गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकारी क्षेत्रीय निगमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के मामले में, राज्य सरकारों, अन्य मंत्रालयों, विभागों तथा सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं के प्रमुख अधिकारियों के पास परिचारी पत्र भेजे गये हैं कि वे इस तालिका के लिये उन अभ्यर्थियों के नाम भेजें जो इस तालिका में आना चाहते हैं, यदि उन के विभाग उन्हें उनके वर्तमान पद से मुक्त कर सकते हैं । अतः ऐसे अफसरों से कोई औपचारिक अर्जियां नहीं मांगी गई, परन्तु इस भर्ती के लिये उन के नियोजकों से सहयोग की मांग की गई थी ।

आदिम जातीय बोलियां

†११९५. श्री प्र० के० देव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न आदिम जातीय बोलियों का शब्द-कोष तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस शब्द-कोष में किन आदिमजातीय बोलियों के शब्द दिये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का शब्द-कोष को प्रकाशित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन ने विभिन्न आदिम जातीय बोलियों के कोषों को तैयार करने का काम हाथ में लिया है। दिगारु मिशमी भाषा का कोष तैयार हो चुका है और छप रहा है।

(ग) जी हां।

कानपुर में कारखानों का बन्द होना

†१९९६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में तेल के बहुत से कारखाने, माल जमा हो जाने के कारण, बन्द हो गये हैं अथवा होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितने कर्मचारी बेकार हो गये हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को बेकार होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां। माल जमा हो जाने के कारण कानपुर के तेल के कुछ कारखाने बन्द होने वाले थे किन्तु कोई कारखाना वस्तुतः बन्द नहीं हुआ;

(ख) इस का किसी कर्मचारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ; और

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक तालिकायें

†१९९७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रोनिक्स तथा वायरलेस उपकरण, रिफ्रेक्टरी उद्योग, रेडियो, चमड़ा और चमड़े का सामान और घड़ियां बनाने के उद्योगों की औद्योगिक तालिकाओं द्वारा अपनी सिफारिशें किस तिथि तक दिये जाने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : विभिन्न उद्योगों सम्बन्धी औद्योगिक तालिकायें और विकास परिषदें सम्बद्ध उद्योगों के कार्य की समीक्षा करती रहती हैं और समय समय पर उन के बारे में उपयुक्त सुझाव/सिफारिशें देती रहती हैं।

चमड़ा और चमड़े के सामान बनाने के उद्योग सम्बन्धी तालिका का को इस बीच चमड़ा, चमड़े का सामान और 'पिकर' उद्योग की तालिका को विकास परिषद् में परिवर्तित कर दिया गया है।

मशीनों का निर्माण

†१९९८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मशीनों के निर्माण के विविध पहलुओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई स्थायी समितियां अपनी रिपोर्टें कब देंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मशीनों के निर्माण सम्बन्धी एक स्थायी समिति ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। आशा है कि ४ अन्य समितियां अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, १९६० तक दे देंगी और छटी समिति (मशीनी औज़ारों के लिये) को अन्य समिति को रिपोर्टों पर, जब वे तैयार हो जायेंगी, विचार करना है इसलिये इस की रिपोर्ट कुछ समय पश्चात् पेश होगी।

सिगरेटों का निर्यात

†१९९९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिगरेटों के निर्यात की अनुमति देती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किन देशों को निर्यात करने के लिये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख) सिगरेटों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सिगरेटों का निर्यात अदन, बहरीन द्वीप, कुवेत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान को किया जाता है।

भारी ढांचे बनाने का कारखाना

†२०००. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन की मैसर्स एटकिन्स एण्ड पार्टनर्स कम्पनी द्वारा भारी ढांचे बनाने के कारखाने और भारी प्लेट और जलयान बनाने के कारखाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट कब पेश की गयी थी ;

(ख) इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) ब्रिटेन की सरकार द्वारा इस व्यय का कितना हिस्सा बंटाया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) भारी ढांचे बनाने के कारखाने और भारी प्लेट और जलयान कारखानों की परियोजनाओं के बारे में ब्रिटेन के मैसर्स एटकिन्स एण्ड पार्टनर्स द्वारा तैयार की गयी रिपोर्टें दिसम्बर, १९५९ में प्राप्त हुई थीं। इन परियोजनाओं की रिपोर्टों के तैयार करने में कुल १८,५०० पौंड व्यय हुए जिसमें से ब्रिटेन की सरकार ने कोलम्बो आयोजना की एक योजना के अन्तर्गत १४,००० पौंड देना मंजूर किया है। शेष ४५,०० पौण्ड भारत सरकार को देने पड़ेंगे।

केरल में रेडियो स्टेशन

†२००१. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्टेशन की स्थापना के बारे में कोई निश्चय किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) और (ख) देश में अधिक से अधिक क्षेत्र को प्रसारण के अन्तर्गत लाने के लिये, भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में अधिक मध्यम-तरंग ट्रांसमीटरों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है। केरल इन ट्रांसमीटरों की स्थापना के स्थानों की उपयुक्तता के प्रश्न पर टैक्निकल और अन्य बातों की दृष्टि से विचार किया जा रहा है। अभी तक इस बात का कोई निश्चय नहीं किया गया ये ट्रांसमीटर किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे।

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा छापे

†२००२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जून, १९६० में पाकिस्तानियों के एक दल ने, जिनके पास हलकी मशीन गनें और ३०३ किस्म की रायफलें थीं, दक्षिण पूर्व काश्मीर में सीमा पर स्थित एक गांव में छापा मारा और एक सिख को बुरी तरह से घायल कर दिया ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: २२ जून, १९६० को १५ सशस्त्र व्यक्तियों के एक दल ने खिलनमर्ग में, जो गुलमर्ग से लगभग ३ १/२ मील दूर है और युद्ध-बन्दी रेखा हमारी ओर लगभग १½ मील है, कुछ नागरिकों की दुकानों पर छापा मारा। उनमें से दो व्यक्ति, जिनके पास ३०३ प्रकार की रायफलें थीं, साधुसिंह नामक एक व्यक्ति की दुकान में घुस गये और लगभग ५०० रु० की नगदी लूटने के पश्चात् उन्होंने दुकान को आग लगा दी। साधुसिंह ने आग बुझाने की कोशिश की तो आक्रमणकारियों ने उस पर हथगोले फेंके जिससे वह भीषण रूप से घायल होगया।

व्यापार चिह्न

†२००३. **श्री परूलकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय निर्माताओं ने १९५९–६० में विदेशी कम्पनियों को, उनके व्यापार चिह्नों (ट्रेड मार्क्स) का प्रयोग करने पर, रायल्टी के रूप में अनुमानत: कुल कितनी रकम अदा की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : व्यापार-चिह्नों (ट्रेड मार्क्स) के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

उल्हासनगर में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†२००४. **श्री परूलकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाना जिले में उल्हासनगर के विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितना ऋण दिया गया ;

(ख) उसमें से कितने की वसूली हो चुकी है; और

(ग) कितना ऋण बकाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ४६,५८,५७५ रु० ।

(ख) ११,६६,५३७ रु० मूलधन के रूप में और १,६१,७३९ रू० सूद के रूप में ।

(ग) ३४,७९,३५६.३६ रु० मूलधन के रूप में और ६,९४,२६०.९१ रु० सूद के रूप में ।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास

†२००५. **श्री सुबिमन घोष:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी लोक-सभा के शुरू होने के पश्चात् पूर्व बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास पर अलग अलग कितना धन व्यय किया गया ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : दण्डकारण्य परियोजना पर हुए व्यय को छोड़ कर कुल ४७४४.९७ लाख रु० व्यय किये गये जिसमें १८५२.८४ लाख रुपये 'सहायता' पर २८९२.१३ लाख रु० 'पुनर्वास (अनुदान, ऋण और पूंजी परिव्यय)' पर खर्च किये गये ।

'पी० वी० सी० कम्पाउण्ड्'

†२००६. **श्री राम गरीब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में पी० वी० सी० कम्पाउण्ड की कितनी मांग है ;

(ख) दिल्ली में पी० वी० सी० कम्पाउण्ड बनाने वाले कारखानों के क्या नाम हैं;

(ग) दिल्ली में पी वी० सी० कम्पाउण्ड के कारखानों का मासिक उत्पादन कितना है;

(घ) क्या निर्माताओं को पी० वी० सी० कम्पाउण्ड बनाने के लिये आवश्यक कच्चे माल का पूरा कोटा दिया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो मशीनों की बेकार पड़ी क्षमता का लाभ उठाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में पी० वी० सी० कम्पाउण्ड की कुल वार्षिक मांग अनुमानत: ८५० टन है ।

(ख) मैसर्स रिलायेबल इलैक्ट्रिक एण्ड केबल कम्पनी, दिल्ली ।

(ग) और (घ). इस कम्पनी को प्रतिवर्ष ६४८ टन पी० वी० सी० कम्पाउण्ड बनाने के लिये, उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया है । आयातित रेसिन और प्लास्टिसाइजर्स के सम्बन्ध में उनकी मांग प्रतिवर्ष १२० टन है और यह सारी मांग पूरी की जा रही है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय-बागान

†२००७ **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने चाय-बागान और कारखाने हैं, जिनके मालिक विदेशी हैं ;

(ख) कितने चाय-बागानों के मालिक भारतीय हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त बागानों के कर्मचारियों की स्थिति कैसी है; और

(घ) इन बागानों में प्रतिवर्ष कितने भारतीयों को पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५]**

अटेरन उद्योग[1]

†२००८. **श्री आचार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अटेरन उद्योग में लगे व्यक्तियों की इस शिकायत पर विचार किया है कि भारत में बने आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई की कमी के कारण उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने आवश्यक आयात लाइसेंस देने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है ताकि उद्योग को हानि न पहुंचे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) निर्माताओं की अत्यावश्यक जरूरतों को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये लकड़ी का तदर्थ आधार पर आयात करने के लिये, वस्त्र उद्योग में अटेरन बनाने वालों के 'वास्तविक प्रयोक्ता आवेदन पत्रों' पर विचार करने का निश्चय किया गया है ?

नारियल उत्पादन

†२००९. **श्री कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन ।

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रयेक राज्य में क्रमश: १९५६, १९५७, १९५८ और १९५९ में नारियल की औसत उपज कितनी थी और उसका मूल्य कितना था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष नारियल के तेल का उत्पादन और मूल्य कितना था ;

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष में खोपरे का और नारियल का कितना तेल बाहर भेजा गया और उसका मूल्य कितना था; और

(घ) इस अवधि के प्रत्येक वर्ष में खोपरे के नारियल के कितने तेल का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क)से(घ). आवश्यक जानकारी देने वाले चार विवरण संलग्न हैं **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]**

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से दस्तावेज की चोरी

†२०१०. **श्री आसर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया रेडियो के कलकत्ता केन्द्र से पिछले तीन महीनों में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अैर टेप (tapes) चोरी हो गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bobbin Industry.

(ख) यदि हां, तो नुक्सान का व्योरा क्या है ;

(ग) क्या इन दस्तावेजों और टेप-रिकार्डों को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या और उसका क्या परिणाम निकला है ;

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) आल इंडिया रेडियो, कलकत्ता से किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज की चोरी नहीं हुई। मार्च, १९६० में १८० टेप-रिकार्डिंग स्पूल (spools) चोरी हो गये थे।

(ख) इन टेपों का मूल्य लगभग ३,७५० रु० है।

(ग) और (घ) जी हां। पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गयी थी और उसने अब तक ७० फीते (tape) खोज निकालने में सफलता मिली है और उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। रेडियो स्टेशन के कुछ कर्मचारियों के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गयी है।

भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

†२०११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अगस्त, १९६०, को अमृतसर से ४५ मील दूर कलिया संखत्रा—गांव में, जो भारत-पाक सीमा पर स्थित है, एक पाकिस्तानी तस्कर-व्यापारी गोली लगने से मारा गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का व्योरा क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) ३१-७-१९६० और १-८-१९६० के बीच की रात को संखत्रा गांव के निकट पुलिस दल ने, जो नाकाबन्दी ड्यूटी पर था, तीन आदमियों को पाकिस्तान की ओर से आते देखा। इन लोगों को भारतीय इलाके में चुनौती दी गयी। उनमें से एक ने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया जिसके जवाब में पुलिस ने अपनी रक्षा के तौर पर गोली चलायी। इसके परिणामस्वरूप एक आदमी मारा गया और बाकी दो व्यक्ति अंधेरे में भाग निकले।

नारियल जटा की चीजों का निर्यात

†२०१२. { **श्री कोडियान** :
श्री वें० प० नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से विदेशों को, विशेषतः पश्चिमी यूरोपीय देशों को नारियल जटा की चीजों के पुराने समय से होने वाले निर्यात में कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये नारियल-जटा बोर्ड द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मंडलों ने क्या सुझाव दिये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ७७।]

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् भवन का सैण्ट्रल हाल

†२०१३. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा कालीन अधिवेशन शुरू होने से पहले संसद् भवन के केन्द्रीय हाल की मरम्मत तथा सजावट आदि पर कुल कितना व्यय किया गया ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** इस काम पर १२,५०० रु० खर्च हुआ ।

संसद् भवन के लॉन

†२०१४ **श्री अ० मु० तारिक :** क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद भवन के घास के लॉन की देख-रेख के लिये प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है ;

(ख) वर्षा कालीन अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पहले घास के फिर से लगाये जाने पर कितना खर्च आया ;

(ग) क्या इन लान की घास की बिक्री से कुछ आय होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) लगभग २६,७०० रु० ।

(ख) लगभग ३,८०० रु० ।

(ग) जी हां ।

(ग) ६० रु० ।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अस्थियां

†२०१५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या प्रधान मन्त्री ३१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के परिवार ने टोकियो के एक मन्दिर से नेता जी की अस्थियों को लाने के संबंध में कोई अनुरोध किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके परिवार के साथ कोई सम्पर्क स्थापित किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि शाहनवाज समिति की रिपोर्ट पर इस समिति के सभी सदस्यों के सही हस्ताक्षर हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नेताजी जांच समिति के तीन सदस्यों में से दो ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे और तीसरे सदस्य ने विमति टिप्पण दिया था ।

'नवीन भारत के निर्माता' माला

†२०१६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नवीन भारत के निर्माता' माला के अन्तर्गत कितने और व्यक्तियों की जीवनियां प्रकाशित की गयी हैं ;

(ख) क्या सूची में कुछ और नेताओं के नाम जोड़े गये हैं ; और

(ग) इन जीवनियों के लिये सामग्री कहां से इकट्ठी की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) २२ मार्च, १९६० के पश्चात् कोई और जीवनी प्रकाशित नहीं की गयी । हां, कुछ किताबें तैयार की जा रही हैं ।

(ख) इस कार्य के लिये नियुक्त की गयी समिति हमेशा नये नामों पर विचार करती रहती है । किन्तु यह बात याद रखनी चाहिये कि विभिन्न विद्वानों को उनका काम सौंपने में कुछ समय लगेगा और तत्काल ही बहुत सी जीवनियां तैयार करना सम्भव नहीं है । जीवनी लेखन का कार्य उपयुक्त लेखक के मिलने पर ही हाथ में लिया जा सकता है ।

सामग्री इकट्ठा करने का काम लेखक का होता है और लेखक का चुनाव सम्बद्ध विषय के संबंध में उसके व्यापक ज्ञान के आधार पर किया जाता है ।

आदिमजातियों की संस्कृति सम्बन्धी प्रसारण

२०१७. **श्री जांगड़े** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ और १९६० में अब तक आकाशवाणी के नागपुर, भोपाल, इन्दौर और दिल्ली केन्द्रों से आदिमजातियों की सांस्कृतिक कला संबंधी कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये और

(ख) क्या उन सब के रिकार्ड एक ही स्थान पर तैयार किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५९-६० और १९६०-६१ (३१-७-६० तक) में आकाशवाणी के नागपुर, भोपाल इन्दौर और दिल्ली केन्द्रों से आदिमजातियों के सांस्कृतिक संबंधी जो कार्यक्रम प्रसारित किये गये उन की संख्या नीचे दी गई है :—

	१९५९-६०	१९६०-६१ (३१-७-१९६० तक)
नागपुर	२७	—
भोपाल	१५	८
इन्दौर .	१७	५
दिल्ली	४	२

(ख) जी नहीं, ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर रिकार्ड किये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

रायपुर ग्वालियर और जबलपुर में रेडियो स्टेशन

२०१८. **श्री जांगड़े** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंजीनियरों का एक दल भूमि के सर्वेक्षण और रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये स्थान का निश्चय करने के हेतु, रायपुर, जबलपुर और ग्वालियर आरम्भिक जांच करने गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) रायपुर, जबलपुर और ग्वालियर में रेडियो स्टेशन या प्रसारण केन्द्र या पारेषण केन्द्र कब तक खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी के इंजीनियरों के एक दल ने हाल ही में रायपुर और जबलपुर की आस पास की जगहों का सर्वेक्षण किया । उम्मीद है कि ग्वालियर के पास के इलाके का सर्वेक्षण शीघ्र ही किया जायेगा । मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की स्थापना से पहले सुविधाओं, आवश्यकताओं आदि के अध्ययन के लिये इन सर्वेक्षणों के करने की आवश्यकता है ।

(ख) प्रारम्भिक रिपोर्टें मिल चुकी हैं तथा और तांत्रिक जांच का कार्य जारी है ।

(ग) कोई भी स्थान अभी तक अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है । ऐसा अनुमान है कि ये ट्रांसमीटर तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में चालू हो जायेंगे ।

आकाशवाणी, कटक

†२०१९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, कटक ने स्थानीय समाचारों के संग्रह के लिये उड़ीसा के विभिन्न भागों में अपने संवाददाता नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर में जो संवाददाता नियुक्त किया गया है वह वही व्यक्ति है जो उड़ीसा के मुख्य मंत्री के दैनिक कांग्रेसी समाचार पत्र का प्रतिनिधि है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). आकाशवाणी के पास इस समय उड़ीसा में केवल भुवनेश्वर में एक अंश-कालिक संवाददाता हैं जिसका कार्य प्रादेशिक समाचार-बुलेटिन के लिये स्थानीय समाचारों का संग्रह करना है । कहा जाता है कि यह व्यक्ति प्रजातंत्र प्रचार समिति के समाचार-पत्र 'प्रजातंत्र' का संवाददाता भी है ।

उल्हासनगर में दुकानदारों से किराये की वसूली

†२०२०. **श्री आसर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने थाना जिले में उल्हासनगर के दुकानदारों को उन प्लाटों के, जिन पर उनका कब्जा है, किराये की अदायगी के नोटिस दिये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि किराये की रकम प्लाटों की मूल लागत से बहुत अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि दुकानदार इन प्लाटों की मूल-कीमत देने को तैयार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). इनमें से बहुत से प्लाट ऐसे हैं, जिन्हें नगर की वृहद-योजना के अनुसार सड़कों को चौड़ा करने के लिये प्राप्त किया गया था । इन प्लाटों के ऊपर अनधिकृत रूप से अस्थायी ढांचे खड़े कर लिये गये हैं किन्तु नगर के हितों को हानि पहुंचाये बिना इन प्लाटों पर कब्जे को नियमित नहीं किया जा सकता । उल्हासनगर के जिन प्लाटों पर विस्थापित व्यक्तियों का ३१–१२–१९५७ से लगातार कब्जा है उनको रक्षित-मूल्य पर बेचने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, यदि नगर की योजना के अनुसार लोक-हित के लिये उस जमीन की आवश्यकता नहीं होगी ।

काश्मीर में विध्वंस-कार्य

†२०२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में काश्मीर में तोड़-फोड़ के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं ; और

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जनवरी १, १९६० से १५ अगस्त, १९६० तक ऐसी ६२ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में ऐसी ५६ घटनायें हुई थीं ।

(ग) पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर के विध्वंसकारियों की कार्यवाहियों को रोकने के लिये जैसे कदम पहले उठाये जाते थे वैसे ही अब भी उठाये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के पूछ-ताछ कार्यालयों में शिकायत/सुझाव पुस्तकें

†२०२२. { **श्री नेकराम नेगी** :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और सभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के किसी भी पूछताछ कार्यालय में कोई शिकायत/सुझाव पुस्तक नहीं है जहां कि सरकारी मकानों के एलाटी केन्द्रीय लोक-निर्माण

†मूल अंग्रेजी में

विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी रिपोर्टों पर ध्यान न दिये जाने के विरुद्ध अथवा केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा देर से अथवा असंतोषजनक रूप से की गई वार्षिक मरम्मतों के विरुद्ध अपनी बातें उसमें दर्ज कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सभी पूछताछ कार्यालयों में शिकायत/सुझाव पुस्तक लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सभी पूछताछ कार्यालयों में शिकायत पुस्तकें रखी जाती हैं जिनमें जबानी, टेलीफोन पर अथवा लिखित रूप में कोई शिकायत आने पर अथवा उनकी किसी आवश्यकता के बारे में सूचनायें सूचना-क्लर्क द्वारा दर्ज की जाती हैं। प्रश्न में निर्दिष्ट स्वरूप की कोई शिकायत/सुझाव पुस्तक नहीं रखी जाती ।

(ख) और (ग). शिकायत पुस्तक में दर्ज की गई शिकायतों पर केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी यथा-समय ध्यान देते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इन रजिस्टरों की समय समय पर जांच की जाती है ताकि उसमें कोई ढील अथवा त्रुटि न हो। इसके अतिरिक्त निवासियों की संस्था अक्सर सुझाव भेजती है जिन पर सरकार द्वारा उचित रूप में विचार किया जाता है। अलावा भी व्यक्तिगत रूप से निर्माण,आवास और संभरण मंत्रालय को सुझाव भेज सकते हैं। अतः केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में सुझाव पुस्तकें रखना आवश्यक नहीं समझा गया है।

तांबे का अभ्यंश

†२०२३. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रदेश को तांबे का कितना वार्षिक अभ्यंश (कोटा) आवंटित किया गया है ;

(ख) इसका वितरण किस प्रकार किया जाता है और इसका वितरण कौन करता है; और

(ग) यहां पर और अन्य स्थानों पर इसके वितरण के बारे में क्या मानदंड है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये प्रत्येक राज्य में प्रत्येक लाइसेंस की अवधि के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कुछ अभ्यंश (कोटा) रखा जाता है। चालू वर्ष के लिये, अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, १९६० तक, दिल्ली प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ३०० टन तांबा अलग रखा गया है। सम्बन्धित उद्योगों के निदेशक को सिफ़ारिश के आधार पर आवश्यकता को देखते हुये अलौह-धातु नियंत्रक यूनिटों को पर्मिट जारी करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पीतल और तांबा

†२०२४. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतल और तांबे का वितरण केवल उत्तर भारत में लघु उद्योगों को किया जाता है और दक्षिण भारत में नहीं ;

(ख) यदि हां, तो वितरण में इस असमता के क्या कारण हैं; और

(ग) वितरण के लिये अधिकतम कितना समय लिया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आवंटन प्रति छमाही किया जाता है और वितरण जब भी माल आ जाता है, तब किया जाता है ।

तांबे और जस्ते का आवंटन

†२०२५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्योगों के लिये प्रत्येक राज्य को (१) अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९, (२) अप्रैल से सितम्बर, १९५९ और (३) अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६० तक पृथक पृथक कितना कच्चा तांबा और जस्ता आवंटित किया गया ;

(क) अनुसूचित उद्योग; और

(ख) अननुसूचित उद्योग ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) यह राज्य-वार आधार पर नहीं, अपितु कारखानों की संख्या पर निर्भर करते हुये वास्तविक उपभोक्ता के आधार पर आवंटित किया जाता है ।

(ख) ये आवंटन पिछले कार्य और उपभोग के आधार पर किये जाते हैं । यदि माननीय सदस्या यह बतायें कि किस विशेष राज्य के लिये वह आंकड़े जानना चाहती हैं, तो मैं उन्हें पृथक् रूप से बनवा लूंगा ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित की गयी भूमि

†२०२६. **श्री दशरथ देब :**
श्री हालदर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की बस्तियों में बसाये गये शरणार्थियों की भूमि को उचित रूप से रेखांकित कर दिया गया है और वह उनको आवंटित कर दी गई है ;

(ख) क्या तावजी कर दी गई है और भूमि उनके नाम में परिवर्ति कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य शरणार्थियों से इसके लिये कोई शुल्क लिये बगैर जल्दी कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना)** : (क) त्रिपुरा की पुनर्वास बस्तियों के लिये इस्तेमाल की गई ६५,००० एकड़ भूमि में से लगभग ४०,००० एकड़ में वैयक्तिक भूमि रेखांकित कर दी गई है और वह पुनर्वासित व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई है। बाकी २५,००० एकड़ भूमि के बारे में भी ऐसी ही कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) जी, हां ।

पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा पर ढोरों की चोरी

†२०२७. **श्री दशरथ देव :**
श्री हाल्दार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा कितने ढोर चुराये गये ; और

(ख) ढोरों की इस प्रकार चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पचास ।

(ख) ढोर चुराये जाने के मामलों के बारे में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर के पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की जाती है। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये दोनों देशों के सीमा जिलाधिकारियों की मासिक बैठक में विचार किया जाता है। तथापि, भारत-पाकिस्तान सीमा की लम्बाई के कारण, जिसपर सारी की देखभाल नहीं की जा सकती। इस प्रकार की घटनाओं को पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता ।

भारतीयों का जाली पारपत्र लेकर अमरीका जाना

†२०२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० में अब तक ऐसे कितने व्यक्ति अमरीका गये जिनके पास जाली पारपत्र पाये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वर्ष १९६० में भारतीयों द्वारा जाली पारपत्र लेकर अमरीका जाने का कोई मामला हमारी सूचना में नहीं आया है ।

टायर

†२०२९. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में भारत में कुल कितने टायर तथा ट्यूब बनाये गये और उसी अवधि में कितने आयात किये गये ;

(ख) क्या टायरों की कोई कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी है और इस कमी के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क)

उत्पादन (१९५९-६०) :

मोटर गाड़ियों के टायर	१,१९३,९१
मोटर गाड़ियों के ट्यूब	१,१८७,१३६
बाईसिकिल के टायर	९,८३२,८१५
बाईसिकिल के ट्यूब	१०,५२०,२४२

आयात (१९५९-६०) :

एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७८]

(ख) बड़े साइज के टायरों की कुछ कमी है।

(ग) बड़े टायरों के देशीय उत्पादन और मांग में लगभग ८८० हजार से १ लाख टायर का अन्तर आंका गया है जो कि मांग की अपेक्षा कम उत्पादन के कारण है।

श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति

२०३०. श्री भक्त दर्शन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन समाचार पत्रों के मालिकों के विरुद्ध अब तक ये शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति की सिफारिशों के लागू होने की तिथि से उक्त सिफारिशों को लागू नहीं किया है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में कहां तक सुधार हुआ है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). समिति की सिफारिशों को अमल में लाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। प्राप्त सूचना निम्नलिखित है :—

महाराष्ट्र

पांच शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें तीन ऐसी थीं जिनमें लगाये गये अभियोग निराधार पाये गये। बाकी दो के बारे में जांच हो रही है।

पश्चिमी बंगाल

एक शिकायत प्राप्त हुई और वह श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन की रकम निश्चित करने के लिये श्रम न्यायालय को भेजी गई है।

दिल्ली

वर्गीकरण के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई जो औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दी गई। वहां दोनों पक्षों की रजामन्दी के आधार पर फैसला हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चित्रपट विभाग (फिल्म्स डिवीजन)

†२०३१. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) चित्रपट विभाग (फिल्म्स डिवीजन) द्वारा प्रलेखीय और अन्य विषयों संबंधी चलचित्रों के बनाने के लिये वर्ष १९५९-६० में कुल कितना धन खर्च किया गया और उन चलचित्रों से यदि कोई आय हुई, तो कितनी ; और

(ख) क्या इन चलचित्रों के निर्माण के लिये विभिन्न राज्यों अथवा प्रदेशों में कोई वार्षिक अभ्यंश (कोटा) निर्धारित किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारणमंत्री (डा० केसकर)** : (क) वर्ष १९५९-६० के लिये चलचित्र विभाग (फिल्म्स डिवीजन) के व्यय और आय के विभागीय आंकड़े क्रमशः ७८,७६,७९४ रुपये और ५६,८५,४७२ रुपये हैं ।

(ख) कोई वार्षिक अभ्यंश (कोटा) निर्धारित नहीं किया जाता है परन्तु कार्यक्रम बनाने में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है ।

बालागुला में कागज मिल

†२०३२. **श्री सुगन्धि :**
श्री आगाड़ी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या गन्ने की खोई से कागज बनाने के लिये मैसूर राज्य में बालागुला में कागज मिल के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पूंजी की आज्ञा दी गयी है ; और

(ग) क्या गन्ने की खोई से अखबारी कागज न बनाने की परियोजना को क्रियान्वित न करने की केन्द्रीय सरकार के वर्तमान फैसले को ध्यान में रखते हुये इस मामले में कोई और कार्यवाही की जावेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) २०० लाख रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

बैंगकाक में एशियाइयों के लिये इंजीनियरी संस्था

†२०३३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंगकाक में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन के तत्वाधान में एशियाईयों के लिये एक इंजीनियरी संस्था स्थापित की गयी है ;

(ख) क्या सरकार इस संस्था द्वारा विद्यार्थियों की अदला बदली के लिये किसी योजना में भाग लेने को राजी हो गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या बदले के आधार पर इस संस्था में अध्ययन के लिये किसी भारतीय विद्यार्थी का चयन किया जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ

†२०३४. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों और संस्थाओं की सूची देने की कृपा करेंगे जिनकी मान्यता हाल ही में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का नोटिस देने के कारण वापस ले ली गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : एक सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७९]**

पुनर्वास वित्त निगम

†२०३५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जी० डी० बिड़ला ने पुनर्वास वित्त निगम के प्रधान पद से त्याग पत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) जी, हां क्योंकि उन्होंने देखा वे अपने अन्य कार्यों में वयस्त रहने के कारण निगम के कार्य को देखभाल नहीं कर सकते । जितने समय तक वे निगम के प्रधान रहे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और मंत्रालय इसके लिये उनका आभारी है ।

कमरहट्टी में उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण बोस केन्द्र

†२०३६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कमरहट्टी में प्रयम रूप उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण केन्द्र[1] का कार्यभार पश्चिमी बंगाल सरकार को सौंपा जायेगा ;

(ख) क्या अरब-की-सराय दिल्ली से लाई गयी मशीन को बेचा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**:(क) इस केन्द्र को पश्चिमी बंगाल सरकार को सौंपने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Proto-type Production-*cum*-Training

(ख) कुछ मशीनें जो बोस केन्द्र की इमारत में रखी हुई थीं, विस्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार और दण्डकारण्य प्रशासन को दी जा रही हैं ।

(ग) इन मशीनों की प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्र के लिये आवश्यकता नहीं है और इनका उपयोग पश्चिमी बंगाल सरकार और दण्डकारण्य प्रशासन द्वारा विस्थापितों के लाभ के लिये अच्छी प्रकार किया जा सकता है ।

दिल्ली में घरेलू नौकरों का कल्याण

२०३७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व घरेलू नौकरों के लिए विद्यमान रोजगार दफ्तरों और कल्याण अधिकारी के अतिरिक्त एक परामर्शदाता समिति भी नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन कौन सदस्य हैं ;

(ग) अब तक किस-किस तारीख को समिति की बठकें हुई हैं ;

(घ) इन बैठकों में समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ङ) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) एक सलाहकार समिति बनाई गई है ।

(ख) निदेशक, रोजगार और ट्रेनिंग, दिल्ली प्रशसन	अध्यक्ष
श्री नवल प्रभाकर, संसद्-सदस्य	सदस्य
श्रीमती रक्षा सरन, अध्यक्ष, सामाजिक कल्याण बोर्ड	सदस्य
कुमारी शकुंतला सुल्हान, सेक्रेटरी, कांग्रेस रचनात्मक समिति	सदस्य
उप प्रादेशिक रोजगार अफसर, घरेलू कर्मचारियों का रोजगार दफतर	सेक्रेटरी

(ग) १४ जून और २६ जुलाई, १९६० ।

(घ) और (ङ) ज़रूरी सिफ़ारिशें और उन पर की गई कार्रवाई निम्नलिखित है :—

१. घरेलू कर्मचारियों से संबंधित ट्रेनिंग पाठ्यक्रम के बारे में विचार करने के लिये एक योजना बनाई गई है ।

२. घरेलू कर्मचारियों की नियुक्ति का जो तरीका आजकल है उसके संबंध में कल्याण अफसर नियमित रूप से सूचना इकट्ठा कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. अन्य देशों के घरेलू कर्मचारियों की दशा से संबंधित सूचना इकट्ठी की गई, जिस पर इस समिति ने विचार किया और यह सिफारिश की कि घरेलू कर्मचारियों और उनके नियोजकों की आपसी समझबूझ और सहयोग के जरिये कर्मचारियों की काम करने की दशाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जाये ।

घड़ियों का निर्माण

२०३८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस, जापान, इटली और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से घड़ियों का निर्माण करने की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कहां-कहां कारखाने खोले जायेंगे ; और

(ख) उन में से प्रत्येक के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जापानी फर्म के सहयोग से घड़ियों का निर्माण करने के लिये जो कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में खोला जाने वाला है वह बंगलौर में स्थापित किया जायेगा । एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल घड़ी बनाने का कारखाना खोलने के लिये संयंत्र और मशीनें खरीदने, जापानी टेक्नीशियनों की सेवायें प्राप्त करने तथा भारतीयों के प्रशिक्षण के बारे में अन्तिम रूप से शर्तें तय करने के लिये हाल ही जापान गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसकी जांच की जा रही है ।

फ्रांस के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में जो कारखाना खोला जायेगा उसके बम्बई या उसके आस-पास स्थापित होने की आशा है । यह फार्म विदेशी सहयोग का जो करार करेगी उसका प्रारूप सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिये शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है ।

इटली के सहयोग से जो फर्म घड़ी बनाने का कारखाना खोलना चाहती है उसने अभी तक न तो अपने विदेशी सहयोग के करार का प्रारूप ही प्रस्तुत किया है और न कारखाने का स्थान ही बताया है ।

पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से जो कारखाना खोलने का प्रस्ताव है वह कोयम्बतूर क्षेत्र में होगा । इस फर्म से विदेशीग सहयोग के करार का प्रारूप प्रस्तुत करने को कहा गया है ।

उत्तर प्रदेश में छपाई व लिखने के कागज के कारखाने

२०३९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में छपाई व लिखने के कागज के कारखाने खोलने की प्रार्थना करने वाले पच्चीस व्यक्ति कौन-कौन हैं, वे कहां के रहने वाले हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

(१) उन मिलों का ब्यौरा जिनको औद्योगिक लाइसेंस दिये गए हैं :—

क्रम सं०	मिल का नाम	स्थान	क्षमता टन/वर्ष
१.	नार्दरन इण्डिया पेपर मिल्स लि०, मेरठ सिटी	मेरठ	१८,०००
२.	सर शादी लाल शूगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, मनसूरपुर	जनसाथ	१५,०००
३.	आनन्द पेपर इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, कलकत्ता	गाजियाबाद	४,६८०
४.	बिशनु दयाल काजरावाल, कानपुर	कानपुर	३,६००
५.	व्हाइट पेपर मिल्स, इलाहाबाद	कानपुर	१,८००
६.	स्वेदेशी शूगर सप्पलायर्स (प्र०) लि०, वारानसी	वारानसी	१,८६२
७.	आर० एस० माधोराम एण्ड सन्ज, दिल्ली	गाजियाबाद	३,०००
८.	जे० एन० सिंह एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, लखनऊ	वारानसी	१,५००

(२) आवेदन करने वाली उन फर्मों का ब्यौरा जिनसे संयंत्र और मशीनों का आयात समाप्त करने के लिये कहा गया है :—

क्रम सं०	फर्म का नाम	स्थान	क्षमता टन/वर्ष
१.	आर० आर० इण्डस्ट्रीज, बरेली	बरेली	५,४००
२.	भारत सट्रा बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स (प्रा०) लि०, इलाहाबाद	इलाहाबाद	३,६००
३.	गोरखपुर पेपर मिल्स, गोरखपुर	गोरखपुर	३,६००
४.	मोदी शूगर मिल्स लि०, मोदीनगर	मोदीनगर	३,६००
५.	कृष्णा पेपर एण्ड जनरल मिल्स, पीलीभीत	बरेली	३,६००
६.	खेतान पेपर मिल्स, लक्ष्मीगंज (देवरिया)	गोरखपुर	३,१२०
७.	अग्रवाल स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, कानपुर	कानपुर	३,०००
८.	प्यारेलाल एण्ड सन्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	गाजियाबाद	३,६००
९.	रायजादा ब्रिज मोहनलाल, नई दिल्ली	खटोली	५,४००
१०.	पेपर एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, रामनगर, नैनीताल	रामनगर (नैनीताल)	३,०००/ ३,६००
११.	कमलापत मोतीलाल, फैजाबाद	मोतीनगर	३,०००
१२.	कमलापत मोतीलाल, भाटनी (देवरिया)	भाटनी	९००
१३.	हिमालय पेपर एण्ड पल्प कम्पनी, नई दिल्ली	लालकुआं (नैनीताल)	७,२००
१४.	अभिमन्यु सिंह श्रीवास्तव, गोरखपुर	गोरखपुर	३,१२०

(३) आवेदन करने वाली उन फर्मों का ब्यौरा जिनकी योजनाओं की टेक्निकल जांच-पड़ताल की जा रही है ।

क्रम सं०	मिल का नाम	स्थान	क्षमता टन/वर्ष
१.	गंगाधर बैजनाथ, कानपुर . .	हलद्वानी	३,६००
२.	सुरेन्द्रा ओवरसीस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	गोरखपुर	३०,०००
३.	सेठ जुगमन्दरदास शीतल प्रसाद जैन, मेरठ .	मेरठ	७,२००

सभा पटल पर रखा गया पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९७४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३५०/६०]**

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १६ अगस्त, १९६० को पारित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक को राज्य सभा ने अपनी ३१ अगस्त, १९६० की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं इस्पात, खान और ईंधन, वाणिज्य तथा उद्योग और वित्त मंत्रालयों के संबंध में ९३वें, ९४वें और ९५वें प्रतिवेदनों के बारे में प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों संबंधी उप-समिति के सामने दिये गये साक्ष्य के सारांश और ७३वें, ८०वें, ८७वें, ९३वें, ९४वें, और ९५वें प्रतिवेदनों (दूसरी लोक-सभा) के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : श्रीमान, इस समय दो फ़र्म भारत में स्कूटरों का निर्माण कर रही हैं तथा दो और फ़र्मों को सरकार ने लाइसेंस दिये हैं। इस समय १,५०० स्कूटर प्रतिमाह बनाये जा रहे हैं तथा आशा है कि अगले छः महीनों में प्रति माह २,५०० स्कूटर बनने लगेंगे। स्कूटर बनाने के लाइसेंस जिन अन्य दो फ़र्मों को दिए गए हैं, वे भी, १९६१ में स्कूटर बनाना आरम्भ कर देंगी। इस से स्कूटर तथा 'स्कूट्रेट्स' अधिक संख्या में मिलने लगेंगे।

स्कूटरों तथा स्कूटरेट्सों की उचित प्रकार से वितरण करने तथा खरीददारों को उन्हें उचित मूल्य पर दिलाने के लिए सरकार आज उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८(जी) के अन्तर्गत एक संविहित आदेश जारी कर रही है। इस नियंत्रण आदेश के अधीन दरख्वास्त देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पंजयीन के समय २५० रुपये की बैंक गारन्टी देनी होगी। आदेश में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति स्कूटर की खरीद की तिथि से १२ महीने के अन्दर स्कूटर को बेच नहीं सकेगा, यदि वह ऐसा करना चाहेगा तो उसे स्कूटर नियंत्रक की लिखित अनुमति लेनी होगी राज्य सरकारों को आदेश दिए गए हैं कि वह इस काम के लिए राज्य में नियंत्रक नियुक्त करें।

मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा १८(जी) के अन्तर्गत निकाले गये स्कूटर (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २३५१/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के संबंध में एक वक्तव्य दें :—

> "आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा अन्य जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति और उस के लिए किए जाने वाले सहायता कार्य।"

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : श्रीमान, रायलसीमा में आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर, चित्तूर कड़पा, और करनूल ज़िले आते हैं। १ जून से २४ अगस्त, १९६० के बीच इन ज़िलों में १३९ मिलीमीटर वर्षा हुई जब कि सामान्यतः इस अवधि में २४७ मिलीमीटर वर्षा होती है ; यानी लगभग ४४ प्रतिशत की कमी रही। इसका खरीफ की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और ऐसा ख्याल है कि खरीफ़ की फसल इन ज़िलों में आम फ़सल से कम रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन में कमी की आशंका से खाद्यान्नों के मूल्य पर यहां बढ़ने लगे हैं । इन जिलों की जनता की सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन जिलों में चावल और गेहूं का वितरण आरम्भ कर दिया है । उचित मूल्य की १०३ दूकानें खाद्यान्नों के वितरण के लिए यहां पर खोली जा चुकी हैं तथा आवश्यकतानुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाती रहेगी ।

भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में वितरण के लिए केन्द्रीय भांडार में से ५०,००० टन चावल देना स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को सलाह दी है कि वितरण के लिए जितना भी गेहूं उनको चाहिए वह केन्द्रीय रिज़र्व से ले सकते हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने १७,७५,००० रुपया सहायता कार्यों के लिए दिया है जिस से इन जिलों के लोगों को रोज़गार दिलाया जा सके। उन्होंने कुओं को गहरा करने के लिए ५५,००० रुपये भी मंजूर किये हैं। तकावी ऋण दिये जाने के लिए भी, १६,१०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

यदि इन जिलों में अब भी कुछ वर्षा हो जाये तो फसल सुधर सकती है । आन्ध्र प्रदेश सरकार स्थिति के बारे में सावधान है और इन जिलों की जनता को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक क़दम उठा रही है ।

श्रीमान्, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सभा में आने से ज़रा पहले मैंने टेलीफोन पर आन्ध्र के मंत्री से बातचीत की थी । उन्होंने मुझे बताया कि चित्तूर ज़िले तथा तेलंगाना के कुछ भागों में वर्षा आरम्भ हो गई है । परन्तु स्थिति अभी वैसी ही है । मैसूर और आन्ध्र दोनों के कुछ भाग प्रभावित हुए हैं और इसलिए मैं वहां जा रहा हूं जिस से खाद्यान्नों को शीघ्रता से वहां पहुंचाया जा सके और छोटे छोटे ऐसे सिंचाई कार्य किए जा सकें जो वहां पर किए जा सकते हों ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : क्या सरकार को आंध्र सरकार से यह सूचना नहीं मिली है कि लगभग सारे तेलंगाना में और तटीय जिलों के अधिकांश भाग में भी एसी ही हालत है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : तार में हमें तेलंगाना के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था परन्तु एक घंटा पहले आन्ध्र के खाद्य तथा कृषि मंत्री से जो मेरी बातचीत हुई उस से पता लगा कि तेलंगाना में भी स्थिति खराब है ।

†**श्री रंगा** : क्या माननीय मंत्री आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना और तटीय जिलों का भी दौरा करेंगे ? और वहां की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करेंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यदि आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य जाऊंगा । जहां जहां स्थिति खराब है, मैं वहां जाऊंगा ।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रायलसीमा और तेलंगाना में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है और फ़सलें सूखती जा रही हैं क्या आन्ध्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता के बारे में केन्द्रीय सरकार को बताया था जिस से ठोस क़दम उठाये जा सकते ?

---

†नूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** एक सप्ताह पहले स्थिति ऐसी थी। परन्तु पिछले तीन दिनों से डेल्टा प्रदेश में अच्छी वर्षा होने के कारण वहां की हालत में सुधार हो गया है । तेलंगाना और रायलसीमा में भी स्थिति सुधर जायेगी। परन्तु फिर भी आवश्यक हुआ तो हम कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या पशुओं के लिये चारे की भी कोई व्यवस्था की गई है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मैं ने चारे के बारे में भी आन्ध्र मंत्री से कहा है और वह इस के बारे में भी कदम उठायेंगे ।

†**श्री वेंकटासुब्बैया** (अडोनी) : क्या ऐसी भी खबर मिली है कि तुंगभद्रा के सिंचाई वाले क्षेत्र में भी वर्षा नहीं हुई है और हज़ारों एकड़ भूमि में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है । १९५१ के बाद से इस क्षेत्र में दुर्भिक्ष एक सामान्य एक बात हो गई है इसलिए इस स्थिति के बार बार उत्पन्न न होने देने के बारे में जांच पड़ताल करने के के लिये क्या कोई समिति बनाई जा रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** रायलसीमा क्षेत्र में तीन अथवा चार वर्षों में एक बार दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो हो जाती है । इसलिए उच्च स्तरीय नहरें आदि बना कर सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाती है । परन्तु इस में समय लगता है । चित्तूर और अनन्तपुर ज़िलों में सिंचाई की बड़ी व्यवस्था नहीं है, वहां पर कुएं खोद कर, तालाबों में से रेत निकाल कर छोटी सिंचाई की व्यवस्था ही की जा सकती है । और वैकल्पिक रोज़गार की व्यवस्था के लिए कछ उद्योगों को आरंभ किया जा सकता है । मैं छोटी सिंचाई व्यवस्था के लिए कुछ अधिक रुपया देने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री तिरुमल राव :** माननीय मंत्री ने बताया कि हाल में ही वहां पर वर्षा हुई है । परन्तु क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि दुबारा बोने के लिए किसानों के पास पौध वगैरा नहीं है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जो भी आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसे पूरा करेगी । यदि वह वित्तीय तथा खाद्यान्नों आदि की सहायता मांगते तो उस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हरेक राज्य में आपतकालीन सहायता निधि की व्यवस्था है । आन्ध्र सरकार के पास इस समय ७५ लाख रुपया है जिस के द्वारा वह सहायता कार्य शुरु कर सकती हैं। यदि व्यय इस से अधिक होता है तो वह केंद्रीय सरकार से मांग सकती है हम उनकी सहायता करने को तैयार हैं ।

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब आसाम की स्थिति के बारे में निम्न प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी :—

> "कि आसाम की स्थिति और उसके बारे में संसदीय शिष्टमंडल के प्रतिवेदन पर, जो ३० अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार किया जाये ।"

श्री जयपाल सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। श्री त्रिदिब कुमार चौधरी के औचित्य प्रश्न पर आपने कहा था कि वास्तविक प्रस्ताव आने तक आप इस चर्चा को स्थगित रखेंगे। कल मैंने औचित्य प्रश्न नहीं उठाया ताकि चर्चा में विघ्न न पड़े परन्तु इससे संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस प्रश्न का कोई उपयोग नहीं है। माननीय सदस्य इतनी देर चुप क्यों रहे। यह पहले ही उठाया जाना चाहिए था। अब मैं इसकी आज्ञा नहीं देता। इस तरह के औचित्य प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहियें

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : श्रीमान्, मैं कल कह रहा था कि मैं आसाम के मुख्य मंत्री से मिला। मुझे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बीमारी की हालत में भी इस बारे में पूरी कोशिश की है।

आसाम में मुझे यही अनुभव हुआ कि वहां पर कांग्रेस दल में भी आपसी फूट है। उसी के परिणाम स्वरूप यह आपत्ति आई है। यदि वहां पर व्यापक जांच की जाय तो मुझे विश्वास है कि उसके परिणाम देख कर रोमांच होने लगेगा। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर और अधिक रक्तपात की संभावना थी क्योंकि सभी बड़े अधिकारी बंगाली हैं और वे दंगा करने वालों का दमन कर सकते थे किन्तु उन्होंने संयम से काम लिया।

आसाम में लोग अनेक भाषायें बोलते हैं। एक बड़े क्षेत्र के लोगों की भाषा, जो छोटा नागपुर से वहां पर जा बसे हैं, मूंदड़ी है। अब वे लोग आसामी भाषा भी सीखने लगे गये हैं। वहां पर बिहारी भी रहते हैं परन्तु वे लोग ज्यादा समृद्ध नहीं हैं। साधारण काम काज करके अपनी आजीविका कमाते हैं। वे हिन्दी पढ़ना चाहते हैं परन्तु हिन्दी का स्कूल खुलवाने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है।

इसलिये जब तक आसाम में भाषा सम्बन्धी समस्या को ठीक तरह से हल नहीं किया जाता तब तक इस समस्या वास्तविक हल भी नहीं हो सकता। बंगालियों का झगड़ा बिहार वालों से भी हो चुका है। बंगाली अखबार बिहारियों के लिये "दरबान" या "सत्तूखोर" आदि शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। पटना के अखबार भी इसी तरह की बातें लिखते रहे हैं। इसी तरह से आसाम में भी इसी प्रकार की निम्नकोटि की भाषा के प्रयोग से भावुकता बढ़ी है और जनता में उत्तेजना फैली है।

अतः हमें इस समस्या की व्यापक जांच कराने के लिये एक और आयोग नियुक्त करना चाहिए ताकि इस समस्या का संतोषजनक सामाधान हो। यह समस्या आसाम ही की नहीं है वरन् भारत के अन्य राज्यों में भी इसके तत्व विद्यमान हैं। देश में आज लाखों लोग आदिम भाषा बोलते हैं परन्तु उनको तो कोई संरक्षण नहीं मिला। हम संथाली भाषा के लिए पहले रोमन लिपि का प्रयोग करते थे परन्तु अब उसके स्थान पर देवनागरी लिपि थोप दी गई है। इसलिए जिस समय तक हम परिपक्व नहीं हो जाते तब तक हमें अंग्रेजी जैसी तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि ऐसी जांच अभी से शुरू हो जानी चाहिए और हमें उपयुक्त समय की प्रतीक्षा के बहाने से समय नहीं बिताना चाहिए। हमारा अपना नारा ही "सत्यमेव जयते" है। हमें सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हमें उन लोगों को मित्रता का पाठ पढ़ाना चाहिये, इस दिशा में मुझे एक श्लोक याद आता है । उसमें कहा गया है :—

पयः पानम् भुजंगानाम् केवलम् विषवर्धनम् ।
उपदेशोहि मूर्खानाम् प्रकोपाय न शान्तये ।।

यही चीज हो रही है । अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । पैंतीस वर्ष पहले मुझे एक कैम्ब्रिज के विद्यार्थी मिले जो अच्छे भाषाविद् थे । उन्होंने कहा भारत में केवल दो ही भाषायें हैं । पहली अंग्रेजी और दूसरी बंगला ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर): श्रीमान्, इस प्रतिवेदन में हमने सिफारिश की है कि इस मामले की जांच तुरन्त न की जाय । क्या यह सिफारिश किसी को खुश करने की दृष्टि से हमने की है अथवा डर के मारे या इसका कोई और कारण है ?

विभिन्न स्थानों पर इस सिफारिश के अनेक कारण बताये जा रहे हैं । सभा जानती है कि कांग्रेस में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू सब से अधिक प्रतिष्ठित हैं । वे भी जांच के पक्ष में हैं । यदि हम उनके विचारों का अनुसरण करते तो फिर ऐसी सिफारिश क्यों करते । बहुत से हमारे बंगाली मित्र भी जांच के पक्ष में हैं । यदि उनकी बात मानते तो भी ऐसी सिफारिश क्यों करते । हमें आसाम की वास्तविक स्थिति को देखना चाहिए । इस दुर्घटना में ब्रह्मपुत्र की घाटी में रहने वाले बंगालियों को ही क्षति पहुंची है । इन लोगों ने असमिया को सरकारी भाषा बनाने के लिए विरोध नहीं किया । वास्तव में विरोध तो काचार के बंगालियों ने किया किन्तु दुख ब्रह्मपुत्र घाटी के निवासी बंगालियों को भोगना पड़ा । क्षतिग्रस्त जनता में ९० प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

अपने घरों से उन्हीं लोगों को उजड़ना पड़ा है जिनका भाषा सम्बन्धी विवाद से कोई सम्बन्ध ही न था ।

हम एक गांव में गये ; वहां बच्चे बूढ़े हमारे पास एकत्र हो गये । उनमें से किसी ने मकानों, वस्त्रों या अन्य सहायता की मांग नहीं की । उन्होंने कहा कि उन्हें केवल अभयदान चाहिए । इस समय वहां पर दंगे नहीं हो रहे परन्तु इसके बावजूद भी वहां से बंगाली निकल रहे हैं । ऐसी स्थिति में तुरन्त जांच करके क्या लाभ होगा । श्री कृपालानी तथा मुकर्जी यह चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाये और राजनैतिक उत्तेजकों को दंड दिया जाय । परन्तु ऐसी स्थिति में क्या होगा ।

पृष्ठ संख्या ९४६४ पर आचार्य कृपलानी का भाषण है । उसमें उन्होंने कहा है कि "उच्च शक्ति आयोग बिठा कर इस मामले की जांच की जाय । कहा जाता है कि हमारे दल का भी इन दंगों में हाथ है ; मैं जानना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने क्या किया है ।" किन्तु माननीय प्रधान मंत्री दूसरे प्रकार की जांच चाहते हैं उनकी इच्छा है कि जांच के फलस्वरूप इस झगड़े के वास्तविक कारणों का ज्ञान होना चाहिए ।

अपराधियों का पता लगाना पुलिस का काम है आयोग का नहीं । आयोगों को ऐसा काम कभी सौंपा नहीं गया । इसी तरह से श्री जयपाल सिंह ने भी दलों के बारे में कुछ बात कही । परन्तु क्या कभी किसी ने सुना है कि न्यायिक आयोग भी इस प्रकार दलों की जांच करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी): राजनैतिक दल अपने दोष छिपाना चाहते हैं परन्तु निष्पक्ष आयोग ऐसा नहीं करता ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस कारण जहां तक दलों का सम्बन्ध है उन्हें स्वयं देखना होगा कि उनके किस किस सदस्य ने देश के अहित का काम किया है या जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए भड़काया है । ऐसे लोगों को अपने दल से निकालने में ही उनका हित है ।

†**श्री ही० न० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : यदि एक विद्यार्थी की हत्या के मामले में न्यायिक जांच की जा सकती है तो क्या उस मामले की जांच नहीं की जा सकती जिसमें १०,००० घर जला दिये गये हैं और चालीस से अधिक लोगों की भी हत्या कर दी गयी है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** परन्तु अपने पहले भाषण में उन्होंने विभागीय जांच की मांग की है । जहां तक गोरेश्वर क्षेत्र के दंगे का सम्बन्ध है वहां पर आठ से अधिक लोगों की हत्या की गयी तथा स्त्रियों से बलात्कार भी किया गया । हमने उस क्षेत्र में न्यायिक जांच कराने की सिफारिश की है । जहां पर ऐसी घटनाएं हों वहां पर न्यायिक जांच होनी भी चाहिए । यदि सारे आसाम के बारे में ही एकदम से ऐसी जांच की जाने लगे तो मुझे डर है कि उनके पुनर्वास का काम रुक जाएगा । फिर से वहां आसामी तथा बंगाली का प्रश्न उठ खड़ा होगा और हालात बिगड़ते जायेंगे । इसी कारण हमने ऐसी सिफारिश की है ।

श्री मुकर्जी ने कहा कि यदि अपराधियों को छोड़ दिया जाये तब क्या स्थिति सुधर जायेगी ? नहीं । अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए । पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे और दंड दिलाये । इन्हीं कारण को देखते हुए तथा भारत की एकता को दृष्टि में रखते हुए हमने यही उचित समझा कि तुरन्त ही जांच शुरु न की जाय ।

इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि यह जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जाय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से । मैं तो यह चाहता हूं कि यह जांच किसी महान राजनीतिज्ञ को करनी चाहिए । श्री नेहरू, श्री पन्त, डा० राय या आचार्य कृपालानी जैसे व्यक्ति यह जांच करें ताकि इस प्रकार के झगड़ों को समझकर वे किसी प्रकार के सैद्धांतिक हल का सुझाव भी दें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मैं आपकी अनुमति से एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । वास्तव में श्री जैन के भाषण से भी हमारी स्थिति की ठीक व्याख्या नहीं हुई है उन्होंने अपना मत दिया है ।

जांच कराने की बात चल रही है । इस बारे में काफी अस्पष्टता है कि जांच किस प्रकार की हो ; एक हो या दो हो या तीन । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे विचार में जांच तीन तरह की हो सकती है । एक तो यह कि अपराधियों को पकड़ा जाये और उन्हें दंड दिलवाया जाय । इसमें देर नहीं होनी चाहिए और वह काम शीघ्र ही प्रभावपूर्ण ढंग से होना चाहिए । यदि उसमें राजनैतिक लोग भी आते हैं और उनकी गति विधियां भी सामने आती हैं तो अच्छा ही है, उन्हें दंड मिलेगा । यह तो एक तरह की जांच हुई । इस जांच में विलम्ब नहीं होना चाहिए । यह जांच उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए । सामान्यतया मैं न्यायिक जांचों के पक्ष में नहीं होता क्योंकि इसमें मामला लम्बा चलता है । परन्तु यदि ऐसी जांच प्रभावपूर्ण बनानी हो तो उसका दायरा सीमित रहना चाहिए । यदि आप चाहें तो आसाम में इस प्रकार की कई जांचें होनी चाहिएं । इसलिए मैंने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री जैन के शिष्टमंडल की इस सिफारिश को मान लिया है कि गोरेश्वर वाले मामले की तरह की जांच होनी चाहिए। दो तीन जांचें साथ साथ हो सकती हैं ; परन्तु वे सब स्वतंत्र होनी चाहिएं। हम इससे सहमत हैं।

अब दूसरी जांच बिल्कुल अलग किस्म की है ; इस कांड के कारणों तथा उसके उपचारों को देखना। जैसा कि आचार्य कृपालानी ने कहा है यह मामला वस्तुतः महत्वपूर्ण है। किन्तु यह मामला इतना महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी गहरी जांच वगैरह की ज़रूरत है कि आप इसे दूसरी जांच के के साथ मिला नहीं सकते। यदि दोनों को एक कर दिया जाता है तो महीनों और सालों लग जायेंगे और अपराधी लोगों को पकड़ने में देर हो जायेगी। यह चीज़ इस तरह से नहीं हो सकती। इसलिये जो मख्य जांच है वह अलग होनी चाहिये।

अपराधियों का पता लगाने की जांच तो शीघ्र ही होनी चाहिये। किन्तु दूसरी जांच तभी होनी चाहिए जब स्थिति तनिक संभल जाय और ठीक हो जाय और उपयुक्त समय आ जाये। हां ऐसी जांच आवश्यक है। यदि ऐसी जांच न हुई तो बाद में बुरा परिणाम निकल सकता है। हमें इस पर विचार करना है।

आचार्य कृपालानी ने दलों का उल्लेख किया। मैं इसके लिये तैयार हूं। ठीक है दलों का अन्दाजा उनके सदस्यों के आचरण से ही लगाया जाता है। मुझे दलों की बातों की जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मुझे यह नहीं सूझता कि ऐसी जांच को किस तरह किया जायेगा ? मेरे विचार में अपराधियों की तलाश से ही किसी सीमा तक इस मामले का भी अनुमान लग जायेगा।

कुछ लोग सामने आएंगे ही और उससे कुछ जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा मैं स्पष्टतया कुछ नहीं समझता कि कैसे इस चीज को किया जायगा।

मैं यह समझता हूं कि सब से पहले हमें आसाम के क्षेत्रों में दो तीन उच्च-स्तरीय जांचें शुरू करानी चाहिएं ताकि व्यर्थ का विलम्ब न हो और अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जा सके। मैं इस मामले में श्री जैन से सहमत नहीं हूं कि यह काम केवल पुलिस का ही है। उससे कहीं ज्यादा गम्भीर है यह मामला। यद्यपि अन्ततोगत्वा पुलिस ही कार्य-वाही करेगी परन्तु शुरू में ऐसी चीजों में दूसरे ढंग का दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। हम इन दोनों बातों से सहमत हैं। हां, दूसरी जांच बड़ी कठिन होगी। इसे कौन करेगा ? मेरा विचार है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो इस काम करने के योग्य हैं। किन्तु इस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इसे कौन करेगा। इसे उच्च-स्तरीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं तथा अन्य प्रतिष्ठित ईमानदार व्यक्ति भी। किन्तु यह जांच पहली जांच से पृथक होनी चाहिए और अपराधियों को पकड़ने का काम पहले होना ही उचित है। सरकार की नीति मुख्यतः यही है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : आसाम में जांच करने वाला आयोग अपराधियों को किस प्रकार पकड़ेगा। वह जांच कैसे करेगा। इस काम के लिये तो व्यापक व्यवस्था करनी होगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने जैन समिति की सिफारिश मान ली है कि ऐसी सीमित जांच होनी चाहिएं। उन्होंने गोरेश्वर का उल्लेख किया है। मैं तो चाहता हूं कि वहां जल्दी काम होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि वहां पर कोई सक्षम व्यक्ति जांच करे। चाहे वह न्यायाधीश हो या कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य स्वतंत्र व्यक्ति। हम यहां से किसी को नहीं भेजेंगे। ऐसा आयोग बिठाना आसाम सरकार का काम है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का नाम भी लिया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति सक्षम होना चाहिए।

सामान्यतया जांच वगैरह का काम पुलिस द्वारा किया जाता है। आप चाहें तो पुलिस को निष्पक्ष न समझें। ऐसा हो सकता है। पर मैं इस समय नहीं कह सकता किन्तु ऐसी एजेन्सियां हो सकती हैं जिन्हें तथ्यों की जांच के लिये काम में लाया जा सकता है। खैर इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु हम तथ्य अवश्य जानना चाहते हैं।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: आसाम में हुई दुर्घटनाओं ने हमारी राष्ट्रीय एकता की जड़ों पर प्रहार किया है। यह एक ऐसा मामला है जिसने दल व समूह सम्बन्धों को आघात पहुंचाया है। सभा को कटिबद्ध हो कर ऐसा नेतृत्व देना चाहिए जो शताब्दियों तक रहे और जो सदैव सदैव के लिये यह तय करे कि देश को आगे जीवित रहना है या अपने को नष्ट कर देना है।

उग्र राष्ट्रीयतावाद का वीभत्स रूप हमने आसाम में देख लिया है। इस आन्दोलन का दुर्भाग्य यह है कि इसका नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में था, जिन पर हमें गर्व है और रहेगा, और भविष्य में जिन पर हमें आशाएं हैं, जिन पर भविष्य में देश की शक्ति और देश की एकता निर्भर है, उन्होंने ऐसा कार्य किया है। जहां कहीं भी मैं गया "स्टूडेंट्स एक्शन काउंसिल" ने मुझे आमंत्रित किया। आसामी विद्यार्थियों में कुछ विशेषताएं हैं जो हर जगह देखने को नहीं मिलतीं। उनमें काफी अनुशासन है। जब वे समूह बना कर आते हैं तो केवल एक विद्यार्थी ही बोलता है और शेष चुपचाप सुनते रहते हैं। मैंने उनकी सभाओं में भाषण भी दिया है और देखा है कि वे अनुशासन में रहते हैं। निश्चय ही ये ऐसी विशेषताएं हैं जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। लेकिन इस वर्ग का उपयोग ऐसे कार्य के लिये किया गया जिसके कारण आज सारे देश का सर शर्म के कारण झुक गया है। और हम आज इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा की गई भूल को सुधारा जा सकता है।

यह बात सच है कि कोई भी सरकार इस भूल को नहीं सुधार सकती। इसका अन्तिम हल यही है कि आसाम के विभिन्न समुदायों में एकता की भावना सुदृढ़ व शाश्वत बनाई जाये। हम जो भी अन्य कार्यवाही करें वे इसी बुनियादी लक्ष्य की पोषक होनी चाहिये। निश्चय ही कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है, दण्ड देने की आवश्यकता है क्योंकि वहां बहुत ही बुरे ढंग के अपराध हुए हैं और जिन्होंने यह काम किये हैं उन्हें बिना दण्ड दिये नहीं छोड़ा जा सकता ताकि उन्हें सारे जीवन भर यह याद रहे ये अपराधी किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं है, किसी पुरुष और महिला के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण देश के विरुद्ध है। यह घटना केवल अकेले आसाम की ही नहीं है बल्कि इसका प्रभाव सारे देश पर पड़ा है।

कुछ उत्तरदायी विरोधी सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री पर लांछन लगाये हैं जो ठीक नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से हमें निरन्तर उनका पथप्रदर्शन मिलता रहा है और आशा है कि भविष्य में भी बराबर मिलता रहेगा।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं अपने यह विचार केन्द्रीय सरकार के मंत्री के नाते से प्रकट नहीं कर रहा हूं बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर रहा हूं। और वह भी विशेष रूप से इसलिये कि मैं पश्चिमी बंगाल का प्रतिनिधि हूं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

और वहां जो शरणार्थी आसाम से दीन हीन अवस्था में आये हैं उनको देख कर कोई भी व्यक्ति बिना दुखी हुए नहीं रह सकता। उनकी स्थिति को देख कर वास्तविक स्थिति का सही अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

आसाम जाने से पूर्व सैकड़ों की तादाद में मेरे पास पत्र आये थे। शायद वहां के निवासियों का विश्वास था कि देश के नेताओं के सामने मेरी भी कुछ आवाज है और मैं उनके लिये कुछ कर सकता हूं । । जून के महीने में जब पंडित जी नैनीताल गये थे तो मैंने उन्हें आसाम की दुखपूर्ण घटनाओं से अवगत कराया था। इस मामले में उनकी जानकारी देख कर तथा उनके द्वारा किये गये निर्णय को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों का ऐसा ख्याल है कि उन्हें इन घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है । उन्होंने आसाम सरकार को दंगों से पूर्व, दंगों के दौरान में और जून के महीने में कुछ पत्र लिखे थे जिनसे यह प्रकट होता है कि उनको इन दंगों का आभास हो गया था। मेरा निवेदन है कि वे उन पत्रों को सभा में रखें अथवा उनके कुछ अंशों को यहां पढ़ कर सुनायें ताकि उन लोगों को पता चल जाये कि पन्त जी कितने सजग एवं जागरूक थे, जिन्होंने कि उन पर आरोप लगाये हैं ।

मैं अगस्त के प्रथम सप्ताह में आसाम गया था जब कि आसाम के छः जिलों में भयंकर उत्पात हो चुका था। बंगाल ही नहीं बल्कि सारा देश इन घटनाओं से क्षुब्ध था। एक बार तो इन घटनाओं की प्रतिक्रिया इतनी सबल हुई कि हम एकाएक यह नहीं सोच सके कि क्या किया जाये ।

जहां तक कि मेरे प्रतिवेदन की बात है वह सभा में तो नहीं रखा जा सकता लेकिन मैं अधिक से अधिक सभा को बताने का प्रयत्न करूंगा। गृह मंत्री की आज्ञानुसार मैंने कुछ मोटी मोटी बातों के बारे में विरोधी सदस्यों के नेताओं से बातचीत की है और मेरे सुझावों से वे लोग सहमत हो गये हैं ।

अपने दौरे के दौरान में मैंने उन छः जिलों का भ्रमण किया है और देखा है कि लगभग प्रत्येक जिला इन उपद्रवों से प्रभावित है। वहां जो क्षति हुई है उसे देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मने अपने जीवन में इतनी विशाल क्षति कभी नहीं देखी। सम्पत्ति की बहुत अधिक हानि हुई। एक के बाद एक गांव नष्ट कर दिये गये। हजारों लोग घरबार हीन हो गये। और यह ठीक है कि इन दंगों से जिन लोगों को क्षति पहुंची है वे निर्धन लोग हैं जैसे किसान, मछुए, कुम्हार इत्यादि हैं जो शहरों से बहुत दूर रहते हैं और जिन्हें भाषायी विवादों का ज्ञान भी नहीं है। कुछ स्थानों पर तो लोगों को इस बात तक की भी जानकारी नहीं थी कि शहर में भाषा के प्रश्न को लेकर झगड़े हो रहे हैं। उन्हें उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि पहली बार उनके गांव पर आक्रमण हुआ और वे भाग गये। उन्होंने मुझे बताया कि इससे पूर्व उन्हें पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि शहर में भाषा के प्रश्न को लेकर झगड़े भी हो रहे हैं। उनके बच्चे आसामी स्कूलों में पढ़ने जा रहे थे और वे बिना किसी विरोध के आसामी पढ़ रहे थे। ब्रह्मपुत्र घाटी में हमें सभी जगह यही कहानी सुनने को मिली। किसी भी बंगाली भाषी पुरुष अथवा महिला ने आसामी को सरकारी भाषा बनाने का विरोध नहीं किया था। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इन बेचारों पर आक्रमण किया गया और इन्हें मुसीबतें उठानी पड़ीं ।

यह बात भी सत्य है कि वहां जो दंगे हुये हैं वे काफ़ी हद तक सुयोजित ढंग पर हुये हैं । श्री जैन के शिष्टमंडल ने भी इस बात का समर्थन किया है। दंगों का आधार सभी जगह एक-सा था। बहुत से लोगों को भागने के लिये या नगर छोड़ने के लिय बहुत पहले ही कह दिया गया

था। बाद को क्रांतिकारी लोग आये और घरों को गिराकर या मकानों को जला कर चले गये। वहां जो कुछ हुआ है वह सब लगभग अर्द्धसैनिक ढंग पर हुआ है। मैं पहले दिन ही समझ गया कि ये झगड़े भाषा के आधार पर नहीं थे और न यह स्वाभाविक रूप में हुए हैं। अगर ये भाषा के आधार पर झगड़े हुये होते तो उन्ही स्थानों पर होते जहां का प्रश्न था न कि उन स्थानों पर भी जहां कि भाषा का कोई प्रश्न ही नहीं था।

मैं इस बात से सहमत हूं कि ये झगड़े वहां के तथा कथित शिक्षित वर्ग ने कराये हैं और वे उन दंगों में सम्मिलित थे, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन आतंकों से वहां का सामान्य व्यक्ति थर्रा उठा। गोरेश्वर को छोड़ कर बाकी सभी स्थानों पर आम जनता इस कांड से बिल्कुल अलग रही।

हमारे साथ प्रेस संवाददाता भी थे। उन्होंने भी घूम घूम कर सारी स्थिति का सही अवलोकन किया है। वहां के गावों के उन्हीं निवासियों पर आक्रमण किया गया जहां कि आसामी लोग रहते थे, या तो उनको जान से हाथ धोना पड़ा अथवा अन्य प्रकार से कष्ट दिया गया। वहां की विचित्र समस्या भूमि की समस्या भी है जो न्यायिक जांच होने पर प्रकट हो जायेगी।

दुःख की बात तो यह है कि इसमें शिक्षित लोगों का ही हाथ था। साथ ही यह अच्छी बात है कि साधारण जनता इन अत्याचारों में सम्मिलित नहीं थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि वहां की जनता मकानों को फिर से बनाने में लग गई है। सभी जगह पुनर्वास का काम शुरू हो गया है। श्री जैन तथा श्रीमती सुचेता कृपालानी ने भी देखा होगा। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान से इस कार्य में सहायता कर रहे हैं। हमने स्वयं देखा है कि कहीं कहीं तो पूरे मकान बना दिये गये हैं।

जो कोई भी वहां गये वहां की स्थिति को देख कर दुःखी हुये। हम तेजपुर जिले के विश्वनाथ नामक गांव गये। यह बहुत पुराना शहर है। यहां कुछ मछुए पूर्वी बंगाल से आकर बस गये हैं। ये मछुये बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी, और शांतिप्रिय लोग हैं। झगड़ों से इनका कोई सरोकार नहीं। शीघ्र ही ये लोग अपने परिश्रम के कारण धनवान हो गये और विदेशों को निर्यात करने लगे। मालूम हुआ कि क्रांतिकारी लोग वहां आये और इस गांव को जला दिया। वहां के ग्रामीण लोग हमारे पास आये और हमारे पैरों पर गिर पड़े। ऐसी स्थिति देखकर अपने आपको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां कहीं भी मैं गया वहां यही दुखद बातें देखने को मिलीं। वहां की भाषा, हालांकि पूर्वी पाकिस्तान की भाषा वे बोलते हैं लेकिन आसामी से यह बहुत कुछ मिलती जुलती है। तेजपुर आसाम का वर्धा गिना जाता है। वहां कांग्रेस का बहुत जोर है। वहां मैंने बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुनर्वास का कार्य करते देखा। वहां कुछ घर बनाये गये हैं जहां कि लोग आकर रह सकें। लगभग एक महीने के दौरान में वहां सभी घरों का पुननिर्माण कर दिया गया है। वहां ५०,००० लोगों की भीड़ में मैंने एक भाषण दिया और लोगों से धन आदि की अपील की और थोड़ी देर में ही ८२० रुपये एकत्रित हो गये। वहां की स्थानीय जनता ने काफी धन दिया।

वहां से लौटने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आसाम में पुरानी स्थिति लाने के लिये बहुत सी बातें जरूरी हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां सामान्य स्थिति आ गई है। सामान्य स्थिति आने में अभी काफ़ी समय लगेगा। सामान्य जीवन से हमारा अभिप्राय विधि और व्यवस्था की स्थापना से नहीं है। विधि और व्यवस्था तो स्थापित हो गई है। प्रत्येक पांच मील पर सैनिक टुकड़ियां बिठा दी गई हैं। सेनाएं प्रत्येक गांव में चक्कर लगा रही हैं। लेकिन दूसरे क्षत्रों की दृष्टि से जैसे व्यापार आदि की दृष्टि से अभी सामान्य जीवन नहीं आ सका है।

[श्री अ० कु० सेन]

पुनर्वास का कार्य ऊपरी दृष्टि से ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान की दृष्टि से होना परमावश्यक है। जब तक लोगों में इस बात का विश्वास नहीं होगा कि उन्हें सुरक्षा मिल सकेगी और माल और जान की रक्षा हो सकेगी तब तक सही अर्थों में पुनर्वास संभव नहीं है। और इसके लिये बहुत सी बातों की आवश्यकता है। आसाम सरकार ने तुरंत ही कुछ निर्णय किये हैं। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जब तक उन पदाधिकारियों को जो कि दोषी हैं दंड नहीं दिया जायेगा तब तक अल्प संख्यकों में विश्वास उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्येक जिले में यह कदम उठाया जायेगा कि वहां दोषी पदाधिकारियों की जानकारी की जाये। इन पदाधिकारियों के विरुद्ध हम संविधान तथा असैनिक सेवा नियमों के अनुसार ही कार्यवाही कर सकते हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि एक मनुष्य की न्यायिक जांच ठीक नहीं रहेगी क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा। मेरे विचार से इन पदाधिकारियों की जांच प्रशासन् अधिकारियों द्वारा ही की जानी चाहिये क्योंकि वे प्रशासन सम्बन्धी बातें जानते हैं और आसानी से उनको पकड़ भी सकते हैं। आसाम सरकार इसके बारे में फैसला भी कर चुकी है।

दूसरे जो लोग इस विनाश के लिये उत्तरदायी हों उन्हें ऐसा दंड दिया जाना चाहिये जिससे कि वे पुनः ऐसा दुस्साहस न करें। ऐसे मामलों में जांच पड़ताल के लिये विशेष उपाय अपनाये जाने चाहियें। आसाम सरकार इसके बारे में भी फैसला कर चुकी है।

जब तक मैं आसाम में रहा तो उस दौरान में वहां की सरकार ने तीन और भी घोषणायें की थीं। मैंने उनकी प्रतियां प्रधान मंत्री और गृहमंत्री को भी भेजी थी। मुझे जो भी प्रतिनिधिमंडल मिले उन्होंने यही कहा कि अच्छा हो कि कोई उच्चाधिकारी केन्द्र से यहां आ कर रहे और इस बात को देखे कि यहां के काम में कोई कमी न आने पावे। शरणार्थियों को फिर से बसाने का काम यद्यपि राज्य सरकार का है, फिर भी यदि केन्द्र से किसी को नियुक्त कर दिया जाये तो पुनर्वास कार्य अधिक विश्वासपूर्वक चलाया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार हर राज्य में जा कर पुनर्वास कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकती। तभी प्रभावी पुनर्वास कार्य हो सकता है जब कि यह स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय जनता की सहायता से किया जाता है। लेकिन मेरा विचार है कि यदि केन्द्र से कोई उच्चाधिकारी जा कर पुनर्वास कार्य को देखता रहे तो यह कार्य प्रभावी बनाया जा सकता है। मैंने देखा है कि आसाम सरकार की नीति तो इस सम्बन्ध में बुरी नहीं है लेकिन उनको क्रियान्वित करने वाले पदाधिकारियों की नीति बड़ी ढिलमिल है। पुनर्वास के लिये २० और ३० रुपये दिये गये हैं यह राशि बहुत ही कम है। इस कार्य के लिये तो धन उदारता से और शीघ्र ही दिया जाना चाहिये। अगर यह कार्य अधिक समय तक बढ़ाया गया तो लोगों में निराशा की भावना बढ़ती जायेगी जो कि अच्छी बात नहीं है। आशा है कि इस बारे में माननीय गृह मंत्री शीघ्र ही किसी नीति के बारे में घोषणा करेंगे जिसका आधार श्री जैन की सिफारिशें हो सकती हैं। पुनर्वास का मामला तो पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करता है। इसमें कोई प्रतिष्ठा या कानूनी जटिलताओं का सवाल नहीं है। मैं जानता हूं कि यदि पुनर्वास का कार्य देखने के लिये वहां कोई जाता है तो इसमें वहां की सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन इस से कुछ कानूनी जटिलताएं ही बढ़ जायेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह कार्य वहां की सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिये।

एक बात यह है कि मकानों को फिर से बनाने के काम में सेना से यथासंभव सहायता लेनी चाहिये। सैनिक लोग काफ़ी अनुशासित हैं। सैनिकों के वहां रहने से न केवल शरणार्थियों के कार्य में सहायता मिलेगी वरना उनकी उपस्थिति इस बात की याद दिलाती रहेगी कि केन्द्र कानून

भंग करने वालों के विरुद्ध दृढ़ता से कार्यवाही करने के लिये कृत संकल्प है। केन्द्र ने इस बारे में निर्णय कर लिया है और सेना ने वहां काम करना भी शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इस कार्य के लिये केन्द्र को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिये क्योंकि यह इतना बड़ा काम है कि अकेले राज्य की सहायता से काम पूरा नहीं होगा।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय जांच कराई जाये जिससे कि उन लोगों का पता जल्दी चल जाये जो कि दोषी हैं और अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दंड देने के बारे में एक भ्रान्ति है। न तो सरकार ही और न जांच आयोग ही अपराधी को दंड दे सकता है। अपराध सिद्ध हो जाने पर न्यायिक अदालत ही उसको दंड दे सकती है। अतः ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता है कि स्थानीय जांच एक साथ कराई जाये ताकि यह कार्य शीघ्रता से निपट सके। अगर अलग से जांच कराई गई तो इसमें बहुत अधिक समय लग जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि स्थानीय जांच शीघ्र की जाये। गड़बड़ी तक पहुंचने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ अदालती जांच की व्यवस्था की जाये। उपद्रवों के कारणों की जांच कराना भी आवश्यक है। लेकिन वहां की स्थिति इस प्रकार की है जिसमें यह कार्य फौरन ही आरम्भ नहीं किया जा सकता।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जांच कराने का उद्देश्य इन दंगों का सही कारण ढूंढना होना चाहिये तथा इस बात का पता लगाना चाहिये कि उनको दूर करने के क्या उपाय हैं। क्योंकि जांच आयोग प्रत्येक मामले की तह में नहीं जा सकता इसमें काफी समय लगेगा। मैं इस बात से भी पूर्णतः सहमत हूं कि इन दंगों की जांच यथासंभव शीघ्रता से की जाये ताकि यह निर्णय किया जा सके कि भविष्य में हमारी नीति क्या रहेगी। लेकिन मुख्य बात यह भी है कि पहले इस बात का भी पता लगाया जाये कि प्रत्येक क्षेत्र में अपराधी कौन-कौन हैं। इसलिये सरकार द्वारा ऐसा कार्यवाही की जानी चाहिये जो शीघ्र ही इन दंगों की जांच कर सके। प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे जांच आयोगों की स्थापना की जानी चाहिये। प्रधान मंत्री भी इस बात से सहमत हो गये हैं।

आचार्य कृपालानी ने जांच का उद्देश्य बताकर राष्ट्र की महान सेवा की है। जांच कब से शुरू हो यह कार्य वहां की सरकार पर छोड़ देना चाहिये ताकि वह स्वयं यह निर्णय कर सके कि जांच के लिये उपयुक्त समय कौन सा है। ऐसी परिस्थिति में जब कि प्रत्येक जिले में स्थिति असाधारण है जांच के लिये समय निर्धारित करना बड़ा कठिन है। इस कार्य में एक महीना, दो महीने या छः महीने अथवा एक वर्ष भी लग सकता है।

मैंने बंगाली भाषी नेताओं से पूछा है कि क्या वे जांच आयोग के सामने अपना मामला रखेंगे अगर वह आयोग कल बनाया जाये तो, लेकिन सभी ने यह उत्तर दिया "अभी नहीं" लेकिन सभी इस बात से सहमत थे कि जांच आयोग की स्थापना होनी चाहिये ताकि हमेशा के लिये इस समस्या का समाधान निकल आये।

मेरा अपना विचार है कि प्रत्येक लोकतंत्रात्मक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी स्थिथि में एक जांच आयोग की स्थापना करे जैसी स्तिथि कि आसाम में हुई है। क्योंकि ऐसा करने से लोकतंत्रात्मक सरकार में विश्वास की भावना बढ़ती है तथा उस के कार्य में लोगों की निष्ठा हो जाती है। लोकतंत्रात्मक शासन की एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि कोई भी व्यक्ति वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। अगर वह कोई कार्यवाही कानून के विरुद्ध करता है तो उसे अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिये। इसी कारण जांच आयोग और दंड की व्यवस्था लोकतंत्रात्मक सरकार के

[श्री अ० कु० सेन]

ढांचे में की गई है । और कोई कारण नहीं है कि कोई भी लोकतंत्रात्मक सरकार अपने कर्तव्य से विमुख होगी । मैंने ये सब बातें इसलिये कही हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार अपराधियों को दंड नहीं देना चाहती है । लेकिन यह बात गलत है । अपराधियों का पता करने एवं उन्हें दंड देने के लिये निश्चय ही सरकार शीघ्र ही कदम उठायेगी । प्रधान मंत्री इस संबंध में बता चुके हैं कि एक साथ चार पांच स्थानों पर जांच की जायेगी, बजाय इस के कि प्रत्येक जगह की जांच के लिये एक बड़ा जांच आयोग बनाया जाये ।

मेरा अपना भी मत है कि ये क्षेत्रीय जांच आयोग न केवल अपराधियों का पता करे और उन्हें दण्ड दे बल्कि न्यायिक जांच आयोग द्वारा इन दंगो की जांच एवं उनको दूर करने के कारणों के बारे में भी पता किया जाये । क्योंकि इसी के आधार पर हम भविष्य के लिये अपना कार्य क्रम तैयार कर सकते हैं ।

अंत में मैं आसाम में रहने वाले आसामी तथा गैर आसामी निवासियों से एक अपील करूंगा । सभी राज नैतिक दलों के नेताओं से मैं अपील कर चुका हूं और उन से मैंने व्यक्तिगत बातचीत भी कर ली है । और उन से निवेदन किया है कि वे सब कंधे से कंधा मिला कर इस बात का प्रयत्न करें कि आसाम के अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित समझने लगें । यह एक महान कार्य है जिसकी आशा राष्ट्र उन से करता है, और मुझे विश्वास है कि वह अवश्य ही यह कार्य करेंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : आसाम में जो कुछ हुआ है उसकी हृदयविदारक कहानियां तो सब जगह सुनाई गयी है, परन्तु सहानुभूति की छोटी-छोटी घटनाओं की नितान्त उपेक्षा कर दी गयी है । जो भयंकर वातावरण था उस में भी कुछ ऐसे लोग थे, जिन्होंने पीड़ितों को आश्रय व संरक्षण दिया। शरणार्थी शिविरों में जा कर लोगों को घर चलने के लिये कहा और उन के लिए सब कुछ करने का आश्वासन दिया। और यह भी नहीं भूला जाना चाहिए कि आसामियों ने पश्चिमी बंगाल से आने वाले छः लाख लोगों को आश्रय दिया था ।

आसाम के सम्पूर्ण विद्यार्थी समुदाय को दोष देना गलत है। यह हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे हों जो अपने पथ से विचलित हो गये हों । परन्तु सामान्यतया उन्हें इन दंगों के लिये बड़ा खेद है । वे जनता की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गये भी, इस लिये मेरा निवेदन है कि बातों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहा जाना चाहिए ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पारस्परिक विश्वास, सद्भावना तथा आत्मविश्वास का बड़ा महत्व है । परन्तु जब तक आसाम की जनता और विद्यार्थियों के हृदयों में यह विश्वास की भावनायें पैदा नहीं होतीं, इस प्रकार का वातावरण निर्माण नहीं हो सकता । हमें सब से पहले यह यत्न करना चाहिए कि भारत की एकता का तन्तु मजबूत हो ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विभाजन का बंगाल पर प्रभाव पड़ा है, परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आसाम ने भी ६ लाख पूर्वी पाकिस्तान से आये बंगाली विस्थापितों को आश्रय दिया है। आसाम में ब्रिटिश शासकों के कारण शिक्षा की प्रगति धीमी रही। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात वहां शिक्षा का काफी प्रसार हुआ। इससे लोगों में कुछ चेतना और जागृति की भावनाओं का निर्माण हुआ। वहां के लोगों को यह

---

†मूल अंग्रेजी में

महसूस होने लगा कि उन्हें जीवन के अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। कई एक क्षेत्रों से उन्हें ढकेल कर बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी भावनायें जहां पैदा हो जायें गौर फिर उनकी निरन्तर उपेक्षा की जाय तो, कई बार विस्फोट हो ही जाता है। जिन आठ स्थानों से खतरनाक शस्त्र, तेजाब के बल्ब तथा बिना लाइसैन्स की बन्दूकें बरामद हुई हैं, वे स्थान आसामियों के नहीं हैं।

इस बात से पीछे नहीं हटा जाना चाहिए कि आसाम की सरकारी भाषा आसामी हो। यह मामला काफी समय से खटाई में पड़ा है। बाकी राज्यों के मामले हल हो गये परन्तु हम अभी मुंह ही देख रहे हैं। बंगाली भाषा विश्व की एक सर्वाधिक विकसित भाषा मानी जाती है। यह बात बिलकुल समझ में नहीं आई कि उसे आसामी भाषा से किस प्रकार, क्यों भय हो रहा है।

यह आरोप बिलकुल निराधार है कि आसामी अधिकारियों ने जनगणना के आंकड़ों को तोड़ा-मरोड़ा है। १८६१ से १९४१ तक की जनगणना रिपोर्टों से यही पता चलता है कि आसामी बोलने वालों के आलस्य व अज्ञान के कारण उनकी जनसंख्या के आंकड़े जानबूझ कर कम कर दिये। इस प्रकार आसाम में बंगला भाषी जनसंख्या की वृद्धि हो गयी। अब १९६१ में सब बातों का पता चल जायेगा। मैं सुझाव दूंगा कि एक समय में तीन जनगणना करने वाले जाने चाहिए। एक हिन्दी भाषी, एक बंगला भाषी और एक आसामी भाषी। यद्यपि इस पर खर्च तो आ जायेगा परन्तु बहुत सी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। इस में मुझे कोई सन्देह नहीं है।

श्री जैन ने अपने शिष्ट मंडल के साथ सारे आसाम का १० दिन तक दौरा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कांड की न्यायिक जांच की जानी चाहिये। यह एक बहुत अच्छा कदम है। न्यायिक जांच का मैं समर्थन करता हूं। हमें इस बात से कोई भय नहीं है। परन्तु जांच की मांग करते हुए हम पर आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। हम पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया है जो एकदम गलत है। राजनीतिक लाभ उठाने वाली बात भी एकदम गलत है। साथ ही आसाम में राष्ट्रपति के शासन की मांग करना भी ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि आसाम के लोगों एवं उनके प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा एवं उनके सम्मान के बारे में शंका करना नहीं है। दंगों में पीड़ित लोगों का पुनर्वास करना हमारे समक्ष अब सब से महत्वपूर्ण समस्या के रूप में आना चाहिए। पश्चिमी बंगाल निवासियों से मेरा निवेदन है कि वे अब आसाम में आतंक बढ़ाने का नहीं बल्कि उसको कम करने का प्रयत्न करें। केन्द्रीय सरकार को भी सहायता करने में दयालुता से काम लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे इस काम में किसी प्रकार की रुकावट पैदा हो। जिस प्रकार के भाषण यहां सुनने में आये हैं उससे स्थिति खराब हो सकती है। श्री भट्टाचार्य ने अपने भाषण में तथ्यों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया है। ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे स्थिति बिगड़ती ही है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : आसाम की घटनाओं से सारा देश तड़प उठा है। इस विषय पर चर्चा एक मास के लिए इसलिए स्थगित कर दी थी कि इस बीच विस्थापितों को बसा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीकती रेणुका राय]

दिया जायेगा । यह भी आशा थी कि इस बीच स्थिति सामान्य हो जायेगी । परन्तु वास्तविकता यह है कि पश्चिमी बंगाल के शिविरों में विस्थापितों की संख्या ५००० से बढ़ कर ४० हजार हो गयी है । जब शिविरों के लोग अपने पुनर्वास स्थानों पर गये, तो उन्हें वहां से पुनः भगा दिया गया । यह बातें इतनी स्पष्ट हैं कि इन्हें बढ़ा चढ़ा कर कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । यह बात यद्यपि सब ने कही है परन्तु मैं उन्हें पुनः कहती हूं कि केवल भाषा विवाद के कारण ही यह तूफान आसाम में नहीं आया है । इसके पीछे गहरे कारण थे । इस संबंध में जो कुछ अजित प्रसाद जैन समिति ने कहा है वह ठीक ही है ।

यह अफवाहें फैला दी गयी कि पश्चिमी बंगाल की सरकार विस्थापितों को बंगाल में लाने का प्रयत्न कर रही है । क्या विचित्र बात है, आप जरा वहां जाकर देखिये विस्थापित किस सोचनीय अवस्था में शिविरों में रह रहे हैं । यह भी अफवाह फैला दी गयी कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने शरणार्थियों को बंगाल में पुनः बसाने के लिये एक बड़ा सहायता कोष इकट्ठा किया है । इस संबंध में एक बात आपको स्पष्ट समझ लेनी चाहिये कि पश्चिमी बंगाल सरकार को पूर्वी बंगाल से आये बहुत से शरणार्थियों को बसाना अभी बाकी है । अतः पश्चिमी बंगाल और शरणार्थियों को कैसे लेना चाहेंगे । यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम आज इस बात को बिकुल भूल ही गये हैं कि हम भारतीय हैं और अपने देश के प्रति हमारा कुछ कर्त्तव्य है । भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की हमारी नीति देश की एकता की दृष्टि से बिल्कुल गलत सिद्ध हुई है ।

आसाम की पुलिस व्यवस्था की उचित छानबीन कराना आवश्यक है जैन समिति ने कहा है कि यह बड़ा आवश्यक है कि पुलिस बाहर बुलाई जाय ताकि वर्तमान पुलिस के साथ पूर्ण समन्वय से काम हो सके । परन्तु जैन समिति ने न्यायिक जांच की सिफारिश नहीं की । इस मामले की शीघ्र ही न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये ताकि गवाहियां नष्ट न होने पायें । सभी उपायों व कार्य-वाहियों की व्यवस्था करने तथा उनकी देख भाल करने के लिये केन्द्रीय सरकार के एक सदस्य को नियुक्त किया जाना चाहिये ।

पश्चिमी बंगाल के अखबारों पर भी आरोप लगाये गये हैं । मेरा निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल और आसाम के समाचार पत्रों को एक ही नाप से नहीं तोला जाना चाहिये । ये सब घटनायें आसाम में हुई है न कि बंगाल में । यदि बंगाल के समाचार पत्र अपना काम न करते, तो यह सारी जानकारी प्रकाश में ही न आ पाती । किसी देश भर में मालूम ही न चलता कि आसाम में क्या हो गया है । अन्त में मैं पुनः इस बात पर जोर देती हूं कि मामले की न्यायिक जांच की जाये । पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने भी इस दिशा में प्रस्ताव पास किया है ।

†**श्री त्यागी** : यह मामला केवल आसाम का ही नहीं है बल्कि सारे भारत का है । वहां की विधि और व्यवस्था पूर्णतः बिगड़ गई थी । इससे यह भी पता चलता है कि सम्पूर्ण देश की विधि और व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है । यह केवल भाषा ही की बात नहीं रह जाती, इससे स्पष्ट होता है कि लोगों के दिलों में विधि और व्यवस्था के प्रति सम्मान लगभग समाप्त हो चुका है । मेरा विचार है कि अब प्रशासन को सचेत होना चाहिये । सरकार को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के कड़ाई के साथ विधि पूर्वक स्थिति का सामना करना चाहिये । लोगों में विधि के लिये प्रतिष्ठा पैदा करना बड़ा आवश्यक है । विधि के आगे सभी लोग एक समान है । केन्द्रीय सरकार भी इस स्थिति के प्रति उदासीन ही रही है । यदि सरकार जनता के जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकती तो

†मूल अंग्रेज़ी में

ऐसी सरकार का क्या लाभ ? आसाम सरकार ने अपने कर्त्तव्य का उचित पालन नहीं किया ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के प्रशासन पर राजनैतिक दलों का दवाब है। इसे रोकना चाहिये। वास्तविक रूप में सरकार तो वही कहला सकती है जो प्रत्येक व्यक्ति की जान और माल की हिफाजत का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले।

जांच के लिये आयोग नियुक्त करने की बात की जा रही है। सदन उस पर विचार करेगा परन्तु मेरा मत तो यह है कि उन लोगों के विरुद्ध जांच होनी चाहिये जिनके हाथ में विधि और व्यवस्था का उत्तरदायित्व था। वहां तो ऐसा लगता था कि कोई सरकार ही नहीं है। वहां की सरकार में अवश्य परिवर्तन किया जाना चाहिये। आसाम के विधि मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये। यदि वहां प्रशासनिक मशीनरी इसी प्रकार ही चलती रहेगी तो न्यायिक अथवा अन्य किसी प्रकार की जांच आयोग बिठाने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। सरकार के मंत्री मंडल स्तर अथवा असैनिक सेवाओं के स्तर पर सभी जगह प्रशासकीय ढांचे में परिवर्तन होना चाहिये। आशा है कि वहां की सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी।

शांति स्थापित किये बिना कोई देश प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। सारे भारत में घूम कर मैंने जो देखा है वह यही है कि लोकतंत्र को काफी क्षति पहुंच चुकी है। मैंने इसी आधार पर ही भाषाई आयोग नियुक्त करने का विरोध किया था। मैंने कहा था इससे देश को हानि होगी। आज अवस्था यह है कि धार्मिक दंगे तो बन्द हो गये हैं परन्तु लोग अब भाषा के नाम से लड़ रहे हैं। सारे देश में भाषा के नाम पर एक तूफान खड़ा कर दिया गया है। पंजाब में हजारों लोगों को भाषा के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है। दक्षिण में भी यही दशा है। मेरा मत है कि यह मामला न्यायिक जांच का नहीं, हृदय टटोलने का है। सरकारी पदेन दल तथा अन्य सभी राजनीतिक दलों को हृदय टटोलना चाहिये। सभी को मिल कर देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिये। आसाम में सभी राजनीतिक दल अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहे हैं। कांग्रेस भी अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पाई। उसे कम से कम बंगाली भाषा-भाषी लोगों की रक्षा के लिये मैदान में आना चाहिये। एक महिलाओं का शिष्टमंडल भी आसाम गया था, उसने भी अपनी रिपोर्ट में बड़ी भयानक बातें बताई हैं। सरकार को कुछ भी पता न चला। सरकार का सूचना विभाग इस मामले में बहुत ही निकम्मा सिद्ध हुआ। समय पर उन्हें कोई सूचना प्राप्त न हो सकी। संसदीय शिष्ट मंडल का भी इस मामले में यही मत है। यह भी आश्चर्य की बात है कि विस्थापितों की संख्या २३,००० से बढ़ कर ४०,००० हो गयी है।

केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाना गलत है कि उसने कोई तुरन्त कदम नहीं उठाया। केन्द्र में होने वाली किसी भी सरकार के लिये इस दिशा में कदम उठाना उस समय तक संभव नहीं है, जब तक कि उसे स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित न कराया जाये। वास्तविक घटनाओं की प्रमाणित सूचनाओं के आधार पर ही सरकार कोई कार्यवाही कर सकती है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रधान मंत्री वहां गये, विधि मंत्री वहां गये। संसदीय शिष्ट मंडल वहां गया और उन्होंने असलियत मालूम करने का प्रयत्न किया। मेरा मत यह है कि इस दिशा में न्यायिक जांच से कोई लाभ नही होगा। बात महत्व पूर्ण होगी कि इस बात का पता लगाया जाय कि कौन से कारण थे जिनके परिणामस्वरूप ये हिंसात्मक घटनायें हुई हैं। और अपराधियों को कठोर दण्ड देना चाहिये ताकि जनता के मन में यह बात बैठ जाये कि अपराधियों को बिना दंड के नहीं छोड़ा जा सकता। इससे भविष्य में शांति की स्थापना होगी। आसाम के बंगाली भाषा-भाषी लोगों का मामला सारे भारत का मामला है परन्तु खेद है कि कलकत्ते के कुछ राजनीतिक समूहों ने उत्तेजनापूर्ण खबरें फैला कर, काले झंडों का प्रदर्शन व जलूस निकाल कर आसाम के बंगला-भाषी लोगों के मामलों को कमजोर बना दिया है। सारे भारत में भ्रांति उत्पन्न कर दी है।

†**श्री हिंनिटा (स्वायत्त जिले–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)** : पहले तो मैं केवल भाषा संबंधी समस्या के हल के लिये कुछ सुझाव ही देना चाहता था परन्तु जब मैंने श्री हेम बरूआ को सुना तो मुझे लगा कि वह अब भी उत्तेजित हैं। मैं भी आसाम राज्य का निवासी हूं। किन्तु आसामी कहलाते हुये मुझे बहुत लज्जा आती है। निस्सन्देह आसामियों ने पशुओं का सा व्यवहार किया है। वस्तुतः आसाम राज्य अंग्रेजों का सृजन है, उन्होंने आसाम में तीन विभिन्न जातियों को रखा और उनकी आपस में झड़प रही। इससे उनका कार्य सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता के बाद आसाम में आसामियों की शक्ति बढ़ी और अब उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू कर दिया है।

आसामी को राज्य-भाषा घोषित करने की दृष्टि से ही सिलहट को असम से अलग किया गया था परन्तु आसामियों ने तो ऐसा कानून बनाने की चिन्ता भी नहीं की; उन्होंने बिना कानून बनाये सरकारी गजट भी आसामी भाषा में छापना आरम्भ कर दिया और आदिम जाति क्षेत्रों में आसामी का व्यवहार किया। आसामी भाषा सीखने वालों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। आसाम के अफसर आदिम जातियों की भाषा नहीं सीखते किन्तु आदिम जाति के लोगों को आसामी सीखनी अनिवार्य है। इस प्रकार से आसामी भाषी जनता वहां अपना प्रभुत्व बनाना चाहती है।

ब्रह्मपुत्र घाटी के निवासी बंगालियों ने आसामी को राज्य भाषा बनाने का विरोध नहीं किया। इसका विरोध हम लोग करते हैं किन्तु आसामी लोगों ने निपराध बंगालियों की हत्यायें की और उनके घर जलाये। वस्तुतः दलगत नीति यह थी कि कारोबार आदि क्षेत्रों में आसामी को तुरन्त लागू न किया जाये किन्तु इससे आसामी भड़कते थे और वे शीघ्र ही मनमानी करके अपना काम बनाना चाहते थे।

हमें बंगालियों की व्यर्थ ही में निन्दा न करनी चाहिये। माना कि कभी कभी वे अत्यधिक प्रांतीयता का प्रदर्शन करते हैं किन्तु हमें उन्हें समझाना चाहिये। आखिर दोष तो सभी में होते हैं। आसामियों को बंगाली लोगों के दोषों के बावजूद भी यह अधिकार नहीं था कि वे यह कहें कि बंगाली स्त्रियों को अपना पहिरावा भी बदल देना चाहिये यह उद्दंडता की हद है।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि यह झगड़ा तब शुरू हुआ जबकि बंगालियों ने एक जलूस का आयोजन किया जिसमें आदिम जाति क्षेत्रों के लोगों ने भी भाग लिया था। उसमें कुछ नारे लगाये गये और आसामी भाषा को गधों की भाषा कहा गया। इससे आसामी उत्तेजित हुये। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह बात गलत है। तथ्य तो यह है कि २१ तारीख को जो जलसा हुआ उसमें भाग लेने वाले लोगों में से अधिकांश आदिम जातियों के ही लोग थे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उस जलसे का मुझे सही ज्ञान है क्योंकि उसमें मेरी माता भी सम्मिलित हुई थीं। हमारे यहां मातृ भाषा को बहुत महत्व दिया जाता है। मातृ भाषा ही से हम अपना अस्तित्व समझते हैं।

मान लो कि उस जलसे में आसामी भाषा के विरुद्ध कुछ कहा भी गया या उसका तिरस्कार भी किया गया तो क्या वह तिरस्कार, भारतीय नारियों का तिरस्कार करके धुल गया। क्या भाषा के विरुद्ध आसामी कुछ भी नहीं सुन सकते ? क्या उनकी भाषा इतनी कमजोर है कि वह तनिक सी आलोचना से मुर्झा गई। इतनी सी बात के लिये नारियों की मर्यादा नष्ट करना तथा घर जलाना और हिंस्र पशु बन जाना क्या उचित है ? मैं यह प्रश्न समूचे देश के सामने रखता हूं और पूछता हूं कि क्या आसामियों का यह व्यवहार उचित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

भाषा के बारे में आसामी इतने असहिष्णु हो गये हैं कि भाषा सम्बन्धी निर्णय करने वाली समितियों में जहां पर उन्होंने साधारण विधान-सभा सदस्यों को तो आमंत्रित किया परन्तु आदिम जतियों के मंत्री को नहीं बुलाया। वह हम लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं पर यह न होगा।

वस्तुतः इन दंगों के पीछे जनगणना का भी प्रश्न है। अब जनगणना होने जा रही है। ऐसी स्थिति में जब कि अनेक बंगाली वहां से भाग गये हैं कौन आसामी भाषा को अपनी भाषा न कहेगा। कितने बंगाली-भाषी वहां रह गये हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय। इस संसदीय शिष्ट मंडल में आदिम जातियों का भी एक सदस्य होना चाहिये था! यदि ऐसा होता तो यह प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ बन जाता। ऐसा लगता है कि यह मंडल वहां की आदिम जातियों से नहीं मिला। किसी का नाम तक भी इसमें उल्लिखित नहीं है। हम सब लोग आसामी को राज्य भाषा बनाने के मामले में विरोध करते हैं।

दूसरी आपत्तिजनक चीज जो रिपोर्ट में कही गई है वह यह है कि आसाम के सभी पहाड़ी जिले एक दूसरे से अलग अलग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मंडल पहाड़ी जिलों में गया था? यह नहीं गया। यह बात उनको आसाम सरकार ने बताई और वही रिपोर्ट में आ गयी; किन्तु यह चीज़ गलत है। कुछ ज़िले सड़कों द्वारा आपस में मिले हुये हैं और कुछ नहीं हैं। परन्तु यह दोष तो सरकार का है किसी और का नहीं। इसी कारण हम लोग अभी तक पीछे हैं। विभाजन ने हमारी कमर पहले से तोड़ दी है क्योंकि आर्थिक रूप से हमारा सम्बन्ध पूर्वी पाकिस्तान से था। हमारे यहां पर न प्रेस है और न राजनीतिक जाग्रति। इसलिये हमारी अवहेलनाकी जाती है।

श्रीमान् हम हर कीमत पर आसामी भाषा का विरोध करेंगे। हम किसी भाषा से घृणा नहीं करते परन्तु हमारी अपनी मातृभाषा है। हम उसे पढ़ेंगे फिर हमें हिन्दी को पढ़ना है तथा इसके साथ ही हमें अंग्रेजी भी सीखनी है। हम इतनी भाषाओं का बोझ उठा कर आसामी का बोझ सहन नहीं कर सकते।

रिपोर्ट में हर चीज का उल्लेख किया गया है परन्तु आदिम जातियों ने भाषा के बारे में जो बात कही थी उसका जिक्र तक भी किया नहीं गया है। रिपोर्ट में प्रदर्शन का उल्लेख तो किया गया है परन्तु यह बात कभी भी नहीं आई कि उन्होंने बाद में अपने व्यवहार के प्रति क्षमा मांग ली थी। उसके बाद आसामियों ने एक जलसा किया जिसमें यह संकल्प पारित किया गया कि जो क्षेत्र आसामी भाषा का विरोध करते हैं उन्हें भारत के मानचित्र से ही मिटा दिया जाय। इस बात का कहीं जिक्र तक भी नहीं है। यह निरा पागलपन है। इस प्रकार की बातों को कदापि सहन नहीं किया किया जा सकता। यदि आसामियों की यही असहिष्णुता जारी रही तो हम उनके साथ रहना ही पसंद न करेंगे। हम स्वतंत्रता चाहते हैं अन्यथा हमें इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी है। अंग्रेजों ने हमें राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा परन्तु ये लोग हमें विचार स्वतंत्रता से भी वंचित रखना चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने बंगालियों का विध्वंस किया हालांकि बंगाली इन्हीं के साथी हैं; नस्ली दृष्टि से वे आसामियों के निकट हैं। फिर भी भाषा के छोटे से विवाद के फलस्वरूप आसामियों ने उनकी स्त्रियों पर अत्याचार किये। यह निरीह नृशंसता नहीं तो और क्या है।

जब दूसरे देशों के रेडियो से हमने इन अत्याचारों की खबरें सुनीं तो हमारे सिर शर्म से झुक गये। क्या भारत में इसी तरह की बातें चलती रहेंगी?

[श्री हिनिटा]

मुझे याद है कि १९५३ में कुछ आदिम जातियों ने भारतीय सेना पर नीफा में कहीं आक्रमण कर दिया था। उस समय सरकार ने तुरन्त सेना भेजी थी और उन गरीबों को सामूहिक दंड दिया गया था। किन्तु अब जब कि बंगाली अबलाओं को नंगा करके उनसे बलात्कार किया गया है हमारी सरकार तुरंत जांच भी कराना नहीं चाहती। ऐसे अत्याचार तो नागा विद्रोहियों ने भी कभी नहीं किये।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस समस्या का हल करते समय उन्हें यह भी ध्यान में रखना होगा कि आसाम में आदिम जातियों के निवासी भी हैं जो अपनी भाषा से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आसामी लोग अपनी भाषा से। आदिम जातियों की भाषाएं मिटती जा रही हैं।

आसाम पहुंचकर तो हमारे प्रधान मंत्री ने भी यही कहा कि आसामी आसाम की राज्य भाषा होनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो कुछ मैंने कहा उसे आप ठीक से नहीं कर रहे। आधी बात कह रहे हैं आप। मैंने यह कहा था कि आसामी आप लोगों के लिये राज्य भाषा बन सकती है पर आप इसे दूसरों पर थोप नहीं सकते।

†**श्री हिनिटा** : तब हमें कोई खतरा नहीं है। हमें प्रसन्नता है कि आसामी हम पर थोपी नहीं जायगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने १९५३ में नीफा के एक वाकए का उल्लेख किया है। वह तो नीफा में हमारे प्रशासन के इतिहास की एक अभाग्यमान घटना है। वह घटना हमारी शराफत, हमारे धर्य और हमारी शांतिपूर्ण व्यवस्था की द्योतक है। वहां हमें शांतिपूर्ण तरीकों से सफलता मिली थी। कोई युद्ध नहीं हुआ। इसका नागाओं से भी कोई सम्बन्ध नहीं था। यह घटना दूसरे सीमान्त पर हुई थी। एक पलटन एक मेजर के नेतृत्व में किसी काम से जा रही थी। तब न केवल अप्रत्याशित रूप से बल्कि धोखे बाजी से भी, एक व्यक्ति को मार दिया गया। इस उत्तेजना के बावजूद भी हम ने कोई दंडात्मक कार्यवाही न की। उन्होंने कहा कि हमने सेनाओं को उड़ाया, किन्तु वास्तव में बात यह थी कि यदि सेनाओं को विमान से न ले जाया जाता तो गंतव्य तक पहुंचने में सात दिन लग जाते। हम अन्य सैनिकों को बचाना चाहते थे। इस कारण हमने सेना को विमानों द्वारा भेजा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): उनका आशय यह है कि यहां पर सेना क्यों शीघ्र न भेज दी गई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सेनाओं को विमानों द्वारा भेजने का कोई प्रश्न नहीं है। सेनाएं वहां मौजूद थीं। शायद २४ घंटे में वे वहां पहुंच भी गयीं थीं।

†**श्री भगवती** (दरांग) : कल श्री जयपाल सिंह ने हमें याद दिलाया था कि इस चर्चा में हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे आपस में तनाव पैदा हो जाये। परन्तु मुझे खेद है कि आज वक्ताओं ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो ग़लत हैं तथा जिनको ठीक करना आवश्यक है। श्री त्यागी ने एक मामले के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि केवल मामले के आधार पर ही किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं मानता हूं कि आसाम में जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिये था। परन्तु ऐसा क्यों हुआ। मैं समझता हूं कि ऐसा केवल इस कारण से हुआ कि आज देश में हिंसा की भावना प्रज्वलित होती जा रही है।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

मेरी सभी राजनैतिक दलों से प्रार्थना है कि इस हिंसा की भावना को दबाने के तरीके ढूंढने का प्रयत्न करें।

कल प्रो० मुकर्जी ने कहा कि हमें भारत शब्द से अखण्ड भारत ही समझना चाहिये। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और बताना चाहता हूं कि आसाम में श्राद्ध के समय हम जो मंत्र पढ़ते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम आसाम के लोग भी भारत की अखण्डता तथा पवित्रता पर ही विश्वास करते हैं। मंत्र इस प्रकार है :

'एतस्मिन् विशिष्टे पुण्ये भारताक्खेभू प्रदेश '.....

हम आसाम वासी यह भी विश्वास करते हैं कि यदि कोई यात्री दक्षिण में रामेश्वरम्, उत्तर बद्रीनारायण, पश्चिम में पुश्कर तथा पूर्व में परशुराम कुण्ड की यात्रा न करे तो उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जा सकती है। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि हम आसामवासी राष्ट्रीयता देशभक्ति, देश की अखण्डता, पवित्रता आदि के प्रति उतने ही जागरूक हैं जितना अन्य कोई भारतवासी हो सकता है। इसलिये हम पर प्रांतीयता आदि के आरोप लगाना ठीक नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इन दंगों का कारण भाषा नहीं थी। आर्थिक कारण नहीं थे, तो कारण क्या थे। मैं श्री कृपालानी से सहमत हूं कि इन कारणों की जांच होनी चाहिये जिससे सच्चे तथ्य हमारे सामने आयें।

हमारे प्रधान मंत्री ने भी बताया कि इसकी जांच दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो पहले अपराधियों को पकड़ने के लिये तथा दूसरी इसके कारणों का पता लगाने के लिये। मैं चाहता हूं कि कारणों का पता लगाने वाली जांच होनी चहिये जिससे उनको दूर किया जा सके। परन्तु इस जांच से पहले यह भी आवश्यक है कि शरणार्थियों को पुनः बसाया जाये। क्योंकि जांच के लिये तभी सही वातावरण उत्पन्न हो सकेगा जब शरणार्थी अपने अपने घरों में बस जायेंगे।

यह बात सभी ने स्वीकार की है कि अपराधियों का पता लगाया जाना चाहिये और उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिये जिससे शरणार्थियों को विश्वास हो जाये कि वह सुरक्षित हैं और उनको सताने वाले को अवश्य सज़ा मिलेगी।

मैंने यह भी देखा है कि आसाम तथा बंगाल के समाचार पत्रों ने इन दंगों के सम्बन्ध में जो कुछ समाचार प्रकाशित किये उनका ग़लत असर हुआ। मेरी उनसे यही अपील है कि वह ऐसा प्रचार करें जिससे समस्या सुलझे। इस समस्या को और उलझाने का प्रयत्न न करें।

श्री हूवर हिनोटा ने बताया कि पहाड़ी इलाकों के रहने वालों पर जबरदस्ती असामी भाषा लादी जा रही है। यदि वह आसाम प्रान्तीय कांग्रेस समिति के संकल्प को देखें तो उनको पता लगेगा कि हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा एक फार्मूला बना लिया जायेगा जिससे आसाम में पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी स्वीकार कर लेंगे। मेरी श्री हूवर हिनोटा से यह भी प्रार्थना है कि वह भाषा के सम्बन्ध में ऐसा कोई हल निकालने का प्रयत्न करें जिससे हम सभी आसाम वासी प्रसन्नता से मिल जुल कर रह सकें।

[श्री भगवती]

इन दंगों के कारण आसाम को बहुत हानि हुई है। पश्चिमी बंगाल के हमारे सम्बन्ध बिगड़ गए हैं। हमारा आर्थिक विकास कलकत्ते पर आधारित है। हमारे बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं। इसलिये आवश्यक है कि हमारे पश्चिमी बंगाल से सम्बन्ध अच्छे रहें।

मैं आशा करता हूं कि कुछ समय बाद हालत सुधर जायेगी और हम इन दंगों को भुलाकर आपस में मैत्री से रह सकेंगे।

यह बताया गया कि १९५१ की जनगणना के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी की गई और इसी कारण आसामी भाषाभाषी जनता की संख्या १९ लाख से बढ़ कर ५० लाख हो गई। मैं समझता हूं कि कोई गड़बड़ी नहीं की गई है क्योंकि १९३१ की जनगणना में कुछ आसामी भाषाभाषी क्षेत्रों की गणना नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में एक जनगणना और होने वाली है और तब हमें इसके बारे में भी पता देख लेना है। हमें इस प्रकार की बातें कह कर कि आसामी भाषा आसाम के अल्पसंख्यकों की भाषा है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

इतिहास साक्षी है कि आसाम में देश के सभी भागों के लोग आते हैं और बसते हैं। ऐसा होते रहना चाहिए। केवल हमें वहां की समस्या को उदारता से समझना चाहिए। मनीपुर, त्रिपुरा, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार की इतनी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जितनी अब तक होती रही है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेगी।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा): आसाम की दुर्घटनाओं से मुझे बड़ा दुख हुआ है और मैं सभा को बताना चाहती हूं कि आसाम की जनता को भी इन दंगों का बड़ा दुख है।

संसदीय शिष्टमंडल ने इस मामले की पूरी तरह से जांच की और उन्होंने जो सिफारिशें की हैं मैं उनका पूरी तरह समर्थन करती हूं और यह कहना चाहती हूं कि इन दंगों के कारण जो व्यक्ति बेघरबार के हो गये हैं उनको पुनः बसाने का शीघ्र प्रयत्न किया जाना चाहिए। मेरा हमेशा से यह खयाल रहा है कि भारत एक देश है तथा इसके किसी भी स्थान पर भारत का कहीं का भी निवासी रह सकता है। इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर मेरा अपने बंगाली भाइयों से अनुरोध है कि गरीब शरणार्थी भाइयों को पुनः बसाने में वह अपना सहयोग दें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने न्यायिक तथा अन्य प्रकार की जांच कराने के बारे में कहा। उनका विचार ठीक है और जांच होनी चाहिए क्योंकि आसाम सरकार भी राज्य से गुण्डों को निकालना चाहती है। जांच से गुण्डों का पता लगेगा और उनको बाहर निकालने में मदद मिलेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि आसाम में राष्ट्रपति का शासन होना चाहिए। मैं उन सदस्यों से यही जानना चाहती हूं कि राष्ट्रपति के शासन से समस्या किस प्रकार हल हो जायेगी। क्योंकि शरणार्थियों को तो हमारे साथ रहना है और साथ साथ रहने के लिये आवश्यक है कि दोनों में मनोमालिन्य बिल्कुल न रहे। आसाम सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है जिससे इस गड़बड़ी के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दिलाई जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं हाल में ही आसाम गई थी। वहां पर लोगों से मिली और मैंने देखा कि उन स्थानों के बहुत से किसान अपने घरों को लौट आये हैं। उनको सरकार सहायता दे रही है। मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार को भी कुछ सहायता इन शरणार्थियों को देनी चाहिए जिससे यह अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

इसके साथ साथ हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि आसामी तथा बंगाली दोनों सामाजिक, आर्थिक आदि सभी तौर पर आपस में सम्पर्क पैदा कर सकें। मैं यह भी चाहती हूं कि हमें आसामियों की भी स्थिति समझनी चाहिए। जब पाकिस्तान से शरणार्थी आसाम में आने शुरू हुए उस समय उनको बसाने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका और वह अल्पवस्थित रूप से आसाम में बस गये। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी इन्हीं शरणार्थियों को नौकरी दिलाने का प्रयत्न किया है और आज हालत यह है कि आसाम के सरकारी विभागों में आसाम निवासी कम संख्या में हैं। इस स्थिति को बताने से मेरा यह मत नहीं है कि यह हिंसा तथा गड़बड़ी जो हुई है वह ठीक है। मैं तो केवल यह कहना चाहती हूं कि इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी केवल आसामियों पर ही नहीं है।

इस गड़बड़ी में मुझे इस बात को देख कर बड़ा दुख हुआ है कि औरतों की बड़ी बेइज्जती हुई है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में सरकार इसका ध्यान रखेगी कि औरतों की बेइज्जती न हो।

मेरा यह सुझाव भी है कि आसाम में आसाम के संसद् सदस्यों, विधान सभा सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाये जो बंगाली शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कार्यक्रम बनायें। गड़बड़ी वाले छः जिलों में उपआयुक्त भी ऐसा होना चाहिये जो आसामी तथा बंगाली हो और जो उस कार्यक्रम के अनुसार शरणार्थियों का पुनर्वास करा सके।

मैं यही चाहती हूं कि इन विवादास्पद झगड़ों को शीघ्रता से निबटाया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिये भाषा के सम्बन्ध में भावी संविधान का संशोधन भी करना पड़े तो वह भी कर देना चाहिए।

— —

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पचपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

———

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलदुर्ग) : ब्रह्मपुत्र की घाटी में जो उपद्रव हुए उनका स्वरूप बड़ा व्यापक था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह कलंकपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जायेगा। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सह अस्तित्व का कोलाहल करने वाले लोग ही मिलकर नहीं रह सकते। विभिन्न भाषाभाषी होना उनकी एकता के मार्ग में बड़ी रुकावट बन रहा है। आसाम और बंगाल के लोगों में इपने पास पास रहते हुए भी परस्पर बन्धुत्व की भावना का निर्माण नहीं हो सका। सैकड़ों वर्षों से वे साथ साथ रहते चले आ रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि वे एक दूसरे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इलियास]

की जान माल और प्रतिष्ठा के शत्रु बन गये हैं। सारी समस्या का अध्ययन करने के लिये एक संसदीय शिष्टमंडल आसाम में गया था। उसने लौट कर जो बातें बताई हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वास पैदा करने के लिये अदालती जांच करना बहुत ही आवश्यक है। वहां के तथ्य ऐसे हैं कि उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। लगभग १० हजार मकान जला दिये गये हैं। हजारों जानें तबाह हो गई हैं और सर्वत्र निराशा का वातावरण बना हुआ है। वहां सरकार की भी अवस्था ऐसी हो गई थी कि वह कुछ न कर सकी, अल्पसंख्यकों के जान और माल की रक्षा न हो सकी।

यह बात गलत है कि उन उपद्रवों का किसी को अनुमान नहीं था। इन घटनाओं की पहले से ही आशा थी। वहां दो वर्ग थे, एक समझता था कि उनका शोषण हो रहा है। दूसरा समझता था कि उनको निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये झगड़े २० मई को ही शुरू हो गये थे। । दोनों भाषाभाषी वर्गों में खिचाव बढ़ रहा था। राज्य भर में तनातनी बढ़ने के समाचार प्राप्त हो रहे थे। सुरक्षा की स्थिति खराब हो रही थी। आसाम कांग्रेस ने मुख्य मंत्री को आसामी भाषा लागू करने का आदेश दे दिया। बंगालियों ने इसका अर्थ यह लगाया कि यह सब उनको राज्य से बाहर निकालने के लिये किया जा रहा है। १२ जून से ही ऐसी घटनायें होनी आरम्भ हो गयी थीं कि स्थिति काबू से बाहर हो गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां एक वर्ग चालिहा मंत्रिमंडल के विरुद्ध था और श्री चालिहा को निकालने अथवा उनको बदनाम करने पर तुला हुआ था। वहां का शासन छिन्न भिन्न हो गया। सरकार और अधिकारी वर्ग की ओर से स्थिति पर काबू पाने के विचार से कोई पग नहीं उठाया गया। सभी उत्तरदायी लोग उदासीनता से सारा तमाशा देखते रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करने का गम्भीर अपराध किया। सारे देश को भयानक तबाही का सामना करना पड़ा।

केन्द्रीय सरकार इस मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यदि उसने उचित समय पर हस्तक्षेप किया होता तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थीं। अल्पसंख्यकों को बचाया जा सकता था। विधि और व्यवस्था वहां बिगड़ गई थी इस बात की आवश्यकता थी कि वहां भी राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार को वहां की पूरी जानकारी प्राप्त होती रहती होगी। इसके पास तो अपना पुलिस और गुप्तचर विभाग है। मेरे विचार में एक समिति नियुक्त कर इस बात की जांच करना बिलकुल ठीक होगा कि राज्य सरकार का काम कैसा था और केन्द्रीय सरकार ने समय पर उपयुक्त कार्यवाही क्यों न की।

आसाम में जो कुछ हुआ उस से अन्य राज्यों के अल्पसंख्यकों के हृदयों में भी आतंक पैदा हो गया है। वे अनुभव करने लगे हैं कि संविधान में व्यवस्थित संरक्षणों से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिये। उसे इस बात की भी विस्तार से जांच करनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जिन संरक्षणों की व्यवस्था है वे काफी हैं अथवा नहीं।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार की घटनाएं ही होती रहीं तो देश की एकता एवं अखंडता छिन्न भिन्न हो जायेंगी। अतः वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाये कि लोग मिल-जुल कर काम कर सकें और लाभ उठा सकें। इसलिये शीघ्र ही एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की जानी चाहिये ताकि वह इस मामले की जांच कर सके। और यह बता सके कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने क्या गलती की।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं आसाम से लगभग ४० वर्ष से परिचित हूं । वहां की प्राकृतिक सुन्दरता और अच्छे लोगों ने मुझे बहुत पहिले ही प्रभावित कर लिया था । बंगाल और आसाम के लोग बड़े उदार स्वभाव के हैं और सहृदय-वृत्ति के होते हैं। इस बात ने इन घटनाओं को और भी दुःखद बना दिया है । वहां जो घटानायें हुई हैं, वह बड़ी लज्जा की बात है । वहां हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया है, और वे आसाम तथा उस से बाहर कैम्पों में अनिश्चित जीवन बिता रहे हैं । सब से बड़ी बात तो यह है कि वहां के निवासियों के हृदय में से विश्वास उठ गया है । हमारी भारतीय सभ्यता तो हमेशा हमें उदार और सहनशीलता का उपदेश देती आई है । खेद की बात है कि हमारे देश में कुछ समय से धर्म, भाषा और जाति इत्यादि के आधार पर झगड़े खड़े हो रहे हैं।

इन विकट परिस्थितियों में जो कि आसाम के सामने आईं थीं, उस में जिन आसामियों ने संयम और शीलता से काम लिया वे सचमुच मुबारकबाद के योग्य हैं । इसी प्रकार वे बंगाली भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आवेश में आना उपयुक्त नहीं समझा। यह हमारा ऐतिहासिक चरित्र रहा है कि हम बुराई की निन्दा तो करते हैं परन्तु उसका मुकाबला नहीं करते । परिणाम यह होता है कि इस प्रकार की बुराइयां बराबर होती रहती हैं। २, ४ और ५, प्रतिशत ही ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बुराइयों से जूझने का साहस करते हैं । अपने देश की एकता और प्रतिष्ठा की दृष्टि से हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र के इस अभाव को दूर करना होगा ।

आसाम के संबंध में मेरा मत यह है कि जो कुछ लज्जाजनक बातें आसाम में हुई हैं उस में राजनीयिक, आर्थिक तथा भाषा सभी बातों का प्रभाव था। गरीबी और बेकारी बड़े बड़े विद्वानों को मूर्खतापूर्ण कृत्य करने पर बाध्य कर देती है । मैं बंगाली भाषा से प्यार करता हूं, अतः आसामियों का अपनी भाषा से प्यार मेरी समझ में आता है । ऐसे भी देखने में आया है कि कई बार लोग अपनी विद्वत्ता और ज्ञान को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को आगे करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो कुछ आसाम में हुआ वह बहुत ही लज्जाजनक है । और ऐसा वहां नहीं होना चाहिये था । बहाने बाजी से उस कलंक को धोया नहीं जा सकता ।

एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि भारत में केवल माननीय भारतीय नागरिकता के अतिरिक्त कोई नागरिकता नहीं चल सकती । नागरिकता का आधार हम राज्य नहीं बना सकते । कहीं रहते हुये किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते । ऐसा करना हमारे संविधान के विरुद्ध है । पहले समय में जब लोग एक दूसरे के सम्पर्क में नहीं आ सकते थे तो देश में इस प्रकार की विषमतायें चलती थीं, परन्तु आज संचार साधनों के विकसित हो जाने से सारे देश में रहने वाले लोग सरलता से एक दूसरे के सम्पर्क में आते रहते हैं। अतः प्रान्तीयता के आधार पर की जाने वाली मांगें पुराने युग की यादें हैं। अतः आज के विज्ञान के युग में विभिन्नता की भावनाओं को प्रोत्साहित करना बड़े भयानक परिणामों का कारण बन सकता है । विभिन्नता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने से ही उपरोक्त प्रकार की घटनायें हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हुमायून कबिर]

एक बात यह भी हमें याद रखनी चाहिये कि भारत में जो विविध प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं वह भी एक खूबी है। वह बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी, परन्तु इस बात की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि वह हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधक न बने। आज इस बात की आवश्यकता है कि लोग इन विभिन्नताओं को सहन करें। विभिन्नता में एकता हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। लोक तंत्रीय युग में तो व्यक्तिगत चेतना का विकास होना आवश्यक है, अतः इस में एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। राष्ट्रीयता और न्याय यह सिद्धान्त हमारे व्यवहार के आधार भूत स्तम्भ होने चाहिए। हमारे संविधान में सभी के लिये समानता की व्यवस्था की गई है। न्याय प्राप्त होने से सभी व्यक्तियों में अथवा सामूहिक रूप में समाज भर में सुरक्षा की भावना का निर्माण हो जाता है।

आसाम में पुनर्वास का कार्य कठिन हो रहा है, क्योंकि वहां लोगों का विश्वास हट गया है और यह धारणा फैल गयी है कि न्याय नहीं हो रहा है। लोगों में अरक्षित होने का भाव छा गया है। लोग वहां अभय दान की माग कर रहे हैं क्योंकि पुनर्वास का कार्य तभी प्रभावी हो सकता है जबकि लोगों में यह भावना आ जाये कि हमारे साथ भेद भाव नहीं होता तथा अन्याय नहीं होता। सुरक्षा की भावना पैदा करने और चेतना जाग्रत करने के लिए जांच कराना अति आवश्यक है। ऐसी जांच तत्काल आरम्भ होनी चाहिए। और गलत काम करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जो गलत काम करने वाले अभी तक नहीं पकड़े गये हैं उनको पकड़ना चाहिये।

अन्त में मेरी यही अपील है कि जो कुछ आसाम में हुआ है, उसके लिए हम बंगाली और आसामी दोनों ही दुःखी हैं। यह दुःख सारे भारत का है। अगर कहीं से भी भारत की एकता को चुनौती मिले तो हमें बन्धुत्व की भावना से परस्पर मिल कर ही उसका मुकाबला करना है। हो सकता है कि यह चुनौती आज भाषा के आधार पर मिली है कल को धर्म अथवा किसी और चीज़ के नाम पर भी मिल सकती है। हमें अपने भाई और बहिनों के अच्छे और बुरे कृत्यों के परिणाम सम्मिलित रूप में ही सहन करने होंगे। और उन के लिये उत्तरदायित्व वहन करना होगा।

†**श्री वसुमतारी** (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां) : आसाम में हुई घटनायें सचमुच बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इससे देश को काफी हानि पहुंचने की सम्भावना है। मेरा मत है कि इस समस्या को हमें बंगाल और आसाम की ही समस्या नहीं समझनी चाहिये। इसे राष्ट्रीय समस्या समझ कर ही इसका हल निकाला जाना चाहिए। ताकि देश में एकता और अखंडता की स्थापना हो सके।

इस मामले में मैं केवल विद्यार्थियों को ही दोषी नहीं मान सकता। हमें इस बात का पूरा पता लगाना होगा कि उन्हें गुमराह करने में किस का हाथ है। इस के लिए आप अध्यापकों की भी जांच कर सकते हैं। जहां तक भाषा का प्रश्न है, तो यह समस्या केवल आसाम तक ही सीमित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अनेक नये राज्यों का निर्माण करना पड़ा है। भाषायें तो जितनी आ जायें उतना ही अच्छा है। भाषा के आधार पर लड़ना और परस्पर घृणा की दृष्टि से देखना मेरी समझ में नहीं आ सका। यह कहना भी गलत है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि जनगणना के आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा गया है । विस्तार से इस विषय का अध्ययन किया जाय तो यह बात नितान्त निराधार सिद्ध होती है ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आसाम की सरकार स्थिति पर काबू पाने में असमर्थ रही । परन्तु यह कहना कि कांग्रेसी आसाम में अत्याचार करने वाले दलों में सम्मिलित थे बिलकुल झूठ और निराधार बात है । यह आप कह सकते हैं कि इस अव्यवस्था का साम्यवादी दल ने खूब लाभ उठाया ।

प्रजा समाजवादी दल ने भी इसका साथ दिया है ।

कहा गया है कि आसामी सीखने से तो अच्छा है कि आसाम से निकल जाया जाय । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आसामी भाषा किसी पर लादने का कोई प्रश्न ही नहीं है । कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव में यह बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आसामी भाषा को केवल मैदान वाले जिलों में सरकारी भाषा के रूप में लागू किया जाय, पहाड़ी जिलों अथवा कछार में नहीं । इस के बावजूद हम गोल मेज सम्मेलन कर के भी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। पुरानी बातें करने और पुरानी घटनाओं का उल्लेख करने से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं। पुरानी बातों के लिए अब की आसाम सरकार को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं ।

संसदीय शिष्टमंडल ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसका मैं स्वागत करता हूं । मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि इन घटनाओं की पूरी जांच अवश्य की जाये, परन्तु मेरा मत है कि यह जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा न हो कर राज्य सरकार द्वारा कराई जानी चाहिए। बुरा करने वालों को कठोर सजा दी जानी चाहिए ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों को परस्पर बैठ कर अपनी भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए, और परस्पर चर्चा कर के मामले को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए । मैं उन से अपील करूंगा कि इस अवसर पर उन्हें जनगणना का कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। यहां पर भाषण करते हुए भी हमें थोड़ा नियंत्रण से काम लेना चाहिए । इस प्रकार के भाषणों से पुनर्वास के कार्यों में काफी बाधा पड़ सकने की सम्भावना हो सकती है । मेरी यह इच्छा है कि शांति स्थापित कर के मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जाय । श्री भट्टाचार्य ने जिस पुस्तक का हवाला दिया है वह ठीक तो है लेकिन पुस्तक को बिना पढ़े हुए कुछ कहना अच्छी बात नहीं है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला) : आसाम की घटनायें बड़ी दुखद घटनायें हैं और इस से सरकार तथा सभी राजनैतिक दलों की आंखें खुल जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए जिस से इस प्रकार की घटनायें भविष्य में कहीं भी न हों। हमें सभा में बताया गया है कि आसाम, रूरकेला तथा भिलाई में छोटी छोटी बहुत सी घटनायें होती रही हैं । यह बात बहुत खतरनाक है क्योंकि दक्षिण के अन्य राज्यों के अल्पसंख्यकों को भी इस से खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं वहां पर भी उन के साथ इसी प्रकार का व्यवहार न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बासुदेवन नायर]

मैं कलकत्ता निवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना धैर्य्य रखा और कलकत्ते में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। परन्तु साथ ही साथ हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि देश के किसी भी कोने में ऐसी कोई घटना पुनः न हो।

मैं प्रधान मंत्री तथा सत्तारूढ़ दल को बताना चाहता हूं कि कुछ समय से देश में साम्प्रदायिकता आदि की प्रतिक्रियावादी भावनायें फैल रही हैं। और इन भावनाओं को फैलाने में हमारे सत्तारूढ़ दल का भी हाथ है। क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग की पुनः स्थापना कराई है। इस के बारे में मेरा सुझाव है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा एक जांच कराई जानी चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं की रोक थाम के बारे में कुछ उपाय बतायें।

संसदीय समिति की सिफारिशों को देखने से पता लगता है कि उस के सदस्य भी यही समझते हैं कि जांच होनी चाहिए। परन्तु श्री अ० प्र० जैन ने स्पष्ट शब्दों में ऐसा करने को नहीं कहा है। आज जब मैंने प्रधान मंत्री के भाषण में सुना कि वह जांच कराना चाहते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई? मैं चाहता हूं कि कृपा कर के शीघ्र इस प्रकार की जांच कराने की व्यवस्था कर दें।

हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में इन कांडों के बारे में चर्चा चल चुकी है। और वहां पर भी जांच कराने के लिए सभी राजनैतिक दलों ने अनुरोध किया है। इसलिए जांच अवश्य होनी चाहिए। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह सभी दंगे एक पूर्व नियोजित कार्य-क्रम के अनुसार हुए क्योंकि सभी ज़िलों में इनका रूप एक समान ही था। इसी आधार पर आवश्यक हो जाता है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाये। इन दंगों के बारे में पुरानी बातों का भी पता लगाया जाये तथा कारणों की गहराई तक पहुंचा जाये क्योंकि १९४७ में श्री बारदोलोई ने कहा था कि आसाम आसामवासियों के लिए है। उन के इस कथन का विरोध महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में किया था। इस से स्पष्ट हो जाता है कि १९६० के दंगों का सूत्र बहुतपुराना था। और इसीलिए इसकी जांच होनी आवश्यक हो जाती है।

यह बताया जाता है कि मुख्य मंत्री बीमार थे तथा वित्त मंत्री आसाम में नहीं थे। इसलिए घटनास्थल पर नहीं गये। परन्तु मंत्रिमंडल के अन्य ८ मंत्री तो मौजूद थे वे क्या करते रहे। इसका पता लगाया जाना चाहिए।

हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है। वह अपने केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग के द्वारा आसाम के दंगों को रुकवा सकती थी। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। मैं यही चाहता हूं कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रायश्चित किए जाने के स्थान पर केन्द्रीय सरकार को ही प्रायश्चित करना चाहिए।

मेरी आसाम के संसद सदस्यों से अपील है कि वह शरणार्थियों के साथ जाकर रहें उनकी सहायता करें तथा वहां पर ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न करें जिससे शरणार्थियों को उचित रूप में पुनर्वासित किया जा सके।

†**श्री अ० चं० गुहा** (बारसाट) : माननीय प्रधान मंत्री ने वैदेशिक कार्यों पर विवाद का उत्तर देते हुये तथा आसाम पर विवाद आरम्भ करते हुये कहा है कि हमें भारत की अखंडता की रक्षा करनी

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये । परन्तु यह जो घटनायें आसाम में हुई हैं उससे पता लगता है कि आज देश में एक ऐसी लहर फैल रही है जिससे देश की अखंडता नष्ट भ्रष्ट हो सकती है ।

यह बताया जाता है कि आसाम में इन दंगों का कारण सामाजिक आर्थिक असमानता है और वहां पर सरकारी नौकरियों में अधिकांशत: बंगाली नियुक्त हैं । मैंने आसाम की अधिकारी सूची देखी है । उसे देखने पर पता चलता है कि लगभग २,२९३ पदों में से १,५८३ पदों पर आसामी नियुक्त हैं तथा केवल ७०० पदों पर गैर आसामी नियुक्त हैं जिनमें बंगाली और आदिम जाति के लोग आते हैं । इन ७०० व्यक्तियों में अधिकांशत: ऐसे लोग हैं जो १९४७ से पहले से नियुक्त हैं ।

मेरे मित्र श्री बसुमतारी ने बताया कि १९५१ की जनसंख्या के अनुसार आदिम जातियों तथा मुसलमानों की संख्या ८ लाख थी । मैं समझता हूं कि यह संख्या गलत है और यह लोग केवल २ लाख हैं ।

श्री बसुमतारी ने यह भी बताया है कि १८७४ में आसाम राज्य बनाने पर तीन बंगाली भाषा भाषी जिलों को आसाम में जोड़ दिया गया था । इन में से एक ज़िला ग्वालपाड़ा है । वहां पर १९४८ में बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा वाले २५२ प्राइमरी स्कूल थे परन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग ने बताया है कि ऐसा एक स्कूल वहां था । ऐसा किस प्रकार हुआ । ऐसा केवल इस प्रकार हुआ कि आसाम सरकार ने यह नियम बना दिया कि आसाम के स्कूलों में केवल आसामी ही पढ़ाई जायेगी जब कि बंगालियों के बच्चों की शिक्षा के लिए बंगाली भाषा के स्कूल होने आवश्यक थे ।

अब आप भू धृति को लीजिए । आपको जान कर आश्चर्य होगा कि आसाम में भू धृति केवल एक वर्ष के लिए की जाती है और प्रत्येक वर्ष इसका नवीकरण होता है । इस प्रकार जो आसामी नहीं होते हैं उनको भू धृति का नवीकरण कराने में बड़ी कठिनाई होती है । मैं यह सब बातें सभा में इसलिये बता रहा हूं जिस से सभा को आसाम की स्थिति का सच्चा दिग्दर्शन हो सके ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार ३ सितम्बर, १९६०/१२ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०
११ भाद्र, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३१२७—५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१००९	फोर्डसन ट्रैक्टरों का निर्माण	३१२७—२९
१०१०	भूटान को सहायता	३१२९—३१
१०११	गैर कानूनी वायदा बाजार	३१३२
१०१२	प्रौटोटाइप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था	३१३३
१०१३	सोवियत अकादमी प्रकाशन	३१३३—३४
१०१५	नैतिक पुनरुत्थान संगठन	३१३४—३७
१०१६	दार्जिलिंग में तिब्बती शरणार्थी	३१३७—३८
१०१७	नागा विद्रोही	३१३८—४०
१०१८	पेटेंट और डिजाइन कानून	३१४१
१०२०	मकानों की मालकियत की अधिकतम सीमा	३१४२—४३
१०२२	नागा पहाड़ियों में विदेशी धर्म प्रभारक	३१४३—४४
१०२३	आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन	३१४४—४६
१०२४	शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में रोजगार के अवसर	३१४६—४८
१०२५	चाय की नीलामी और बुकिंग	३१४८—४९
१०२६	मेसर्स जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड	३१४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३१५१—३२०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०१४	नई दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी	३१५१
१०१९	राजस्थान में कपड़े की मिलें	३१५१
	ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि	३१५२
१०२७	खेतिहर मजदूरों की मजूरी	३१५२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०२८	राज्यों को वित्तीय सहायता	३१५२–५३
१०२९	मकान बनाने के लिये ऋण संबंधी नियम	३१५३
१०३०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ-कार्यालयों से सम्बद्ध औषधालय	३१५३–५४
१०३१	त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग को बन्द करना	३१५४
१०३२	उर्वरक निगमों का विलय	३१५४–५५
१०३३	श्रीलंका में भारतीय	३१५५
१०३४	सरकारी कर्मचारियों से मकान किराया	३१५५
१०३५	उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति	३१५५–५६
१०३६	जीप मामला	३१५६
१०३७	सीमेंट का कारखाना—द्वार मूल्य	३१५७
१०३८	छपाई का और लिखने का कागज	३१५७
१०३९	औषधियों का निर्यात	३१५७–५८
१०४०	तापसह ईंटें	३१५८
१०४१	सोडियम सल्फेट	३१५८–५९
१०४२	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	३१५९
१०४३	मोटर गाड़ियों के पुर्जे	३१५९
१०४४	अंश पूंजी	३१५९
१०४५	पंजाब में जमीन का दिया जाना	३१६०
१०४६	फिल्म निर्माण ब्यूरो	३१६०
१०४७	हाई वे बोर्ड	३१६०–६१
१०४८	गोआ यात्रा पर रोक	३१६१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९५०	बिहार में तैयारी की गई खादी	३१६१
१९५१	महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग	३१६१–६२
१९५२	अमरीकी मध्यस्थ निर्णय असोसियेशन	३१६२
१९५३	उत्तर प्रदेश में नैनीताल में विस्थापित व्यक्ति	३१६२–६४
१९५४	विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में सरकार द्वारा बनायी गयी सम्पत्ति का विनियमन	३१६४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९५५	उड़ीसा में आकाशवाणी के संवाददाता	३१६४
१९५६	बिजली के बल्ब	३१६४–६५
१९५८	पंजाब के लिये खर्च	३१६५
१९५९	उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग	३१६६
१९६०	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	३१६६–६७
१९६१	स्कूटरों का निर्माण	३१६७–६८
१९६२	नमक का उत्पादन, उपभोग और आयात	३१६८
१९६३	नमक का निर्यात	३१६८–६९
१९६४	नमक बनाना	३१६९
१९६५	पिसा और बगैर पिसा नमक का मूल्य	३१७०
१९६६	उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना	३१७०—७१
१९६७	दिल्ली में पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति	३१७१
१९६८	"चिड़िया घर की सैर" और "विनम्रता" नामक फिल्में	३१७१
१९६९	भारत–तिब्बती व्यापार	३१७१
१९७०	पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई	३१७२
१९७१	साइकल के टायरों और ट्यूबों का निर्माण	३१७२
१९७२	टायर और ट्यूब का उत्पादन	३१७२—७४
१९७३	उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग	३१७४–७५
१९७४	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	३१७५
१९७५	धार्मिक संस्थाओं के लिये खेती की भूमि	३१७५
१९७६	कमीशन द्वारा गवाहों के बयान लिया जाना	३१७५–७६
१९७७	दिल्ली रेस कोर्स क्लब की जमीन	३१७६
१९७८	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज की फैक्टरी	३१७६
१९७९	दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के लिये इमारतें	३१७७
१९८०	नई दिल्ली में हटमेंट का गिराया जाना	३१७७
१९८१	शिमला में विस्थापित व्यक्तियों की दुकानों का दिया जाना	३१७७
१९८२	हिमाचल प्रदेश में मजदूरों का कल्याण	३१७८
१९८३	साइकल के टायरों का निर्माण	३१७८
१९८४	गोआ में अणु राकेट अड्डा	३१७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अंतारांकित प्रश्न संख्या		
१९८५	बिजली से चलने वाले खेती के औजारों का निर्माण	३१७९
१९८६	अफरीकी देशों को चाय का निर्यात	३१७९
१९८७	शुद्ध माप यंत्रों के निर्माण के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	३१८०
१९८८	उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण में जल विद्युत परियोजनायें	३१८०
१९८९	खुदाई का सामान	३१८०
१९९०	ब्रिटेन को निर्यात	३१८०—८१
१९९१	दिल्ली में औद्योगिक मकान	३१८१
१९९२	उभेरकोट में भोजन का विषाक्त हो जाना	३१८१—८२
१९९३	पंजाब और पश्चिम पाकिस्तान की विभाजन समिति	३१८२—८३
१९९४	सरकारी उपक्रमों में पद	३१८३
१९९५	आदिम जातीय बोलियां	३१८३—८४
१९९६	कानपुर में कारखानों का बन्द होना	३१८४
१९९७	औद्योगिक तालिकायें	३१८४
१९९८	मशीनों का निर्माण	३१८४—८५
१९९९	सिगरेटों का निर्यात	३१८५
२०००	भारी ढांचे बनाने का कारखाना	३१८५
२००१	केरल में रेडियो स्टेशन	३१८५—८६
२००२	जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा छापे	३१८६
२००३	व्यापार-चिन्ह	३१८६
२००४	उल्हासनगर में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण	३१८६—८७
२००५	पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास	३१८७
२००६	पी० वी० सी० कम्पाउन्ड	३१८७
२००७	चाय बागान	३१८७—८८
२००८	अटेरन उद्योग	३१८८
२००९	नारियल उत्पादन	३१८८
२०१०	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से दस्तावेज की चोरी	३१८८—८९
२०११	भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	३१८९
२०१२	नारियल जटा की चीजों का निर्यात	३१८९
२०१३	संसद भवन का सैन्ट्रल हाल	३१९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०१४	संसद् भवन के लान . .	३१९०
२०१५	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां	३१९०–९१
२०१६	'नवीन भारत के निर्माता' माला	३१९१
२०१७	आदिम जातियों की संस्कृति संबंधी प्रसारण	३१९१
२०१८	रायपुर, ग्वालियर और जबलपुर में रेडियो स्टेशन	३१९२
२०१९	आकाशवाणी, कटक	३१९२
२०२०	उल्हासनगर में दुकानदारों से किराये की वसूली	३१९२–९३
२०२१	काश्मीर में विध्वंस कार्य . .	३१९३
२०२२	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में शिकायत सुझाव पुस्तकें	३१९३–९४
२०२३	तांबे के अभ्यंश	३१९४
२०२४	पीतल और तांबा .	३१९५
२०२५	तांबे और जस्ते का आवंटन . .	३१९५
२०२६	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित की गयी भूमि	३१९५–९६
२०२७	पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा पर ढोरों की चोरी	३१९६
२०२८	भारतीयों का जाली पारपत्र लेकर अमरीका जाना	३१९६
२०२९	टायर . .	३१९६–९७
२०३०	श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति . . .	३१९७
२०३१	चित्रपट विभाग (फिल्म्स डिवीजन)	३१९८
२०३२	बालागुला में कागज मिल . .	३१९८
२०३३	बैंगकाक में एशियाइयों के लिये इंजीनियरी संस्था	३१९८–९९
२०३४	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ .	३१९९
२०३५	पुनर्वास वित्त निगम	३१९९
२०३६	कमरहट्टी में उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण बांस केन्द्र	३१९९–३२००
२०३७	दिल्ली में घरेलू नौकरों का कल्याण	३२००–०१
२०३८	घड़ियों का निर्माण	३२०१
२०३९	उत्तर प्रदेश में छपाई व लिखने के कागज के कारखाने	३२०१–०३
सभा पटल पर रखा गया पत्र		३२०३
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

और संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त, १९६० की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ९७४ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश ३२०३

सचिव ने राज्य-सभा से एक सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य-सभा ने ३१ अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १६ अगस्त, १९६० को पारित किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, (स्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश-सभा पटल पर रखे गये ३२०३

साक्ष्य के सारांश और बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३२०४

उद्योग (मंत्री श्री मनुभाई शाह) ने दो और फर्मों को भारत में स्कूटर बनाने के लाइसस देने के बारे में एक वक्तव्य दिया और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८ जी के अन्तर्गत निकाले गये स्कूटर (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३२०४—०६

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा अन्य जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति और उसके लिये किये जाने वाले सहायता कार्यों की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया ।

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव ३२०६—२५

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव तथा तत्संबंधी स्थानापन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी रही ; चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३२२५—३१

पचपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

शनिवार, ३ सितम्बर १९६०/१२ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1091 (Ai) LSD—5-10-60—135